Seventeenth Series, Vol. XVIII No. 23 Friday, April 1, 2022
Chaitra 11, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Eighth Session
(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XVIII contains Nos.21 to 27)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora
Joint Secretary

Mahavir Singh
Director

Narad Prasad Kimothi
Sunita Arora
Joint Director

Kamala Subramanian
Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XVIII, Eighth Session, 2022/1944 (Saka)
No. 23, Friday, April 1, 2022/Chaitra 11, 1944 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.421 to 427	18-48
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.428 to 440	49-116
Unstarred Question Nos. 4831 to 5060	117-857

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 859-864

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

34th Report 865

BUSINESS OF THE HOUSE 866

INDIAN ANTARCTIC BILL, 2022 867-875

MATTERS UNDER RULE 377 893-905

(i) Regarding making available Ayush medicines in rural areas of the country.

Shri Ramcharan Bohra 893

(ii) Regarding promotion of one district one product scheme in Guna Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh.

Shri Krishnapalsingh Yadav 894

(iii) Regarding ban on sand mining.

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 895

(iv) Need to restore stoppage of trains at Khoirabari Railway station in Mangaldoi Parliamentary Constituency, Assam.

Shri Dilip Saikia 896

(v) Need to declare Tilak Library situated in Meerut, Uttar Pradesh as a heritage institution.

Shri Rajendra Agrawal 897

(vi) Regarding reservation of women in Central Government Services.

Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo 898

(vii) Regarding BPCL's decision to discontinue Polyol Manufacturing unit.

Shri Hibi Eden 899

(viii) Regarding comprehensive study on health impacts of pollution.

Shir Gaurav Gogoi 900

(ix) Regarding operationalisation of some trains in Dindigul Parliamentary Constituency.

Shri P. Velusamy 901

(x) Regarding regularization of railway porters.

Shrimati Vanga Geetha Viswanath 902

(xi) Regarding inclusion of National Highway No. 161BB – Madnoor to Boddan in Bharatmala Pariyojana and its four laning.

Shri B.B. Patil 903

(xii) Regarding inclusion of Ostomy as a specified disability under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2006.

Dr. Shrikant Eknath Shinde 904

(xiii) Regarding completion of Budhai Reservoir Project, Deoghar, Jharkhand.

Dr. Nishikant Dubey 905

CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) ORDERS (SECOND AMENDMENT) BILL, 2022 906-1006

Motion to Consider 906

Shri Arjun Munda 906, 997-1002

Shri Deepak Baij 907-913

Shri Jagdambika Pal	914-922
Shrimati Pratima Mondal	923-927
Shri K. Subbarayan	928-929
Dr. Sanjeev Kumar Singari	930-931, 934-940
Shri Thomas Chazhikadan	932-933
Shri Rajendra Dhedya Gavit	941-944
Dr. Alok Kumar Suman	945-946
Shrimati Sarmistha Kumari Sethi	947-950
Shrimati Sangeeta Azad	951-953
Shri B.B. Patil	954-956
Shri Saptagiri Sankar Ulaka	957-959
Shri Guman Singh Damor	960-963
Prof. Sougata Ray	964-966
Dr. D. Ravikumar	967-968
Shri Hanuman Beniwal	969-972
Shrimati Navneet Ravi Rana	974-976
Shri N.K. Premachandran	977-981, 1004-1005
Dr. Thol Thirumaavalavan	982-983
Shri Sunil Kumar Singh	984-986
Shri Raju Bista	987-988
Shri Girish Chandra	989-990
Shrimati Locket Chatterjee	991-992

Shri Adhir Ranjan Chowdhury 993-996

Clauses 2 to 4 and 1 1004-1005

Motion to Pass 1006

PRIVATE MEMBERS' BILLS – Introduced 1007-1085, 1115-1117

(i) Constitution (Amendment) Bill, 2022
(*Insertion of New Article 338C*)
By Shri N.K. Premachandran 1007

(ii) Uniform Education Bill, 2019
By Shri Rakesh Singh 1008

(iii) Farmers Welfare Bill, 2019
By Shri Rakesh Singh 1009

(iv) Provision of Communication Facilities in Every Village Bill, 2019
By Shri Rakesh Singh 1010

(v) Constitution (Amendment) Bill, 2021
(Insertion of New Article 239C)
By Shri M.K. Raghavan 1011

(vi) Constitution (Amendment) Bill, 2022
(*Insertion of New Article 21B*)
By Shri M.K. Raghavan 1012

(vii) Universal Health Insurance Bill, 2022
By Shri M.K. Raghavan 1013

(viii) Special Marriage (Amendment) Bill, 2022 (*Insertion of New Section 4A,etc.)*
By Shrimati Supriya Sadanand Sule 1014

(ix) Rural Medical Education Bill, 2022
By Shrimati Supriya Sadanand Sule 1015

(x) App Developers (Protection) Bill, 2022
By Shri Lavu Srikrishna Devarayalu 1016

(xi) High Court of Rajasthan (Establishment of a Permanent Bench at Rajsamand) Bill, 2022
By Sushri Diya Kumari 1017

(xii) Hindu Marriage (Amendment) Bill, 2021 (*Amendment of Section 13)*
By Shri Manish Tewari 1018

(xiii) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2019
(*Amendment of Section 126*)
By Shri Manish Tewari 1019

(xiv) Representation of the People (Amendment) Bill, 2022
(*Amendment of Section 62*)
By Shri Rahul Ramesh Shewale 1020

(xv) Thalassemia Prevention Bill, 2022
By Shri Rahul Ramesh Shewale 1021

(xvi) Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Bill, 2022 (*Insertion of New Sections 40A and 40B*)
By Shri Rahul Ramesh Shewale 1022

(xvii) Right to Adequate Housing (One Family - One Toilet) Bill, 2022
By Shri Gopal Shetty 1023

(xviii) Payment of Compensation to Victims of Attack by Wild Animals Bill, 2022
By Shri Devaji Patel 1024

(xix) Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Bill, 2022 (*Insertion of New Chapter XA*)
By Shrimati Chinta Anuradha 1025

(xx) Conversion Therapy (Prohibition) Bill, 2022
By Shrimati Aparupa Poddar 1026

(xxi) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2022 (*Insertion of Section 72A, etc.*)
By Shrimati Aparupa Poddar 1027

(xxii) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2022 (*Amendment of Sections 88 and 89*)
By Shrimati Aparupa Poddar 1028

(xxiii) Commission for the Formation of the State of Vidarbha Bill, 2019
By Shri Ashok Mahadeorao Nete 1029

(xxiv) Unemployment Allowance Bill, 2019

By Shri Ashok Mahadeorao Nete 1030

(xxv) Forest (Conservation) Amendment Bill, 2019 (*Insertion of New Section 3C*)

By Shri Ashok Mahadeorao Nete 1031

(xxvi) Compulsory Training of Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in Schools Bill, 2019

By Dr. Shrikant Eknath Shinde 1032

(xxvii) Constitution (Amendment) Bill, 2019 (*Amendment of Articles 84 and 173*)

By Dr. Shrikant Eknath Shinde 1033

(xxviii) Constitution (Amendment) Bill, 2019 (*Amendment of the Seventh Schedule*)

By Dr. Shrikant Eknath Shinde 1034

(xxix) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2022

(*Amendment of Section 2, etc.*)

By Dr. T. Sumathy(A) Thamizhachi Thangapandian 1035

(xxx) Fishermen Welfare Fund Bill, 2019

By Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu 1036

(xxxi) Constitution (Amendment) Bill, 2019

(*Amendment of Article 51A*)

By Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu 1037

(xxxii) Compulsory Teaching of Sex Education in Educational Institutions Bill, 2021
By Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu 1038

(xxxiii) Special Financial Assistance for Protection of Water Bodies in the State of Rajasthan Bill, 2020
By Shri C.P. Joshi 1039

(xxxiv) Constitution (Amendment) Bill, 2022 (*Insertion of New Article 338C*)
By Shri C.P. Joshi 1040

(xxxv) Special Financial Assistance for Geo-Mapping of Trees in the State of Rajasthan Bill, 2022
By Shri C.P. Joshi 1041

(xxxvi) Special Financial Assistance to the State of Madhya Pradesh Bill, 2019
By Shri Sudheer Gupta 1042

(xxxvii) Special Financial Assistance for Protection of Water Bodies in the State of Madhya Pradesh Bill, 2020
By Shri Sudheer Gupta 1043

(xxxviii) Special Financial Assistance for Geo-Mapping of Trees in the State of Madhya Pradesh Bill, 2022
By Shri Sudheer Gupta 1044

(xxxix) Regulation of Sale of Schedule-H Drugs Bill, 2020

By Shri Rahul Kaswan 1045

(xl) Payment of Minimum Wages (for Private School Teachers) Bill, 2020

By Shri Rahul Kaswan 1046

(xli) Forest (Conservation) Amendment Bill, 2021 (*Insertion of New Section 2A*)

By Shri Rahul Kaswan 1047

(xlii) Farmers Right to Guaranteed Minimum Support Price Realization of Agricultural Produce Bill, 2022

By Shri Feroze Varun Gandhi 1048

(xliii) Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Bill, 2019
(*Amendment of Section 2, etc.*)

By Shri Vincent H. Pala 1049

(xliv) Biological Diversity (Amendment) Bill, 2019 (*Amendment of Section 2, etc.*)

By Shri Vincent H. Pala 1050

(xlv) Working Women (Basic Facilities and Welfare) Bill, 2019

By Shrimati Riti Pathak 1051

(xlvi) Special Financial Assistance for Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains in the State of West Bengal Bill, 2019

By Dr. Sukanta Majumdar 1052

(xlvii) Environment Protection (Management and Control of Nonbiodegradable Waste) Bill, 2020
By Dr. Sukanta Majumdar 1053

(xlviii) Population (Stabilization and Control) Bill, 2021
By Shri Rajendra Agrawal 1054

(xlix) Renewable Energy Resources Commission Bill, 2021
By Shri Sunil Kumar Singh 1056

(l) Compulsory Teaching of Constitution in Educational Institutions Bill, 2019
By Shri Vinod Kumar Sonkar 1057

(li) Special Financial Assistance to the State of Punjab Bill, 2020
By Shri Santokh Singh Chaudhary 1059

(lii) Constitution (Amendment) Bill, 2020 (*Amendment of Article 124, etc.*)
By Shri Santokh Singh Chaudhary 1060

(liii) Constitution (Amendment) Bill, 2022 (*Amendment of the Eighth Schedule)*
By Shri Jamyang Tsering Namgyal 1061

(liv) Constitution (Amendment) Bill, 2020 (*Amendment of Articles 243C and 243D*)
By Dr. Thol. Thirumaavalavan 1062

(lv)	Constitution (Amendment) Bill, 2021 (*Amendment of the Preamble, etc.*) **By Dr. Thol. Thirumaavalavan**	1063
(lvi)	Representation of the People (Amendment) Bill, 2021 (*Amendment of Section 2, etc.*) **By Dr. Thol. Thirumaavalavan**	1064
(lvii)	University Grants Commission (Amendment) Bill, 2021 (*Insertion of New Section 22A*) **By Shri Rajendra Agrawal**	1065
(lviii)	Hepatitis (Prevention of Discrimination and Control) Bill, 2021 **By Shri Rajendra Agrawal**	1066
(lix)	Constitution (Amendment) Bill, 2022 (*Insertion of New Article 21B*) **By Dr. D. Ravikumar**	1067
(lx)	Solid Waste Management Bill, 2022 **Dr. D.M. Kathir Anand**	1068
(lxi)	LGBTQIA+ Persons (Protection of Rights) Bill, 2022 **Dr. DNV Senthilkumar S.**	1069

(lxii) Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022
(*Amendment of the Schedule*)
By Dr. DNV Senthilkumar S. 1070

(lxiii) Essential Commodities (Amendment) Bill, 2022
(*Amendment of Section 2, etc.)*
By Shri Abdul Khaleque 1071

(lxiv) Constitution (Amendment) Bill, 2022
(*Amendment of Article 1*)
By Kunwar Pushpendra Singh Chandel 1072

(lxv) Betel Growers (Remunerative Price and Welfare) Bill, 2022
By Kunwar Pushpendra Singh Chandel 1073

(lxvi) Code on Social Security (Amendment) Bill, 2022
(*Amendment of Section 60, etc.)*
By Shrimati Poonamben Maadam 1074

(lxvii) Online Gaming (Regulation) Bill, 2022
By Adv. Dean Kuriakose 1075

(lxviii) Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Bill, 2022
(*Amendment of Section 2, etc.*)
By Adv. Dean Kuriakose 1076

(lxix) Palliative Care Board Bill, 2022
By Adv. Dean Kuriakose 1077

(lxx) Central Universities (Amendment) Bill, 2022 (*Insertion of New Section 3F, etc.)*
By Shri Abdul Khaleque 1078

(lxxi) Health Insurance (For Persons Living Below Poverty Line) Bill, 2022
By Shri Janardan Singh Sigriwal 1079

(lxxii) Widows (Protection and Maintenance) Bill, 2022
By Shri Janardan Singh Sigriwal 1080

(lxxiii) Constitution (Amendment) Bill, 2022 (*Amendment of Article 51A*)
By Shri Janardan Singh Sigriwal 1081

(lxxiv) Unlawful Activities (Prevention) Repeal Bill, 2022
By Dr. Shashi Tharoor 1082

(lxxv) Protection of Traditional Knowledge Bill, 2022
By Dr. Shashi Tharoor 1083

(lxxvi) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2022 (*Amendment of Section 299*)
By Shri V.K. Sreekandan 1084

(lxxvii) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2022 (*Amendment of Section 3, etc.)*
By Shri V.K. Sreekandan 1085

(lxxviii)	Constitution (Amendment) Bill, 2019 (*Substitution of New Article for Article 248, etc.*)	
	By Shri Ravneet Singh	1115
(lxxxi)	Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill, 2019 (*Amendment of Section 2, etc.*)	
	By Shri Ravneet Singh	1116
(lxxx)	Provision of Financial Assistance for De-Addiction Centres Bill, 2019	
	By Shri Ravneet Singh	1117

COMPULSORY VOTING BILL, 2019	1086-1114, 1118-1119
Adv. Dean Kuriakose	1086-1090
Shri Jamyang Tsering Namgyal	1091-1095
Shri E.T. Mohammed Basheer	1096-1099
Shri Ramesh Bidhuri	1100-1108
Shri Abdul Khaleque	1109-1114
Dr. Umesh G. Jadhav	1118-1119

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	1003
Member-wise Index to Unstarred Questions	1004-1010

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	1011
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	1012

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, April 1, 2022/Chaitra 11,1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 421, श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. ।

(Q. 421)

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. : Mr. Speaker, Sir, my short and specific supplementary question is related to the (b) part of the main question. The Government of India is popularising Siddha system of medicine by bringing in many publications and by putting a lot of advertisements everywhere. But the presence of Siddha system of medicine across the country is very minimal. I am not sure whether the mechanism the Ministry has put in place is really working or not. The reason why I am saying this is that though we have Siddha doctors in my constituency of Lakshadweep, there is not even a single doctor appointed through the Ministry’s AYUSH Mission. Will the Minister be in a position to state the reason for this?

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Mr. Speaker, Sir, the hon. Member has rightly pointed out the infrastructure situation of traditional system of medicine in Lakshadweep. For his information, I would like to inform that we have already approved five Health and Wellness Centres to be set up in the Union Territory of Lakshadweep. In addition, if there are no such hospital facilities, the Lakshadweep Administration has to send a proposal to us. As you know, if we receive it through the Annual Action Plan of the Union Territory, then, definitely we will consider it positively.

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. : Sir, the Department of Siddha has mooted the proposal to consider appointment of Siddha doctors. But I do not know why the Administrator is not putting up the proposal for consideration.

The second part of my question is, though we have five disciplines under AYUSH, as of now, we have only two disciplines in Lakshadweep, Homoeopathy and Ayurveda. In 10 islands we had these practices; now it has been reduced to four hospitals, and so, the other islanders have to travel to another island to get treatment. Therefore, will the aspiration of the people to get AYUSH treatment at their doorstep be fulfilled?

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Sir, we have a National AYUSH Mission. Under this Mission, there is a provision to set up 10-bedded, 30-bedded, and 50-bedded hospitals. So, if we receive the proposal from the Union Territories, definitely we are going to consider it.

SHRI BENNY BEHANAN : Sir, Siddha medicine is one of the ancient systems of medicine with more than 7,000 formulations recorded in various manuscripts and traditional knowledge sources.

Now, this is a part of AYUSH system. This system is commonly being practised in Tamil Nadu and Kerala. Siddha system is very effective in skin diseases and arthritis.

I would like to know from the hon. Minister whether this Siddha system has got any international recognition, and whether the medicinal use in the system has got any international standard.

Sir, also, many complaints have been received about the fake practitioners and medicines used. So, would the Government take strict legal action against fake practitioners, who are not academically qualified to treat patients? Thank you.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Speaker, Sir, we have a provision of a regulatory framework as per the National Commission for Indian System of Medicine. So, if we receive complaints of any kind, say, of malpractices or doing forgeries and others, then definitely, this Ministry is going to take action against them.

Hon. Speaker, Sir, a few days back, I had informed all the hon. Members, as they are very much concerned about it, that because of our acceptability in the globe, and whatever contribution Indian System of Medicine has contributed to the preservation of health in the globe, that is why the WHO has decided to set up a Global Centre for Traditional Medicines in India. It would be set up in Jamnagar, Gujarat. It is a proud moment for all of us. It is happening just because of our hon. Prime Minister, Narendra Modi-ji.

SHRI VIJAYKUMAR *ALIAS* VIJAY VASANTH : Respected Speaker, Sir, I would like to know from the hon. Minister if the Government is planning to start any additional cancer OPDs across the country; if so, I would be grateful if the cancer OPDs may be started at the Government Siddha Hospital, which is functioning at Nagercoil, Kanyakumari which is my District. It is a hub for rare herbal plants with high medical value.

So, I would also like to know from the Government if they have any plan to set up additional herbal medical plants; and if so, the plant can be considered at Kanyakumari District. Thank you.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Speaker, Sir, the hon. Member has rightly pointed it out. For his information, we are running an OPD for cancer in the Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital Campus. It is running very successfully; and at the same time, we are also running an OPD in the National Institute of Ayurveda at Delhi.

So, in the near future, definitely our Ministry is always there to extend our wholehearted support to the people of the country. For palliative care of cancer patients, this Ministry has taken this kind of an exemplary initiative. Thank you.

SHRI K. MURALEEDHARAN : Sir, I would like to know from the Government whether the AYUSH Department has conducted any survey and fount that Siddha and Homeopathy can prevent COVID-19. I am asking this because in my State of Kerala, there is a conflict going on between AYUSH and Allopathy. Allopathy people are saying that other medicines do not prevent COVID-19. So, I want to have a categorical reply from the Minister on this point.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Speaker, Sir, as you know, Kabasura Kudineer, which is a product of Siddha System of Medicine, has played a very, very important role to, kind of, help out the COVID-19 affected patients, for asymptomatic, symptomatic, and mild to moderate patients. So, this particular medicine has played a big role along with AYUSH-64. In this

regard, I must appreciate the role of Tamil Nadu Government. Theirs is the first Government in the country which has issued directions to use the traditional system of medicine. So, this is a very important initiative that they have taken. They have officially distributed more than 1,80,00000 numbers of Kabasura Kudineer to help out those affected people. People also got relief by taking it.

डॉ. सत्यपाल सिंह: आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, दुनिया में जितना भी ज्ञान है, सब एक जगह से चले। आयुष क्षेत्र के अंदर चाहे वह सिद्धा सिस्टम हो, आयुर्वेद का सिस्टम हो, चाहे यूनानी सिस्टम हो, इनका मूल स्रोत एक था। लेकिन समय के साथ-साथ कुछ अलग-अलग जगहों पर इसका विस्तार और विकास हुआ।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आजकल के जमाने में अच्छी हेल्थ चाहिए तो आज जरूरत इस बात की है, आज दुनिया के कुछ देशों में एक इंटीग्रेटेड कोर्स चलाने की परंपरा चल पड़ी है। आयुर्वेद का सबसे अच्छा सिस्टम, यूनानी है, सिद्धा है।

क्या हमारी मिनिस्ट्री इस बारे में कोई विचार कर रही है कि इनका इंटीग्रेटेड कोर्स चलाकर नए तरह के डॉक्टर और वैद्य तैयार किए जाएं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दोनों मंत्रालयों ने एक साथ मिलकर मॉडर्न और ट्रेडिशन प्रैक्टिसेज को जोड़कर देश के अंदर जनता को अलग-अलग बीमारियों से राहत देने का काम शुरू किया है। मुझे लगता है कि सांसद महोदय का जो सवाल है, इस सवाल को हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक लागू करने के लिए जमीनी हकीकत में काम शुरू किया है।

डॉ. एस. टी. हसन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यूनानी मेडिसीन हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी प्रैक्टिस की जाती है। यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसीन के डॉक्टर्स के लिए सेम कोर्सेज हैं, सेम डूरेशन है, सेम गाइडलाइन्स हैं।

आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को माइनर सर्जरी की इजाजत है लेकिन यूनानी डॉक्टर्स को इजाजत क्यों नहीं है? आपने नेशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसीन बनाया है, इसके अंदर यूनानी मेडिसीन को अलग क्यों कर दिया गया जबकि इसकी व्यापक प्रैक्टिस होती है। एम्स की तर्ज पर आपने यूनानी मेडिसीन का इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया है। अजमल खाँ तिब्बिया कॉलेज 100 साल पुराना कॉलेज है, उसको अपग्रेड करके इसे एम्स की तर्ज पर बनाया जा सकता है।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष फैमिली से जुड़े हुए हर सिस्टम को सही मान्यता देने का काम किया है, उसमें कोई डिस्क्रेमिनेशन नहीं है। देश के अलग-अलग प्रांतों में उसी हिसाब से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर सिस्टम के लिए खड़ा किया गया है।

माननीय सांसद महोदय को मैं विशेष रूप से जानकारी देना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से आज हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेडिसीन को विश्व भर में अपनी पहचान बनाने में आगे बढ़ाने का काम किया है। आने वाले दिनों में हिन्दुस्तान को ही इस विषय पर दुनिया को नेतृत्व देना होगा। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसीन डब्ल्यूएचओ ने हिन्दुस्तान में प्रतिष्ठा किया है। इसका मूल मकसद है। They are allowing us to take up the leadership to give relief to the people of the globe and also for the preservation and for cure, particularly, of different diseases of the mankind.

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी जी।

श्री गिरीश चन्द्र जी।

(Q. 422)

श्री गिरीश चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी चैनल द्वारा इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है और अब तक इस तरह के कितने उल्लंघन के मामले सामने आए हैं? उल्लंघन होने पर क्या आयोग स्वत: संज्ञान ले सकता है और अगर ले सकता है तो कितने मामलों में लिया है? अब तक आयोग को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई हुई है।

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): मान्यवर, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आयोग स्वेच्छा से इस संदर्भ में स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के साथ इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर्स, जिसमें निश्चित रूप से माता-पिता, स्कूली अथॉरिटीज़ भी सम्मिलित हैं, बार-बार वर्कशाप्स करता है। इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र व्यवस्था है कि जो भी दर्शक हैं, वे इस तरह की कम्पलेंट्स पहुंचाते हैं और एक्शन होता है। आयोग स्वयं स्वतंत्र है, मंत्रालय ने इन विषयों की कम्पलेंट्स चैनल्स तक पहुंचाई और निश्चित रूप से चैनल्स ने भी अपनी ओर से ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई है। हमने बार-बार इसी सदन में मीडिया की स्वतंत्रता के संदर्भ में चर्चाएं की हैं। सरकार का यह मत रहा है कि जो भी कानून की मर्यादा में इस प्रकार के आदेश अथवा एडवाइजरीज़ मीडिया को दी जाती हैं, मीडिया स्वत: उस एडवाइजरी का उल्लंघन करता है तो अपनी ओर से कदम उठाता है।

महोदय, एक-एक विषय पर माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या एक्शन हुआ है, यह मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की मर्यादा में आता है। मैं निश्चित तौर पर उनसे जानकारी प्राप्त करके आदरणीय महोदय तक पहुंचा दूंगी।

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH : Sir, the hon. Minister has given a clear reply. I would like to know from the hon. Minister regarding the mental pressure that the children are going through. Even the children of four to five

years of age are doing performances without knowing the meaning also. They are doing item songs also. It is very unfortunate.

Sir, the reality shows have adverse effects on children. The pressure to perform can lead to depression in children participating in reality shows. So, what are the steps taken by the Government to ensure a safe environment for children participating in TV programmes across the country? Also, what are the measures taken by the Government to protect the mental health of the children participating in the programmes?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I think, the hon. Member has highlighted her angst that has been felt and reflected in this very House time and again. I am reiterating what the lady has said, and support her desire to ensure that the mental health facilities should be given to such children. I can say that the Ministry has engaged with NIMHANS to start a programme called SAMVAD under which we have ensured that those who are protecting the children at such sites, including those who are in child care institutions, those duty holders get enough support and so do the children, through the services of NIMHANS on issues of mental health. I would take her position as a suggestion. In collaboration with my colleagues in the Ministry of Information and Broadcasting, I hope to reach out to the industry at large to ensure that the industry, especially the production houses that engage with children, can equally benefit from the services of NIMHANS under the project called SAMVAD. It is a good reflection of her compassionate stand; I compliment her. … (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, instead of referring to her as 'lady', she should refer to her as 'Member of Parliament'. … (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY : She should refer to her as "hon. lady Member'. … (*Interruptions*)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I do not understand the umbrage that the hon. Leader of Opposition has taken to my position.… (*Interruptions*) That he would devoid her status as a lady is something which is flummoxing me. … (*Interruptions*) But it is quite ironical that two men stand here to tell me how to address a lady. … (*Interruptions*) Please allow me to finish. … (*Interruptions*) When I address an hon. Member in this House, through the Chair, there is a constitutional presumption that I do so to a Member of Parliament. … (*Interruptions*) That you would not presume her to be a Member of Parliament, as she is diligently and duly seated here, is a reflection of how you look upon her. I look upon her proudly as a female Parliamentarian, and I have taken absolutely no disrespect to her position or her presence in the House. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shrimati Kanimozhi Karunanidhi.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI : Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

In continuation to the question asked by the previous hon. Member, I would like to ask the hon. Minister whether she is considering giving an advisory to these production houses. Many children participate in the shows,

and unknowingly, they do obscene scenes which include nudity and all that. So, if any advisory is issued on this, I think, it will go a long way to protect these children. Thank you.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, through you, I would like to highlight that nudity, especially in the context of children, and its depiction, is illegal, especially under the POCSO Act. The Government is committed in collaboration with the States to ensure that such devices or methodologies in terms of production or circulation of such depictions are not only disallowed but also punished under the law.

I would here reiterate that apart from the advisories, which have been given, we are of the belief that there needs to be a consistent engagement with the media on these issues, since we deliberate in this very House on issues of independence of thought and expression, so that, that is done within the contains of the law. Here, I would again highlight that this House resolutely, irrespective of our political differences, has pronounced, through the POCSO Act, the intention to ensure that those who depict children in such fashion are punished. It has happened before. It shall continue to happen, and I am grateful for the House for its resolution with regard to the same. My gratitude goes to the female parliamentarians.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 423,

श्री दिनेश चन्द्र यादव - उपस्थित नहीं ।

(Q. 423)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, the Minister has given an elaborate answer. I must appreciate it. But certainly, there is a semi-side of the performance of the ICMR which is regarded as an India's nodal medical research agency. For example, we know that the issue of a supermodel was discussed during the COVID-19 period in the country. The supermodel paper published in October, 2020 in the ICMR-run *Indian Journal of Medical Research* predicted that the epidemic in India had passed its peak in September, 2020, and that the country would be able to control the spread of the virus by the end of February, 2021 by following the safety protocol already in place.

The top Government officials, including the Prime Minister himself, mirrored the supermodel's rosy projection. Modi Ji even said in February, 2021 that India's fight against COVID-19 had inspired the rest of the world, but barely two months later, India reported a record high level of COVID-19 cases, and it was a devastating second wave that left lakhs dead and many more severely ill. … (*Interruptions*)

May I ask the hon. Minister whether the ICMR had misguided the Prime Minister or the Prime Minister himself had misguided the ICMR? What is the response of the hon. Minister? … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, आपको मैंने बोलने की इजाजत नहीं दी है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप बोलिए।

… (व्यवधान)

HON. SPEAKER: No.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (**श्री मनसुख मांडविया**): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि प्रधान मंत्री जी क्या निर्देश देते हैं, नहीं देते हैं, तो मैं आपके माध्यम से इस सदन को और देश को बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा समय पर सही निर्देश देने की वजह से ही हिन्दुस्तान विश्व में सबसे बेस्ट कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन कर पाया है। दूसरा, जहां तक आईसीएमआर का सवाल है, यह बात सही है कि आईसीएमआर देश में एक नोडल एजेंसी के रूप में काम रह रही है। यही आईसीएमआर ने समय-समय पर एफर्ट लिया, समय-समय पर सरकार को गाइड किया और समय-समय पर इनिशिएटिव भी लिया।

आईसीएमआर ने प्रधान मंत्री जी के निर्देश के अनुसार अपने साइंटिस्ट्स को काम पर लगाया। एक समय था जब दुनिया में कोई वैक्सीन आती थी, तो रिसर्च होता था और वैक्सीन डेवलप होने में बहुत समय लगता था … (व्यवधान)

Please listen to me. I am giving reply to you. वैक्सीन पर रिसर्च होना देश के लिए बहुत दूर की बात थी। उसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने हमारे साइंटिस्टों का हौसला बढ़ाया और आईसीएमआर ने एफर्ट लिया। जब दुनिया कोविड वैक्सीन लेकर आई तो आईसीएमआर के सहयोग से इंडिया में भी इंडिजेनस वैक्सीन बन गयी। इतना ही नहीं, आज की तारीख में भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन ड्राइव चलाने वाला देश बन चुका है। मैं आपको यह भी बता दूं, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट का देश के प्रति क्या समर्पण है, क्या उपयोग है। पूरी दुनिया में सेकेंड वेव में जितनी मौतें हुई थीं, उतनी ही डेथ्स् थर्ड वेव (ओमिक्रॉन) में भी हुई थी, लेकिन भारत में थर्ड वेव आसानी से निकल गई, क्योंकि हम लोग वैक्सीनेटेड थे और वैक्सीन इंडिजिनियस बना था। ऐसी हमारी रिसर्च थी, इसलिए आईसीएमआर के प्रति हमें प्राउड है, and

in future, ICMR will be working not only for COVID-19 management but also for other types of medical researches.

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI : Thank you, Speaker, Sir. Most of the recovered patients, after acute COVID-19 illness, may continue to experience various signs and symptoms including fatigue, body ache, cough, sore throat, difficulty in breathing, etc.

Sir, through you, I want to ask the hon. Minister for Health and Family Welfare whether the Government can provide any details of research conducted by ICMR on the complications after recovering from COVID-19, and also on the possible effects of COVID-19 fourth wave in India.

डॉ. भारती प्रवीण पवार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो सवाल उठाया है, वह पोस्ट कोविड के बारे में है।…**(व्यवधान)** वह माननीय डॉक्टर सदस्या हैं।…**(व्यवधान)**

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि इस दौरान आईसीएमआर ने **250** पब्लिकेशंस किए हैं, कोविड, पोस्ट कोविड, प्री कोविड में जो भी रिसर्च हुए हैं, वे उस पब्लिकेशंस में हैं। जो भी रिसर्च होता है, उसके आधार पर हमारी नीतियां बनती हैं और वह हम राज्यों को लगातार दे भी रहे हैं।

जैसा कि माननीय सदस्या ने हमारी पब्लिकेशंस रिपोर्ट के बारे में कहा है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारी पब्लिकेशंस को सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी उसको सराहा गया है, जो कि ड्रग ट्रॉयल को लेकर है, जिसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल भी चला है। उसकी रिपोर्ट भी मिली है। डब्ल्यूएचओ की सॉलिडेट्री ट्रायल रिपोर्ट भी आई है।

Sir, I would like to inform the hon. Member that the international journals not only published the results but also spoke highly about the initiative through their editorial community.

श्री महाबली सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) है, निश्चित तौर पर कोविड से लड़ाई में उसका बहुत अहम योगदान रहा है, जिसके चलते हम लोगों ने कोविड पर विजय पाने की कोशिश की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में जो पहल हो रही है, उसमें आईसीएमआर ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आईसीएमआर पर बहुत बड़ा बोझ है, तो क्या मंत्री जी उस बोझ को कम करने के लिए उसका विस्तार करना चाहते हैं? जो विकसित देश हैं, वहां पर एक से अधिक संस्थाएं काम कर रही हैं। उनका इस पर क्या विचार है?

श्री मनसुख मांडविया : अध्यक्ष महोदय, आईसीएमआर बोझ सहने के लिए सक्षम है। आगे जितना भी बोझ आएगा, हम उसको सहेंगे और उसका एक्सपैंशन करेंगे।

SHRI DAYANIDHI MARAN : Thank you, Speaker, Sir, for giving me an opportunity. The hon. Minister has given a detailed list of achievements which have already been expressed by the hon. Prime Minister and every other Minister in this House. I would like to ask specifically a couple of things. As the hon. Member who spoke before me mentioned, I would like to say that post COVID-19, deaths especially due to sudden cardiac arrest are being reported throughout the country. Very famous personalities have died due to this. I want to know whether the ICMR has conducted any research on this because we have been basically aping the West, gathering information from what the West is saying, and following the medical protocol.

The second part of my question is whether the Minister is aware of the way the hospitals went looting the public. Especially in the third wave, that is, omicron wave, they were giving a concoction called cocktail injection which cost Rs. 1,20,000, getting along with medical companies. While only one

injection is needed for a patient, it comes in a pack of two vials. So, they have to compulsorily buy two vials which cost Rs. 1,38,000. Every patient was forced throughout the country to spend Rs. 1,50,000, as everyone is aware of it. I would like to know whether any Government institution has done any Indian research to analyse post-COVID effects, especially in the form of cardiac arrest and blood clots. If the hon. Minister has any information in this regard, I would request him to share it with us.

श्री मनसुख मांडविया: माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड के बाद और कोविड के दरम्यान जब किसी का ट्रीटमेंट किया जाता है तो वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन देने के बाद एक-आधे घंटे तक पेशेंट को वहां पर रखना होता है तथा पेशेंट पर उसका कोई साइड इफैक्ट होता है या नहीं होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। कोविड से स्वस्थ होने के बाद भी कई पेशेंट्स में अधिक समय तक अपनी हेल्थ के अनुसार सिम्पटम्स पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी आईसीएमआर उसके ऊपर स्टडी कर रहा है। यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसका जो परिणाम निकलता है, उसको प्रोटोकॉल के अनुसार प्रतिबद्ध किया जाता है। प्रोटोकॉल के अनुसार उसका आगे कैसे ट्रीटमेंट होना है, उसका भी मार्गदर्शन किया जाता है।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन किया है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत समय-समय पर कौन सी मेडिसिन्स लेनी हैं और कौन सी मेडिसिन्स नहीं लेनी है तो उसका प्रोटोकॉल यहां से तय करके दिया जाता था और देश के हॉस्पिटल्स उसको फॉलो करें, ऐसी एक व्यवस्था है। हम अपेक्षा करते हैं और निगरानी भी करते हैं कि उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा, जब ट्रीटमेंट का सवाल आता है और कोई महंगी मेडिसिन या यूजफुल मेडिसिन होती है तो हम अपेक्षा करते हैं कि डॉक्टर, डॉक्टर ही होता है और डॉक्टर के ऊपर भरोसा करने का ही हमारे पास विकल्प होता है। डॉक्टर का भी दायित्व होता है कि वह उसे उचित ट्रीटमेंट दे। लेकिन, अगर उसमें कोई गलत प्रैक्टिस हो जाती है, चूँकि पहले एक प्रैक्टिस चलती थी कि कंपनियों की

तरफ से डॉक्टर्स को बहुत सारे तोहफे दिए जाते थे। ऐसा करके वे ज्यादा मेडिसिन्स बेचने की कोशिश करते थे और जिसमें ज्यादा फायदा होता था। उसका भी कई बार डॉक्टर्स लाभ उठाते थे। आज मोदी जी की सरकार की तरफ से डिसिजन लिया गया है कि किसी कंपनी की ओर से किसी डॉक्टर को किसी तरह का गिफ्ट नहीं दिया जाएगा और किसी भी डॉक्टर को इस तरह के गिफ्ट्स को स्वीकारना नहीं है। यह सुनिश्चित किया गया है, जिससे लोगों को उचित ट्रीटमेंट मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 424,

श्रीमती अपराजिता सारंगी ।

(Q.424)

SHRIMATI APARAJITA SARANGI : Hon. Speaker, Sir, as on 11.10.2021, around 4.5 crore cases were pending in different courts of India. Of these 4.5 crore cases, 87.6 per cent cases belong to the subordinate judiciary alone. Keeping in view the huge pendency of cases and the need to provide easy access, to people in the rural areas, to the justice system, Gram Nyayalayas Act, 2008 was enacted by this Parliament. Now, on the basis of whatever analysis I could do and whatever data I could collect, I can say that only 256 Gram Nyayalayas have been set up so far in 10 States out of 15 States in which they were supposed to come up. It is a very small number. Hon. Supreme Court in 2020 had directed the States to issue notification for setting up of Gram Nyayalayas and had also urged the High Courts to expedite the consultation process required under the law. There is an urgent need, I would submit, to increase the capability of our justice delivery system in order to address the issue of ever-increasing litigation in the country. Against this backdrop, I would like the hon. Minister of Law and Justice to tell us as to what kind of strategy is in place and what kind of action plan is there and how do we go ahead. What is the thought of the Government on this issue? Thank you.

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: अध्यक्ष महोदय, मूल सवाल ग्राम न्यायालय से संबंधित है । ग्राम न्यायालय में मैं बता सकता हूँ कि कितने मामले निपटाए गए हैं, कितने लंबित हैं और राज्यों की स्थिति क्या है । इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो एक्ट है, उसमें यह मैंडेटरी नहीं है कि राज्य ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था लागू करें । यह एक एडवाइजरी है । **15** राज्यों ने अपनी

स्वीकृति व्यक्त की थी**,** लेकिन बाद में केवल **10** राज्यों ने ही ग्राम न्यायालयों को खोला है**, 476** ग्राम न्यायालय नोटिफाई किए गए थे**,** लेकिन केवल **258** इस समय फंक्शन में हैं।

SHRIMATI APARAJITA SARANGI : I thank the hon. Minister for the answer. We need to expand this scope. We need to have more Gram Nyayalayas. Our hon. Prime Minister has been focussing on Antyodaya, and that is the *mool mantra* of our Government. Against this backdrop, I must say that with his directions, the NITI Aayog had gone for an evaluation of the Gram Nyayalaya Scheme very recently. The NITI Aayog recommended the continuation of this scheme, and the Government has announced that Gram Nyayalaya Scheme would continue from 01.04.2021 to 31.03.2026.

So, Sir, through you, I would urge the Government to ensure that we have more number of Gram Nyayalays in the country, and the people in the rural areas get access to the system. And I am sure through this we would be realising the vision of our hon. Prime Minister.

Thank you.

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: अध्यक्ष महोदय**,** मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार द्वारा **1** अप्रैल**, 2021** से लेकर **31** मार्च**, 2026** तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगर राज्य चाहें तो जहां जरूरत है**,** जो रिमोट इलाके हैं**,** जहां वे समझते हैं कि गरीब**,** वीकर सेक्शन्स**,** शिड्यूल्ड कास्ट्स**,** माइनॉरिटी और दिव्यांग लोगों को जाने में दिक्कत होती है**,** वहां राज्य सरकार अपनी समीक्षा के अनुसार न्यायालय खोल सकते हैं और केन्द्र सरकार उसके लिए आर्थिक सहायता देने के लिए जो दिशानिर्देश है**,** उसके अनुसार **18** लाख रुपये देती है। इसमें से **10** लाख रुपये भवन के लिए**, 5** लाख रुपये वाहन के लिए और **3** लाख रुपये फर्नीचर एवं कार्यालय चलाने के लिए दिए जाते हैं। इसी के साथ**, 3.2** लाख रुपये शुरू के तीन वर्षों में उनको दिए जाते हैं।

श्री विनायक भाऊराव राऊत : अध्यक्ष महोदय, अपने देश में पिछले कई वर्षों से करोड़ों की संख्या में, लगभग 3 करोड़ से ज्यादा मामले अभी भी प्रलम्बित हैं। आप भी जानते हैं कि न्याय की अपेक्षा करते-करते कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन उनको अपनी जिन्दगी में न्याय नहीं मिल पाता है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरी एक विनती है, आप अभी देखें कि हमारे कई ऐसे राज्य हैं – गोवा, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, जहां वे एक भी ग्राम न्यायालय शुरू नहीं कर सके हैं। इसके पीछे क्या कारण है**?** खासकर जजों की कमी इसमें एक प्रमुख कारण है।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्यों सरकारों के लिए ग्राम न्यायालय बनाना मैंडेटरी होना चाहिए और उसमें आपकी फाइनेंशियल हेल्प बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी लोगों को सही वक्त में न्याय मिल सकता है। क्या सरकार इसके ऊपर पॉजिटिवली सोचेगी**?**

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: अध्यक्ष महोदय, हमारा संघीय ढांचा है। जो मूल ग्राम न्यायालय अधिनियम, **2008** है, उसमें यह प्रावधान है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो ग्राम न्यायालय खोल सकती हैं। जहां-जहां वे ग्राम न्यायालय खोलेंगी, उनको केन्द्र सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी। मैं भी राज्यों से कहना चाहूंगा कि वे जितनी भी संख्या में ग्राम न्यायालय खोलना चाहें, खोल सकते हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शुरू में केवल **15** राज्यों ने सहमति व्यक्त की और बाद में केवल **10** राज्य फंक्शन कर रहे हैं, जबकि केन्द्र शासित प्रदेश और राज्यों की संख्या सबको पता है। प्रधानमंत्री जी की भी यही इच्छा है कि सबको एक्सेस टू जस्टिस हो, न्यायालय गांव तक, अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचे। यह भी कहा गया है कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय के मामले में भी अंत्योदय दिया जाए।

श्री हनुमान बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 424 के अंदर आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी उत्तर के बिन्दु संख्या (ग) में ग्राम न्यायालयों में न्यायाधिकारी की नियुक्ति के संबंध में बताया है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम**, 2008** की धारा **6(2)** यह उपबंध करती है कि न्यायाधिकारी की नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति**,** अनुसूचित जनजाति**,** महिलाओं तथा अन्य समुदायों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र अपने द्वारा जारी अधिसूचना आदि की समीक्षा करती है या नहीं और अगर करती है, तो राजस्थान में कार्यरत ग्राम न्यायालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं तथा अन्य समुदायों के कितने-कितने सदस्य हैं और इन समुदायों में से कितने सदस्यों को और प्रतिनिधत्व दिया जाना चाहिए?

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में 45 अधिसूचित ग्राम न्यायालयों में 45 पूरे न्यायालय कार्यरत हैं। क्या राजस्थान के उक्त ग्राम न्यायालयों में न्यायधीशों के सभी पद भरे हुए हैं या नहीं, यदि नहीं भरे हुए हैं, तो केन्द्र के स्तर से स्टेट को पद भरने हेतु निर्देश देने को लेकर सरकार की क्या मंशा है? आप यह ब्यौरा प्रदान करें।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : अध्यक्ष महोदय**,** राजस्थान में नोटिफाइड **45** ग्राम न्यायलय थे और **45** ग्राम न्यायलय कार्यरत हैं। जब वे कार्यरत होते हैं**,**…(व्यवधान) मैंने वह काम आपको सौंप रखा है।…(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : आप जैसे सभा में भाषण देते हैं, वैसे बोलिए।…(व्यवधान)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : यह जन सभा नहीं है**,** यह लोक सभा है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप हेडफोन लगा लें।

…(व्यवधान)

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : अध्यक्ष महोदय**,** माननीय सदस्य ने राजस्थान के मामले में चिंता व्यक्त की है। उनके सप्लिमेंट्री प्रश्न में तीन-चार सप्लिमेंट थे। उनके सवाल विस्तारवादी होते हैं**,** मैं उनका जवाब देना चाहूंगा कि राजस्थान में **45** नोटिफाइड ग्राम न्यायालय थे और **45** ग्राम

न्यायलय कार्यरत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे कार्यरत तभी होते हैं और हम पैसा तभी देते हैं, जब वहां फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो जाती है। जब कार्य और पोर्टल पर वे उसकी सूचनाएं भी देते रहते हैं। आपका दूसरा प्रश्न यह था कि क्या केन्द्र सरकार निगरानी करती है**?** इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि दो प्रकार की समितियां हैं। जो राज्य समिति है, उसमें वहां के माननीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, रजिस्ट्रार जनरल, पोर्ट फोलियो मिनिस्टर्स, इनके अलावा गृह सचिव, लॉ सेक्रेट्री और पीडब्ल्यूडी सेक्रेट्री, ये उसके सदस्य होते हैं। केन्द्र सरकार में न्याय सचिव होते हैं, इसके अलावा एक ज्वाइंट सेक्रेट्री होते हैं और उनके अलावा राज्यों के माननीय उच्च न्यायालय होते हैं एवं हमारे यहां एक डेप्यूटी सेक्रेट्री होते हैं, जो संयोजक होते हैं, लगातार हर महीने उसकी निगरानी होती है। वे प्रत्येक महीने की पांच तारीख को पोर्टल पर इस प्रकार के संपादित कार्यों का रिकॉर्ड भेजते हैं।…(व्यवधान)

आपकी आरक्षण में ज्यादा रुचि रहती है। राजस्थान में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसी प्रकार वहां पर जजों की नियुक्ति में यह आरक्षण पूरा किया जाता है। समय-समय पर हमारा विभाग इस बात का भी ध्यान रखता है कि किसी का प्रतिनिधित्व कम न रहे।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 424,

श्री उत्तम कुमार रेड्डी।

(Q. 425)

SHRI UTTAM KUMAR REDDY : Sir, my question was about the Angwanwadi centres, the honorarium being paid to the Angwanwadi workers and helpers, and the rations being supplied. I would like to say that in the written reply, they have stated that 19,156 metric tonnes of wheat, 6,545 metric tonnes of rice and 19,635 metric tonnes of fortified rice have been supplied to the State of Telangana. Sir, through you, I would like to bring to the notice of the Government that not even one grain of wheat or not even one grain of fortified rice has been supplied to the Anganwadi centres in Telangana. … (*Interruptions*). Let me complete. The only foodgrain actually supplied to the Anganwadi centres is the coarse rice with lot of broken rice and foreign material. So, I would like to ask the Government what was the actual supply of foodgrains to the Anganwadi centres in the year 2021-22.

Sir, I would also like to bring to the notice of the Government, through you, that for Anganwadi centres in Telangana, rice, dal and oil are being supplied, but for everything else, for example, to buy gas cylinders, to pay electricity bills, to buy vegetables, salt and other condiments, only Rs. 1.15 per day for every child, and Rs. 2 per day for a pregnant or a lactating mother are being paid.

Now, even for these, the bills have not been paid to the Anganwadi workers and helpers by the State Government for the last six months. Does the Government of India expect that at Rs. 1.15 per child per day the cost of gas, electricity, vegetables, salt, condiments, etc. can be met?

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, the hon. Member seeks an answer as to the supply of food grains and the tonnage given to the particular State that he represents.

The numbers have been mentioned clearly in the Annexure that the hon. Member quotes. I am particularly shocked that the Member levies a serious charge that such food grains have not found themselves in the supply chain in the Anganwadi system of the State. I will, with a note of caution, take his outrage pointedly to the State Government and seek an explanation.

Secondly, the cost norms in collaboration and in conjunction with State Governments are reached on a yearly basis. Apart from money given for food and take-home ration, money is also given for infrastructure facilities.

Upon receipt of detailed response from the State, especially with regard to the charge made by the hon. Member, I will additionally supply to the hon. Member about the infrastructural support given to the States for the Anganwadi system.

Sir, I again reiterate that the charges made by the hon. Member are extremely serious because the supply chain, as has been evidenced in the Annexure, is a position of the Government of India upon receipt of these food

grains by the State Government. Why they have not found -- as per the hon. Member's position -- themselves in a position to receive it at single Anganwadi Centre is a matter of investigation.

SHRI UTTAM KUMAR REDDY : Sir, I would like to bring to the Minister's notice that I stand by my statement that not one grain of wheat or one grain of fortified rice has reached any Anganwadi Centre in the State of Telangana. In your reply about the Anganwadi Centres without adequate infrastructure, 1.33 lakh Anganwadi Centres do not have pukka buildings; 8.5 lakh Anganwadi Centres do not have piped or tapped water; and 2.87 lakh Anganwadi Centres do not have toilets. Does the Government of India have any plan to enhance the infrastructure? I think that there are seven crore children studying in these Centres. At a minimum, we should be able to provide a pukka building, toilets and drinking water. As per the Minister's reply, Anganwadi workers are being paid Rs. 4,500 per month and Anganwadi helpers are being paid, if I remember right, Rs. 2,500 per month. The State Governments are adding something to it and paying it to them. Today, in our State, an Anganwadi worker is being paid Rs. 13,000 a month and Rs. 7,000 is paid for an Anganwadi helper with no medical benefits, no PF, no insurance, no retirement benefits, etc. I would like to bring to the Minister's notice that … (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : It is a good payment as far as other States are concerned.

SHRI UTTAM KUMAR REDDY : Okay, I agree. Anganwadi workers and helpers should at least be paid the minimum wages. There is a wide disparity between the States also. So, I would suggest to the Government of India that the honorarium of the Anganwadi workers paid by the Government of India should be increased to Rs. 10,000 and Anganwadi helpers should be paid at least Rs. 5,000. Thank you, Sir.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI : Sir, the increment that the increased allocation as honorarium to the Anganwadi workers has been done by the Modi Government is possibly an acceptance not expected from the hon. Member. However, there are additional incentives given by the Government of India, additional to the raise in honorarium. I would humbly, Sir, through you, beseech the hon. Member to reflect on the difference between honorarium and the term salary.

I will also however like, through you, to convey to the hon. Member that the Government of India is committed to ensuring that insurance benefits are given to such honorarium workers and those benefits can only be given through the cooperation of the State Governments. We have been in conversation with the State Governments across the country to ensure that the benefits of insurance cover are given to our Anganwadi workers. Additionally, 180 days of maternity leave, 20 days of paid annual leave has been given to Anganwadi workers.

Under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, those who are actively engaged in COVID duties are also covered under the Rs. 50 lakh insurance benefit that the Government of India has professed to the State Governments. It has been our endeavour to ensure that the State Governments give us the details for us to reach out to those workers and their families to provide that benefit. Whichever State has reached out, and listed such workers who have been on such duties, they have duly received support from the Government of India.

SHRIMATI MANGAL SURESH ANGADI : Sir, I want to ask the Minister:- are there any plans for updation of Anganwadis to Smart Anganwadis? Are there any plans to supply study materials which would help the poor parents to give quality education to their children who are studying in private schools?

डॉ. (प्रो.) महेन्द्र मुंजपरा : माननीय अध्यक्ष जी, सक्षम आंगनवाड़ी बनने के लिए एक आंगनवाड़ी में क्या चीजें चाहिए, जिनसे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बढ़े**?** इसके लिए आंगनवाड़ियों में सब चीजें हैं। सबसे पहले तो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए दीवार होनी चाहिए, एलईडी टीवी होना चाहिए, साथ में वॉटर मैनेजमेंट, टॉयलेट फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वॉटर आदि सब कुछ होना चाहिए।

इसके लिए मोदी जी की गवर्नमेंट ने हर साल **40** हजार आंगनवाड़ी, कुल दो लाख आंगनवाड़ियों, को हम सक्षम आंगनवाड़ी नेक्स्ट पांच वर्षों में बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने एक लाख करोड़ रुपये का बजट भी एलोकेट कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर – 426,

श्री रामदास तडस – उपस्थित नहीं।

(Q. 426)

श्री राम कृपाल यादव: सर, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से अपने जवाब में बहुत सारे पहलुओं पर सरकार के स्टैंड को स्पष्ट किया है। कुपोषण देश लिए एक बड़ी समस्या थी, जिस पर खास तौर पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत काम किया। इसके रिजल्ट भी आए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण के अनुसार अब आज के दिन में पांच वर्ष से कम आयु के कुपोषित और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का प्रतिशत क्रमश**: 19.3** और **7.7** है।

सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने जो पूरे देश का आंकड़ा दिया, उसमें बिहार जैसे पिछड़े और गरीब प्रदेश में बच्चों की क्या स्थिति है**?** मुझे कृपया आपके माध्यम से जानकारी दी जाए कि बिहार में इसकी क्या स्थिति है**?**

महिला और बाल विकास मंत्री (**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी**) **:** सर, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहती हूं कि एक तरफ National Family Health Survey का उन्होंने उल्लेख और चिंता न सिर्फ आज बल्कि पहले भी की है। उसके सैंपल साइज के संदर्भ में क्या फाइंडिंग्स हैं, उनका भी उल्लेख किया है।

इसके साथ ही टैक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए भारत सरकार आंगनवाड़ी सेवाओं के माध्यम से 'पोषण ट्रैकर' नामक एक गतिविधि करती है। इसके अंतर्गत बच्चों का वजन मापना, उनकी हाइट मापना और डब्ल्यूएचओ का जो स्टैन्डर्ड है, उसके अंतर्गत बच्चा सुपोषित है या कुपोषित है यह निर्धारित करके वहां की आंगनवाड़ी सहायिका और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अवगत कराना, ताकि वे वहां अपनी कार्रवाई कर सकें और चीफ मेडिकल ऑफिसर के सौजन्य से बच्चे और उसके परिवार को विधिवत सहायता दे सकें।

हमने इस प्रकार का, पिछले साल **13** जनवरी का आदेश सभी प्रदेश की सरकारों को दिया है। मैं इसमें एक ही चीज आपकी अनुमति से जोड़ना चाहूंगी कि पिछले सप्ताह हमने Indian Academy of Pediatrics के साथ एक समझौता करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत देश भर

के जो 30,000 paediatricians हैं, वे अब 'पोषण ट्रैकर' में सुपोषित या कुपोषित बच्चे के डेटा की वैलीडेशन के संदर्भ में अपनी सेवाएं देंगे।

उदाहरण हेतु, फरवरी के महीने में देश में एक करोड़ बच्चों को डब्ल्यूएचओ के मापदंडों पर उनका वजन, उनकी हाइट नापी गई। इसमें पाया गया कि मात्र दो प्रतिशत बच्चे ही सैन चिन्ड्रन हैं, मतलब अति-कुपोषित हैं। अगर आप इसे NFHS डेटा के साथ देखें, तो वहां पर यह आंकड़ा 19 परसेंट आता है। फिर भी यह राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जब तक हम इस डेटा को Indian Academy of Pediatrics के साथ वैलिडेट नहीं कर देते, तब तक इसे प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन आज आपके आशीर्वाद से कम से कम सदन को यह अच्छी जानकारी देने में मैं सफल हो पाई।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न नंबर – 427,

श्री आर.के. सिंह पटेल ।

(Q. 427)

श्री आर. के. सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदय, आज गांवों में गरीब मजदूरों, किसानों, अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग की जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, वे भी खेत-खलिहानों में जाड़ा, गर्मी और बरसात में काम करती हैं। वे आधा भोजन खाकर यह काम करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें पोषित आहार नहीं मिलता है और बच्चा कुपोषित पैदा होता है। वह महिला भी कुपोषण का शिकार होकर तमाम बीमारियों की मरीज बन जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 'कन्या सुमंगला योजना' शुरू की है तथा आपने भी कहा है कि 'प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना' एवं 'जननी सुरक्षा योजना' आपकी सरकार ने लागू की है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ अभी तक उन गरीब महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। जिनके महिलाओं के बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। क्या सरकार उनको भर-पेट पौष्टिक आहार देने की कोई योजना लागू करने जा रही है? इन योजनाओं को साकार रूप में जमीन पर उतारने के लिए क्या कोई कार्य योजना आपके पास है ताकि गरीब वर्ग की जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो खेत-खलिहानों में काम करती हैं, जिनका बच्चा कुपोषित पैदा होता है, उनको कुपोषण से बचाने के लिए उन्हें पौष्टिक आहार दिया जा सके?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूं कि जो प्रश्न उन्होंने लिखित में पूछा और जो चिंता उन्होंने अभी व्यक्त की है, उसमें अंतर है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि इस प्रश्न का उत्तर दूं।

महोदय, भारत सरकार 'मातृ वंदना' योजना के अंतर्गत देश में **2** करोड़ **20** लाख गर्भवती बहनों को उनके बैंक के खाते में छह हजार रुपया प्रति बहन प्रेषित कर चुकी है। वर्तमान में यह स्कीम अभी भी चल रही है। जहां तक पोषण के संदर्भ में माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, देश के **13** लाख **80** हजार आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से **9** करोड़ बच्चों और महिलाओं को पोषण की व्यवस्था भारत सरकार **20** हजार करोड़ रुपये के व्यय के साथ उन्हें दे रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है।

श्री आर. के. सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे देश में महिला और पुरुष के बीच में अंतर अभी भी है। जब बेटी पैदा होती है, तो बोझ बन जाती है और जब बेटा पैदा होता है तो बधाई दी जाती है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने 'कन्या सुमंगला' योजना शुरू करके बेटी-बेटे में अंतर खत्म करने के लिए एक हजार रुपये से लेकर **15** हजार रुपये तक बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई पूरी होने तक देने का काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बेटी-बेटे में अंतर खत्म करने के लिए इस तरह की कोई कार्य योजना भारत सरकार की तरफ से बनाई गई है या बनाई जाएगी जिसके तहत जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त करने में बेटियों की मदद हो सके**?**

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति चाहूंगी कि माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए एक वाक्य कहा, यदि वह छंद हटा दिया जाए तो अच्छा होगा। माननीय सदस्य ने कहा कि 'बेटी जन्म लेती है, तो बोझ बन जाती है' यह किसी प्रश्न का भी अंश नहीं होना चाहिए। जहां तक उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्कीमों का वर्णन माननीय सदस्य ने किया, मेरे लिए यह गौरव की बात है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में अमेठी संसदीय क्षेत्र से सांसद हूं। वहां महिलाओं और बच्चियों से संबंधित जितनी योजनाएं निर्धारित की जा रही हैं, वह भारत सरकार के सहयोग से ही की जा रही हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार शिक्षा नीति में एक जेंडर इन्क्लूजन फंड अगर किसी ने बेटियों को पढ़ाने के लिए स्थापित किया, तो उस नेता का नाम नरेन्द्र दामोदर दास मोदी है। हमारे देश में आज शिक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय करके जो बेटियां स्कूल से बाहर हैं, उन्हें स्कूल लौटाने के लिए देश भर में **5** लाख ऐसी बेटियां चिह्नित हुई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है। देश में **11** करोड़ बहनों के लिए टॉयलेट बनाने का काम भी भारत सरकार ने किया, जिसे उत्तर प्रदेश में इज्जत घर का नाम दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। वह 'आयुष्मान भारत योजना' की चर्चा बार-बार इस सदन में कर चुके हैं। एक महिला होने के नाते मेरा गौरव है कि ग्रामीण अंचल में आज विशेषत: 'आयुष्मान भारत योजना' का नाम ऐसा हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है।

<u>12.00 hrs</u>

देश की **7** करोड़ गरीब बहनों ने अपने-आप को ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीन किया। देश के **25** हजार अस्पतालों में ट्रीटमेंट के लिए सुविधा प्रधान मंत्री जी ने उपलब्ध कराई और साथ ही आज मैं गौरव के साथ सब्जेक्ट टू करेक्शन ऑफ ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर यह कह सकती हूं कि देश के मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर में महिलाओं का **45** करोड़ फुटफॉल 'आयुष्मान भारत योजना' के अंतर्गत अगर किसी ने सुनिश्चित कराया, जिसमें उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है, तो उस नेता का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है।

____

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS
(Starred Question Nos.428 to 440
Unstarred Question Nos. 4831 to 5060)
(Page No.68 to 857)

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

12.02 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को विभिन्न मुद्दों पर माननीय सदस्यों के द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

12.03 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नं**. 2 –** श्री एसपी सिंह बघेल।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (**प्रो. एस. पी. सिंह बघेल**): महोदय**,** मैं लंबित विधि आयोग प्रतिवेदनों - (मार्च, 2022) संबंधी 15वें वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 6900/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (ADV. AJAY BHATT): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the Hindustan Aeronautics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 6901/17/22]

(2) Memorandum of Understanding between the BEML Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 6902/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Shri Bhagwanth Khuba, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Raebareli, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Raebareli, for the year 2020-2021.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6903/17/22]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Bangalore, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Bangalore, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6904/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): On behalf of Dr. R.K. Ranjan Singh, I beg to lay on the Table a copy of the Nalanda University (Amendment) Statues, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. S/321/8/2018 in Gazette of India dated 3rd December, 2021 under sub-section (2) of Section 42 of the Nalanda University Act, 2010.

[Placed in Library, See No. LT 6905/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, for the year 2020-2021.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, for the year 2020-2021.

(2)Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6906/17/22]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940:-

(i) The Drugs (3rd Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.158(E) in Gazette of India dated 24th February, 2022.

(ii) The Medical Devices (2nd Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.174(E) in Gazette of India dated 4th March, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 6907/17/22]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Medical Services Society, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Medical Services Society, New Delhi, for the year 2020-2021.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 6908/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH (DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 56 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020:-

(i) The National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Unani Education) Regulations, 2022 published in Notification No. F. No. 11-76/2021-BUSS (Unani-U.G Regl.) in Gazette of India dated 28th February, 2022.

(ii) The National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Siddha Education) Regulations, 2022 published in Notification No. F. No. 18-12/2021-BUSS (SID-UG-MSE) in Gazette of India dated 9th March, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 6909/17/22]

(2) A copy of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Regulations, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. L-12015/18/2021-AS in Gazette of India dated 12th January, 2022 under Section 29 of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020.

[Placed in Library, See No. LT 6910/17/22]

12.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
34th Report

श्रीमती रमा देवी (**शिवहर**): महोदय, मैं आपकी अनुमति से 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में समिति का **34**वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ।

12.05 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission, Sir, I rise to announce the Government Business for the remaining part of 8th Session of 17th Lok Sabha: -

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: *[it contains*: - **(i)** Consideration and passing of the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022 (with respect of State of Uttar Pradesh) **(ii)** Consideration and passing of the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2022 (with respect to State of Jharkhand), as passed by Rajya Sabha]
2. Consideration and passing of the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022.
3. Consideration and passing of the Indian Antarctic Bill, 2022, after its introduction

---

12.06 hours

INDIAN ANTARCTIC BILL, 2022*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the national measures for protecting the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems and to give effect to the Antarctic Treaty, the Convention on the Conservation of Antartic Marine Living Resources and to the Protocol on Environmental Protection to the Antartic Treaty and for matters connected therewith or incidental thereto.

This is a Bill which is unique of its kind. Also, it is slightly different from the routine business. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप अभी केवल अनुमति लीजिएगा, फिर बाद में बोलिएगा।

… (*Interruptions*)

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the national measures for protecting the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems and to give effect to the Antarctic Treaty, the Convention on the Conservation of Antartic Marine Living Resources and to the Protocol on Environmental Protection to the Antartic Treaty and for matters connected therewith or incidental thereto."

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to oppose the introduction of the Indian Antarctic Bill, 2022 under Rule 72 (1). It is not that principally I am opposing the tone and tenor of this legislative document, but rather I found technical deficiencies including some drafting errors inherent in this legislative document which certainly need to flagged to draw the attention of the Government.

We all know that the Indian Antarctic Programme, which began in 1981, has completed 40 – now it is going to be 41 – scientific expeditions, and built three permanent research base stations in Antarctica, namely Dakshin Gangotri (1983), Maitri (1988) and Bharati (2012). We have already ratified the Antarctic Treaty and Madrid Treaty also. But here, I have some issues that I thought prudent to put before you to draw your attention for further clarifications. The Bill is applicable to Indian citizens and foreign citizens. How can an Indian law be applicable to foreign citizens? How can you punish a foreign citizen if he or she commits an offence under the law? This is my first question.

Secondly, if you see the Australian Antarctic Act or the British Antarctic Act, you will find that the respective Acts are applicable to foreign citizens if the foreign citizens are a part of the Australian expedition to Antarctica or the British expedition to Antarctica, as the case may be. An Act of this Parliament cannot have an extra-territorial approach, I would like to reiterate, an extra-territorial approach. We do not have our own vessel. Sometimes we hire the

polar research vessel in order to continue our expedition to the icy region of the world, to the Antarctic region.

Then, clause 4 provides that no person shall enter or remain in Antarctica without written authorisation of another party to the Protocol. Similarly, no vessel or aircraft registered in India shall enter or remain in Antarctica without written authorisation of another party to the Protocol. There are hundreds of countries who have signed the Protocol. How can any person, expedition or ship get authorisation from all the parties to the Protocol?

That is why, I am simply suggesting the concerned Minister that given the technical deficiencies and other drafting errors, better you should send it for thorough examination to any Select Committee or Joint Committee.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I oppose the introduction of the Indian Antarctica Bill, 2022.

I do not know what authority our Government has over Antarctica! Antarctica is still an uncharted territory. Countries have gone there. We have set up two research stations, including one called Maitri. Our people are going there. Some tourists are going there.

Now, the Minister wants to prohibit Indian expedition to Antarctica without a permit. He wants to establish a Committee on Antarctica Governance to provide for inspection in India by an officer. आप अंटार्कटिक में भी अपनी ब्यूरोक्रेसी पहुंचा देंगे?

If anything is to be done in Antarctica, it has to be done multilaterally after entering into an agreement with several countries. What is the point in bringing an Indian Antarctica Bill when Antarctica is not our territory? Sir, it is legally not tenable to have a law on an area which does not belong to us. This effort to impose an Indian law in Antarctica is wrong, and not a properly thought-out step. I hope, the Minister will desist from this, and if not, will send the Bill to the Standing Committee immediately without any discussion.

माननीय सभापति: मंत्री जी**,** क्या आप कुछ कहना चाहेंगे**?**

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, रूल 72(1) में रोज अपोजिशन बोलने के लिए बोलती है। संविधान के बाद रूल 253 में … (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : It is our right.

माननीय सभापति : ठीक है**,** वह हो गया।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री अर्जुन राम मेघवाल**): महोदय**,** एक मिनट बोलने दीजिए।… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, रूल 253 पढ़िये। मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अधीर जी**,** आप अपनी बात बोल चुके हैं। आप बैठिये।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Let him speak.

… (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अधीर जी**,** आप बैठिये तो सही। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है**?** यह सुनने दीजिए। आप बोलिए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record, except Shri Nishikant Dubey.

… (Interruptions) *

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, रूल 253 है-

> "Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries or

---

* Not recorded.

any decision made at any international conference, association or other body. ”

इसके बाद भी यदि इस तरह की बातें होती हैं तो मुझे लगता है कि यह गलत है और इसको ओवररूल करना चाहिए।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अधीर जी**,** आप बैठ जाइये।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, listen to the hon. Minister. You have made your points.

… (*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Chairperson, Sir, Prof. Sougata Ray is a learned person. I agree with him that Antarctica is no man’s land.… (*Interruptions*) Please give me one minute.… (*Interruptions*) That is precisely what I am saying. It is not that India is going to make a *kanoon* for a territory which does not belong to India or any other country. Actually, we have a treaty called Antarctica Treaty, which was signed in 1959. It now has 54 signatories. India too is a signatory to it. Now, India also enjoys the Consultative Status. Of these 54 countries, 29 countries enjoy that privilege, of which India is one.

As per that treaty, it is mandatory and binding on all the member countries – which are 54 – to have some kind of a provision to prevent or check unlawful activity happening in the area where they have set up their research stations. China has, for example, five research stations over there. Russia has five, Argentina has about eight or two stations but they are small.

PROF. SOUGATA RAY: We have two.

DR. JITENDRA SINGH: As Prof. Sougata Ray has rightly mentioned, we have two, one is Bharati and the other is Maitri. At the same time, there are two more treaties, one is the Convention on the Conservation of Antarctica Marine Living Resources, of which India is a signatory. It will prohibit any marine living resource being violated. The other treaty is, the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty. The question is, if in the territory occupied by the Indian research station some unlawful activity happens, how to check it. I agree with you that it is a no man's land. … (*Interruptions*) In the Antarctic Treaty, an answer was determined for this. It made mandatory for all the fifty-four countries that whichever area is occupied by a particular country's set-up, that country will enforce its laws. In order to honour that, this Bill has been brought to seek the sanction of the Parliament. … (*Interruptions*)

Secondly, there will be no bureaucrat. Maybe, a liaison officer or a law officer will be there to check and prevent unlawful activities in the form of illegal mining or marine violation there. So, this has been done with a very noble objective with the consensus of all the countries. I think, in the long run, this will have a bearing on geo-politics. As Prof. Sougata Ray is saying, ultimately who stands where. It is because India also cannot keep itself aloof when every other country, including China, has enforced its laws in their territory. … (*Interruptions*) We are still neutral. This law also has a very limited application. If some unlawful activity is happening in the territory of the research station, a law has to be there.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि अंटार्कटिक पर्यावरण तथा उस पर निर्भर और उससे संबद्ध पारिस्थितिकीय-तंत्रों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपाय करने तथा अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक जलीय जीवन संसाधनों के संरक्षण संबंधी अभिसमय और पर्यावरण संरक्षण संबंधी अंटार्कटिक संधि के नयाचार को प्रभावी करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. JITENDRA SINGH: Sir, I introduce* the Bill.

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, इसको सिलेक्ट कमिटी में भेजा जाए।

... (व्यवधान)

* Introduced with the recommendation oif the President.

माननीय सभापति: आज केवल उन्हीं माननीय सदस्यों को शून्य प्रहर में अनुमति होगी, जिनके नाम लिस्टेड हैं, उसके पश्चात एक बिल भी होना है तो शून्य प्रहर प्रारंभ करते हैं।

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ।

… (व्यवधान)

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Hon. Chairperson, Sir, thank you.

I am raising a matter with regard to National Highways. The dedication and sincerity of the Ministry of Road Transport and Highways are appreciable.

The Krishna-Godavari delta region is producing the highest quantity of rice in the country and, therefore, is known as the Rice Bowl of India. The region needs proper roads. Kakinada region is a port city and a smart city as well. Rajahmundry is a famous business city. Amalapuram region is producing the highest quantity of agricultural and coconut products. Due to heavy traffic rush, it becomes difficult to transport agricultural produce across the country. Therefore, there is a need for the conversion of the following State roads into National Highways.

State Highway from Kakinada to Rajahmundry -- to connect District Headquarters and Vemagiri (NH-216) -- is required. Connecting NH-216 to NH-16 -- between Kakinada to Jonnada -- is required.

Connecting National Highway No. 216, between Kakinada and Amalapuram, -- starting from Kakinada and terminating at Amalapuram on NH-216 -- so as to connect pilgrim towns of Draksharama and Ainavilli, is required.

Connection of NH-216 at Chollangi with NH-516F -- connecting Anchorage Port -- is required.

Further, approach roads are required to be constructed at Gavarayya Koneru at Tuni Mandal. An arrangement of vehicular underpass or flyover and lighting system at thirteen junctions should be made.

The work with regard to junction improvement at Padadaya at Pithapuram is required to be undertaken. There should be a provision for a ropeway at Annavaram area. Trauma care centre is required to be constructed at Jaggampeta, connecting National Highway 216 and National Highway-16.

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): सभापति महोदय, देश में दिन प्रति दिन कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां बढ़ रही हैं। उसका मुख्य कारण है कि रासायनिक खाद और कैमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग किसान करता है। इसीलिए केवल कैंसर ही नहीं और भी बहुत सी बीमारियां बढ़ रही हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2015-16 में जैविक खाद, जो हम फसल बोते हैं, सब्जियां बोते हैं, फ्रूट लगाते हैं, उसका ज्यादा उपयोग कर के हम जमीन को ताकत कैसे दे सकते हैं, किसानों को पहली बार यह प्रोत्साहन देने के लिए, अलग से कृषि मंत्रालय के माध्यम से इंसेटिव देने के लिए एक योजना बनाई। परंतु वह योजना, क्योंकि प्रदेश सरकार के माध्यम से उसकी यूनिट या तो विलेज यूनिट या क्लस्टर के तौर पर या ब्लॉक लैवल पर तैयार की गई, जिसका फायदा इन अधिकारियों की वजह से, प्रदेश सरकार की वजह से उस किसान को नहीं मिल पाता है, क्योंकि कागज़ी कार्रवाई बहुत ज्यादा हो जाती है।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से कृषि मंत्रालय से प्रार्थना है कि जो किसान जैविक खाद का उपयोग करेगा, उसको इस मशीनरी से अलग हटाकर किसानों को सीधा 12,000 रुपये प्रति एकड़ दें।

सभापति जी, मेरा संसदीय क्षेत्र भिवानी, चरखी दादरी, महेन्द्रगढ़ और नारनौल है । यह राजस्थान की सीमा से लगता है । यह किसान बाहुल्य क्षेत्र है । यहां पर बाजरा, गेहूँ, ज्वार, जौ सबसे ज्यादा पैदा होते हैं। सब्जियों में भी यहां हरी मिर्च, गाजर, मूली, टिंडे, सब कुछ होते हैं।

महोदय, आपके माध्यम से मेरी मंत्रालय से प्रार्थना है कि भिवानी, महेन्द्रगढ़ और दादरी, तीनों जिलों का जो एक पार्लियामेंट क्षेत्र है, इन्हें एक क्लस्टर के तौर पर सीधे शामिल किया जाए, ताकि किसान इस बात का फायदा लेकर जैविक खेती का उपयोग करके बीमारी से बचा सके।

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): सभापति महोदय, भारत सरकार ने जिन 19 नए हवाई अड्डों के निर्माण की स्वीकृति दी है, उसमें मध्य प्रदेश में रीवा को भी स्वीकृत किया गया है, इसके लिए मैं प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी व नागरिक उड्डयन एवं विमानन मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसमें राज्य सरकार भी अपना पूरा सहयोग कर रही है।

महोदय, जिस तरह से प्रधान मंत्री जी ने हवाई चप्पल वाले को भी हवाई यात्रा करने के उद्देश्य से 'उड़ान' योजना लागू की है, उससे रीवा भी जुड़ना चाहता है । इसके लिए वर्तमान में इंडिगो की फ्लाइट भोपाल से प्रयागराज और वापसी प्रयागराज से भोपाल चल रही है। 'एटीआर 72-600' एयरक्राफ्ट के हिसाब से इतने यात्री इस रूट पर नहीं हो पाते हैं। यदि इसी फ्लाइट को भोपाल से रीवा और रीवा से प्रयागराज कर दिया जाए तो यह 'एटीआर 72-600' एयरक्राफ्ट की कपैसिटी के हिसाब से यात्री भी प्राप्त हो जाएंगे, जिससे यह यात्रियों और एयरलाइन्स, दोनों के लिए लाभदायक होगा।

अत: आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी करके भोपाल से रीवा और रीवा से प्रयागराज के लिए हवाई यात्रा शुरू करवाने की कृपा करें।

माननीय सभापति : कुंवर दानिश अली **-** उपस्थित नहीं। श्री ए**.** गणेशमूर्ति **-** उपस्थित नहीं।

श्री गुहाराम अजगल्ले (जांजगीर-चांपा): सभापति महोदय, मेरा विषय शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम हसौद में जन आकांक्षाओं के अनुरूप नवीन केन्द्रीय विद्यालय खोलने की औपचारिकताएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। जब मैं चौदहवीं लोक सभा का सदस्य रहा, उस समय जन भावनाओं के अनुरूप मैंने शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से हसौद में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग की। जांजगीर-चांपा लोक सभा संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं भारत सरकार को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से सविनय आग्रह करता हूं कि नवीन केन्द्रीय विद्यालय दो सेक्शन्स में अतिशीघ्र प्रारंभ करने हेतु आवश्यक आदेश-निर्देश जारी करने की कृपा करें।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Hon. Chairperson, Sir, the National Overseas Scholarship Scheme of the Ministry of Social Justice and Empowerment provides funding for students from Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and landless agricultural labourer families to pursue post-graduate education in top-ranked foreign universities. It is disheartening to note that the Scheme provides the scholarship only to 125 students per year whereas the total number of students going abroad every year is 5.5 million. Further, Sir, if you see the record, only 39 in 2021, 76 in 2020, 46 in 2019, and 15 in 2018 were actually awarded the scholarship.

The hon. Minister owes an answer for such low numbers of students. Is the Government trying to imply that meritorious students even did not apply for this scholarship? Why were 125 students not given the opportunity every year? Moreover, the Government, without any consultation and just two months before, has stated that it will no longer fund the students who want to study culture and heritage of India from abroad. The Government is again creating a

divide and intending to keep the marginalised at their current position. So, the Government must immediately look into the matter and let the House know the reasons behind such steps and statistics.

SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): Hon. Chairperson, at the outset, I would like to congratulate you for giving me this opportunity to speak during the `Zero Hour'. Today is the Foundation Day of the State of Odisha. On this occasion I would like to congratulate all the hon. Members present in this august House.

India is a Welfare State and many welfare activities are carried out by many Non-Governmental Organisations (NGOs). Since the last two years -- particularly during the Corona time -- dues of the NGOs, for the works that they have done, are pending with the Government. These Organisations are engaged in activities that help to improve the lives of the down-trodden people. There are many NGOs who are working in the State of Odisha and they work in areas like prevention of alcoholism and use of psychotropic substances, welfare of women and children, and in many other areas. These NGOs are supported by the Ministry of Social Justice and Empowerment.

Sir, I would like to urge upon the Government to clear the dues for the work that they have done in the last two years. Last but not the least, I would like to draw your kind attention that because of your good heart you are allowing the hon. Members to speak and present their cases before the Government during the `Zero Hour' and draw the attention of the Government at the same time. You should also intervene and see that the Members who

raise their points here should get justice by receiving response from the Government on matters that we are raising on the floor of House.

Thank you.

माननीय सभापति : श्री अर्जुन लाल मीणा – उपस्थित नहीं

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये दोनों योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह योजना देश में 1 अप्रैल, 2018 से लागू हुई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से गरीब लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराना है। सभापति महोदय, मैं गर्व से बताना चाहता हूँ कि इस योजना के माध्यम से रुग्ण को पाँच लाख रुपये का धन दिया जाता है। 10 करोड़ जो बी.पी.एल. धारक हैं, 10 करोड़ बी.पी.एल. धारक का मतलब है कि आज तक पाँच लाख करोड़ लोगों को इसका लाभ दिया गया है। इसलिए, मैं इस देश के लाडले पंतप्रधान आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को हृदय से बधाई दूँगा, उनका अभिनंदन करूँगा और उनका आभार भी मानूँगा। इस देश में वे बहुत ही अच्छी व्यवस्था लाए हैं। सभापति महोदय, इस बहाने मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के अपने संसदीय क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहूँगा। मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली- चिमुर, जो कि देश का सबसे बड़ा आदिवासी बहुल, घना, नक्सल प्रभावित, अविकसित, लेकिन आकांक्षी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वर्ष 2011 में जब जनगणना की गई, तब उस जनगणना में बहुत सारे लोग, जो बी.पी.एल. धारक थे, छूट गए। इनके छूट जाने से अभी भी कुछ लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मेरी सरकार से दरख्वास्त एवं अनुरोध है कि फिर से सर्वे और जनगणना करके, जो बी.पी.एल.धारक छूटे हुए हैं, अगर उनका नाम लिस्ट में आ जाए तो उनको भी हम इस योजना का लाभ दे सकते हैं।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, I would like to extend my greetings to everyone on the occasion of Utkal Divas which is also the Odisha Foundation Day. I would like to raise a very important issue about Laxmipur Road Railway Station. It is a very important station given that the people of Bandhugaon, Narayanpatna, Dasmanthpur Block and Laxmipur Block depend on this railway station to commute to various places. Since COVID-19 lockdown and unlock down, trains like Hirakhand Express, Rourkela-Koraput Express and Samaleshwari Express are not halting at this particular station. I have been raising this issue multiple times but the Government is not giving any clear answer as to when the trains will stop at this particular station. Sir, through you, I would like to request hon. Minister, Shri Ashwini Vaishnaw, to immediately ensure that the express trains stop at this particular railway station as this is a very important railway station. Thank you, Sir.

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर): सभापति जी, धन्यवाद । मेरे भावनगर डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील सिहोर है । यह बहुत प्राचीन नगर है, जिसको हम छोटा काशी भी कहते हैं । सिहोर शहर के बीचोंबीच से भावनगर-राजकोट नेशनल हाईवे पास हुआ है । शहर के बीच में से पास होने की वजह से नागरिक के साथ-साथ वाणिज्यिक वाहनों का भी बहुत आवागमन वहां रहता है और लंबा ट्रैफिक जाम सिहोर के नगरवासियों को सहना पड़ता है । नजदीक में एक रेलवे क्रॉसिंग भी है । प्रतिदिन बहुत सारी ट्रेन्स भी वहां से चलती हैं । विकट परिस्थिति तब आती है, जब किसी को हॉस्पिटल जाना है या स्कूल के बच्चों या कॉलेज के स्टूडेंट्स को या नौकरी करने वालों को जब टाइम पर पहुंचना होता है, तो वे लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं । लंबा ट्रैफिक जाम होने की वजह से वहां पॉल्यूशन भी बहुत होता है । मैं आपके माध्यम से माननीय रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी

से अनुरोध करती हूं कि एक बाईपास सिहोर शहर के बाहर से बने। वह बाईपास सूचित भी है, प्रपोज्ड है। वह बाईपास जल्द से जल्द बनाया जाए, जिससे सिहोरवासियों को लंबे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सके।

*__SHRI P. VELUSAMY (DINDIGUL__): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. In Dindigul parliamentary constituency of Tamil Nadu, farmers cultivate Gloriosa Superba- a flowering plant in large scale. But they do not get a remunerative price for this produce. Golriosa Superba is also called as glory lilly. It has 24 types of alkaloids (nitrogenous carbon compounds) as well as non-alkoloid compounds. This is used in allopathic medicine as a pain reliever. This flowwr is also used in traditional systems of medicine. Union and State Procurement centres should come forward to procure Gloriosa Superba produce on a Minimum Support Price and thought DBT this subsidy should be given to farmers. Hon Minister should address the concerns of Gloriosa Superba farmers and provide the, the remunerative price. Moreover the Crop insurance should be ensured for this produce. Under the Prime Minister Crop Insurance Scheme, still the insurance claims of around 8873 acres of land for the year 2019-20 are to be settled to the corn and groundnut farmers of Dindigul constituency, who are almost 4855 in number. As regards the Crop insurance claims for the year 2021-22 for the paddy, corn and cotton growing farmers, out of 26438 farmers, only 6348 corn farmers have received claim money for 3014 acres of land . I urge the Union Government that the remaining crop insurance claims are to be settled at the earliest so as to give relief to the farmers who are already stressed very much.

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

HON. CHAIRPERSON: I think you have changed the subject. You should have informed it.

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना):सभापति महोदय, आपने मुझे अपने लोक सभा क्षेत्र गुना से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को शून्य काल में संसद के समक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, गुना से बीना और गुना से भोपाल, दो पैसेंजर ट्रेन्स मेरे क्षेत्र में काफी समय से संचालित थीं और यह मेरे क्षेत्र की लाइफ लाइन मानी जाती थीं। इन ट्रेन्स के बंद होने के कारण निकट गांव के स्कूल्स के विद्यार्थी, कॉलेजेज़ के विद्यार्थी, छोटे-बड़े व्यापारी, किसान, मजदूर व कर्मचारियों को यात्रा करने में काफी असुविधा हो रही है। इन ट्रेन्स से काफी संख्या में लोग यात्रा करते थे। कोरोना केसेज़ में भारी गिरावट के बाद और सामान्य माहौल होने के बाद भी आज तक इन ट्रेन्स का दोबारा से संचालन शुरू नहीं हुआ है। भोपाल या दिल्ली में जब भी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई, तो मुझे आश्वासन दिया गया और बताया गया कि आपके क्षेत्र में नई मेमू ट्रेन की शुरुआत की जाएगी।

सभापति महोदय, आज तक नई मेमो ट्रेन की शुरूआत नहीं हुई है, गुना से बीना और गुना से भोपाल उस क्षेत्र की लाइफ लाइन है। उन ट्रेनों का परिचालन अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पुन: पूर्ण रूप से तत्काल प्रभाव से इन ट्रेनों को चालू किया जाए ताकि लोगों को यात्रा में असुविधा न हो।

श्री राहुल कस्वां (चुरू): सभापति महोदय, राजस्थान एक सूखा क्षेत्र है, जहां पशुपालकों को चारे के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। राजस्थान के किसान पशुओं के लिए गेहूं का भूसा जिसे स्थानीय भाषा में तूरी कहते हैं, पशुओं को खिलाते हैं। इस समय तूरी की कीमतों में जबर्दस्त इजाफा हुआ है।

पिछले साल के मुकाबले जहां **300** रुपये प्रति क्विंटल की रेट थी, वह अब बढ़कर **900** रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। कुछ क्षेत्रों में **1300** रुपये प्रति क्विंटल की रेट पर भी पहुंच गई है। यह पशुपालकों के लिए बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हर गांव में गौशालाएं खुली हुई हैं, उनकी अनुदान की राशि बढ़ाई जाए। इसके साथ ही मैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से अनुरोध करूंगा कि एक गाइडेंस इश्यू किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट टोल टैक्स के साथ-साथ आरटीओ के टैक्सेज में भी रियायत दे।

महोदय, बढ़ते हुए तूरी के रेट को देखते हुए दूध की कीमतों में बढ़ावा नहीं हो रहा है। दूध की कीमतों में बढ़ावे के लिए सरकार को कुछ न कुछ योगदान किसानों को देना चाहिए। महंगाई के टाइम में जहां भाव पहुंचा हुआ है, इससे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला ले।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वर्ष 1959 से पहले भारत के हिमालयन क्षेत्र में जहां ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट लोग रहते थे, वहां से हजारों लोग मोनेस्टरी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए तिब्बत जाया करते थे। वर्ष 1959 के बाद, चाइनीज ऑक्युपेशन के बाद, चीन जाना बंद हो गया। बहुत सारे महत्वपूर्ण मोनेस्टरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स हैं, जैसे साक्या-पा, गेलूग-पा, कागयू-पा, निनग्मा-पा, सभी इंस्टीट्यूशन धीरे-धीरे वर्ष 1970-80 में इंडिया में स्थापित होने लगे। आज भारत में बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्टरी एजुकेशनल इंटस्टीट्यूशन्स हैं। कर्नाटक के मैसूर, मोनकार्ड, देहरादून, सिक्किम और दार्जिलिंग में है। ये मोनेस्टरी इंस्टीट्यूशन हजारों स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मोनेस्टरी एजुकेशन दे रहे हैं।

ये सारा कैरिकुलम बिहार के नालंदा परंपरा पर आधारित है । इंडियन स्कॉलर आचार्य शांता रक्षिता हों, शांति देवा हों, धर्मकीर्ति हों, वसुबंधु हों, चन्द्रकीर्ति हों, इन विद्वानों की विद्या को दिया जा रहा है ।

वर्ष 2008 के बाद चीनी रूल होने से चीनी स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं । लेकिन नेपाल, भूटान, मंगोलिया, लद्दाख, अरूणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और दार्जिलिंग के स्टूडेंट्स उन मोनेस्टरी एजुकेशन में शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर रहे हैं ।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि ऐसी शिक्षा को हायर एजुकेशन लेवल पर कॉलेजज और यूनिवर्सिटीज के लेवल पर रेग्युलराइज करने की आवश्यकता है । जो यहां से डिग्री हासिल कर रहा है, डिप्लोमा हासिल कर रहा है, उनको रिकग्नाइज करने की आवश्यकता है ।

इसके साथ ही, इन मोनेस्टरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भारत सरकार की ओर से ग्रांट इन एड देने की आवश्यकता है । स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने की आवश्यकता है ।

यही मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*[*] **SHRI DHAIRYASHEEL SAMBHAJIRAO MANE (HATKANANGLE)**: Hon'ble Chairman Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak in this Zero Hour. I would like to draw the attention of this House towards a very important issue. In this country, Lingayat community has a sizable population in Southern part of India. Mahatma Basaveshwara founded this Lingayat sect in 12th Century AD. He united all the downtrodden and marginalised people from all the classes and castes. He also constituted 'Lok Sansad' called 'Anubhav Mandap'. These Lingayats are demanding to be recognised as Minority community and to achieve that Lingayat should be recognised as an independent and separate religion.

Till 1941, they were recognised as a minority having separate religion. But after independence, this minority status was quashed. Hence, I would like to request the Central government that a minority status of Lingayat community should be restored to bring them to mainstream.

Thank you.

---

[*] English translation of the speech originally delivered in Marathi.

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन में अविलंबनीय मुद्दा उठाना चाहता हूं।

महोदय, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड सहित मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा तथा चित्रकूट में प्रयागराज और कानपुर डिपो से इंडियन ऑयल कंपनियों से डीजल और पेट्रोल की सप्लाई टैंकरों द्वारा की जाती है। कंपनियां डीजल और पेट्रोल भेजती हैं लेकिन बीच में टैंकरों से डीजल निकालकर मिलावटी तेल डाल दिया जाता है। इस कारण यहां के लोगों को मिलावटी तेल इस्तेमाल करना पड़ता है। टैंकरों में ई-लॉकिंग सिस्टम दिया गया है, ई-लॉकिंग सिस्टम में मोबाइल में ओटीपी आता है, इसके माध्यम से ही यह खुलना चाहिए, लेकिन कंपनियों की मिलीभगत से बीच में ही टैंकरों को खोलकर मिलावटी तेल की सप्लाई की जाती है। मैंने चित्रकूट जिले में जिला अधिकारी से कई टैंकरों की जांच कराने के लिए कहा और उनके खिलाफ कार्यवाही भी की गई। अभी भी टैंकर खड़े हैं, लेकिन कंपनियां मिलावटी तेल बेचने से बाज़ नहीं आ रही हैं, बीच में ही सिस्टम तोड़ दिया जाता है।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इस तरह का कृत्य करने वालों, कंपनियों और बिचौलियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): माननीय सभापति जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे शून्य काल में मेरे संसदीय क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दे को उठाने का अवसर दिया।

महोदय, अजमेर संसदीय क्षेत्र में स्थित राजमार्ग संख्या **79** एवं **79**ए किशनगढ़-अहमदाबाद पर वर्तमान में सिक्स लेन हाईवे का निर्माण कार्य प्रगतिरत एवं अंतिम चरण में है। गत तीन वर्षों से उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सिलोरा, श्रीनगर, दिलवाड़ा, बान्दनवाड़ा एवं संजय नगर, बरल द्वितीय के स्थानीय ग्रामवासी, पशुपालक, किसान एवं अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के प्रतिनिधि मंडल मेरे आवास पर एवं क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उपस्थित होकर उक्त स्थानों पर नवीन ओवरब्रिज एवं आरीवाल पुलिया निर्माण की मांग कर रहे हैं। इन सभी स्थानों पर उक्त निर्माण के अभाव में स्थानीय स्तर पर इन वर्गों द्वारा मौके पर जाकर सिक्स लेन हाइवे निर्माण के कार्य को अवरुद्ध भी

किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों को प्रतिदिन हाईवे के आरपार दोनों तरफ आवाजाही करनी पड़ती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं दो वर्षों से इसके लिए पत्र लिख रहा हूं, लेकिन आज तक सिलोरा, श्रीनगर, दिलवाड़ा, बान्दनवाड़ा एवं संजय नगर, बरल द्वितीय में आरीवाल पुलिया का निर्माण नहीं किया गया। इसके कारण बहुत बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। वहां के ग्रामवासी सड़क को अवरुद्ध करते हैं और हड़ताल भी करते हैं।

मेरा आपके माध्यम से सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से निवेदन है कि आरीवाल पुलिया का निर्माण किया जाए। धन्यवाद।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): माननीय सभापति जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आप जानते हैं कि देश के अंदर मॉब लिंचिंग किस तरह से लगातार बढ़ रही है। आपने देखा होगा, चाहे हरियाणा का पहलू खान हो, उत्तर प्रदेश का अखलाक हो, महाराष्ट्र में साधुओं की मॉबलिंचिंग हुई हो या झारखंड में तबरेज़ अंसारी की मॉब लिंचिंग हुई हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा भारत सरकार को एक डायरेक्शन दी कि मॉब लिंचिंग पर कानून बनाया जाए।

लेकिन, भारत सरकार सोई हुई है। उस पर कानून नहीं बनाया। कुछ प्रदेश सरकारें मॉब लिचिंग के खिलाफ कानून बनाना चाहती हैं। उन्होंने कानून पास करके राज्यपाल को भी भेजा है, लेकिन केंद्र सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नर हैं, वे मॉब लिचिंग के खिलाफ बने हुए कानून को अपनी अनुमति नहीं दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों झारखंड की असेम्बली ने मॉब लिचिंग के खिलाफ कानून पास किया। झारखंड सरकार ने गवर्नर साहब से दुहाई लगाई, लेकिन गवर्नर साहब ने काफी दिन तक रखने के बाद उसको वापस कर दिया। सरकार की नीयत क्या है? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि मॉब लिचिंग के खिलाफ कानून बनना चाहिए, तो न केंद्र सरकार कानून बना रही है और न उन राज्य सरकारों को अनुमति दे रही है। जो सरकारें अपने यहां कानून

बनाना चाहती हैं, गवर्नर्स के माध्यम से उनको रोका जा रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि मॉब लिचिंग के खिलाफ कानून बनाया जाए। … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं और सुरेश जी एक-एक मिनट बोलना चाहते हैं।

माननीय सभापति : केवल आप बोलिए। आप लीडर हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मेरी सदन से गुजारिश है कि आज एमएसएमई सेक्टर की हालत बहुत खराब होती जा रही है। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, वे अपना टर्न ओवर बढ़ाना चाहती हैं। वे **50** करोड़ रुपये और कम से कम **100** करोड़ तक बढ़ाना चाहते हैं। जो ग्रजुएटिंग पीरियड है, जिसे वर्ष **2013** के नोटिफिकेशन में तीन साल किया गया था, अब उसको घटाकर एक साल किया जा रहा है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: ठीक है। अब हो गया।

… (व्यवधान)

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	**सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।**
Shri Ashok Mahadeorao Nete	Shri Gopal Shetty Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri R.K. Singh Patel Shri Bhagirath Choudhary Shri Jamyang Tsering Namgyal	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Rahul Kaswan	Kunwar Pushpendra Singh

Shri Janardan Mishra Shri Dharambir Singh Shri Guharam Ajgalley Dr. Bharatiben D. Shyal	Chandel

12.46 hrs

MATTERS UNDER RULE -377*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है, वे कृपया उन्हें सभा पटल पर रखने का कष्ट करें।

(i) Regarding making available Ayush medicines in rural areas of the country

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): कोरोना महामारी के दौरान आयुष मंत्रालय की ओर से सुझाई गई औषधियों और परामर्श को अपना करके करोड़ों भारतवासियों ने अपने स्वास्थ्य को बनाए रखा है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी और आयुष मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं।

जनता में आयुष औषधियों के सेवन के प्रति बहुत बड़ी मात्रा में जागरूकता बढ़ी है, परन्तु बड़े शहरों को छोड़ दें तो उनकी ग्रामीण व सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक आयुष औषधियों की उपलब्धता नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आयुष औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता के लिए मंत्रालय क्या करने जा रहा है।

---

* Treated as laid on the Table.

(ii) Regarding promotion of one district one product scheme in Guna Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): भारत सरकार द्वारा One District One Product की महत्वकांक्षी योजना संचालित की जा रही है जिसमे मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 3 जिलों को शामिल किया गया है जिसमे अशोकनगर एवं गुना को टमाटर और शिवपुरी से धनिया को चिन्हित किया गया है। मेरा लोक सभा क्षेत्र एक आकांक्षी जिला है और यहाँ औद्योगिक विकास का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप रोज़गार के सीमित अवसर है।ODOP एक व्यापक परियोजना है जिसके माध्यम से रोज़गार उत्पन्न होंगे।मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे लोक सभा के अंतर्गत ODOP में आने वाले तीन जिलों को cluster based model की तरह विकसित करके यहाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाए जिससे मेरे क्षेत्र का विकास हो और टमाटर एवं धनिया की खेती करने वाले किसानों की आय दोगुनी होगी और processed food को निर्यात करके देश की अर्थव्यवस्था के विकास में मेरे क्षेत्र का भी योगदान होगा। इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है की स्थानीय entrepreneurs को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा एक निर्धारित fund का गठन हो जिसके माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण से सम्बंधित entrepreneurs को आर्थिक सहायता मिले और प्रधान मंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बल मिले।

(iii)Regarding ban on sand mining

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): हमारे देश के ऋषितुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने देश की बड़ी नदियों जैसे गंगा, यमुना तथा सरस्वती के स्वच्छता अभियान का कार्य प्रारंभ किया है तथा इस क्षेत्र में अभी तक सरकार द्वारा उल्लेखनीय कार्य निष्पादन किया गया है। नर्मदा नदी भी देश की एक बड़ी तथा पवित्र नदी है जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर गुजरात के भरूच में समुद्र से मिलती है। पहले इस नदी में निरंतर जल प्रवाह होता रहता था जिसके चलते इस नदी के किनारे रहने वाले किसान सब्जी इत्यादि उगाकर अपना जीवन यापन करते थे तथा मछुआरे भी मछली पालन करके अपनी जीविका अर्जित करते थे तथा नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। परंतु नर्मदा नदी पर बड़े-बड़े बांध बनने के बाद अमरकंटक से भरूच के समुद्र तक निरंतर बहने वाला जल प्रवाह अब बंद हो गया है। नर्मदा नदी में जल प्रवाह बंद हो जाने के कारण नर्मदा तट पर रहने वाले किसानों, मछुआरों, परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं तथा नदी की पवित्र धारा में स्नान करने वाले भक्तों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि मां नर्मदा की धारा को अविरल प्रवाहित करने के लिए रेत खनन जैसी अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों द्वारा बनाई गई छोटी-छोटी पुलियों को तत्काल हटा देना चाहिए तथा रेत खनन पर पाबंदी लगाने हेतु तत्काल कठोर कदम उठाने चाहिए।

(iv)Need to restore stoppage of trains at Khoirabari Railway station in Mangaldoi Parliamentary Constituency, Assam

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई): मेरे संसदीय क्षेत्र मंगलदेई के उदालगुड़ी जिले में खोएराबारी रेलवे स्टेशन है जहां पर कोरोना महमारी से पहले 15895-15896 रंगिया- मुरकोंगस्लेक, मुरकोंगस्लेक- रंगिया पैसेंजर स्पेशल, 15613-15614 गुवाहाटी- मुरकोंगस्लेक, मुरकोंगस्लेक- गुवाहाटी लासित एक्सप्रेस, 15815-15816 गुवाहाटी- डेकरगांव, डेकरगांव इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव था। लेकिन कोरोना महामारी के बाद उपरोक्त ट्रेनों का खोएराबारी रेलवे स्टेशन में ठहराव खत्म कर दिया गया है जिससे इस क्षेत्र की जनता, विद्यार्थी इत्यादि को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका प्रभाव यहां की दैनिक और व्यवसायिक गतिविधियों पर भी पड़ा है। जैसा कि अब कोरोना का प्रभाव भी लगभग खत्म हो चुका है और दैनिक स्तर पर गतिविधियां अब सुचारु रुप से चल रही हैं । इसलिए मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त ट्रेनों को खोएराबारी रेलवे स्टेशन में ठहराव कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश देने का कष्ट करें।

(v)Need to declare Tilak Library situated in Meerut, Uttar Pradesh as a heritage institution

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक व प्रमुख नगर है। इस नगर में प्रसिद्ध तिलक पुस्तकालय एवं वाचनालय है जिसकी स्थापना 4 नवंबर सन 1886 ई. को हुई थी, तथा स्वाभाविक ही यह पुस्तकालय महानगर के प्राचीनतम पुस्तकालयों में से एक है। इस पुस्तकालय में मनुष्य के जीवन से जुड़े हर पहलू से संबंधित विषय पर पुस्तके- हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी आदि भाषाओं में है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी की लगभग 44900 पुस्तकें उपलब्ध है। यूँ तो मेरठ में आने वाले प्रत्येक महापुरुष, साहित्यकार, राजनीतिक, हस्तियों ने पुस्तकालय में पदार्पण कर इसे गौरव प्रदान किया है लेकिन उन सब में भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर रखने वाले स्वामी विवेकानंद का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। स्वामी जी सितंबर 1890 से जनवरी 1891 तक मेरठ के सम्मानीय अतिथि रहे तथा इस अवधि में उन्होंने पुस्तकालय में बैठकर महीनों धर्म, दर्शन और योग के ग्रंथों का अध्ययन मनन किया था। उक्त ग्रंथों के हाशियों पर स्वामी जी ने अपने हस्ताक्षर व टिप्पणियां भी अंकित की थी।

सरकार से अनुरोध है कि हजारो दुर्लभ पुस्तकों से सज्जित तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस पुस्तकालय को ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया जाए।

(vi)Regarding reservation of women in Central Government Services

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): In India, in spite of their capabilities, education and aptitude, women are unable to enter into government services due to various cultural constraints. Women have only marginal representation in central government services, Public Sector Undertakings(PSUs), Judiciary, Legislatures, Public Sector Banks(PSBs) and Civil Services etc.

Few states like Gujarat, Bihar, Punjab and Madhya Pradesh have made provision of thirty three percent reservation for women in all government services at state level. The Ministry of Home Affairs has also provided 33 percent reservation for women in the recruitment of Police and paramilitary forces like CRPF, CISF, BSF etc. It had also issued an advisory to states/UTs to increase the representation of women in the police to 33 percent.

There is an urgent need for the government to make concerted efforts to increase the representation of women in government services through various policy interventions and special provisions.

I request the Hon'ble Minister of Personnel, Public Grievances and Pensions to introduce thirty three percent reservation for women in central government services including PSUs.

(vii) Regarding BPCL's decision to discontinue Polyol Manufacturing unit

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): The Decision taken by the BPCL Board of Directors to discontinue Polyol Manufacturing Unit which was proposed in 2018 and the foundation stone of the unit was laid by the Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji in 2019 is a setback to the industrial growth of Kerala and India's efforts to cut down Polyol Imports. Our annual Polyols requirement is presently 4 lakh tonnes which is estimated to be at 7.5 lakh tonnes by 2030 whereas our domestic production stands at 15000 Tonnes. Hence, the decision taken by the Board is a journey in the wrong direction of the idea of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant country.The Government's decision to privatise BPCL would have an impact in scrapping this project which would have created new employment opportunities. This is a major setback for the petrochemical park planned by Government of Kerala where small scale industries would manufacture products using materials from the Polyol plant and PDPP.

I'm requesting the Government to make all possible interventions to review decision of the Board to scrap Polyol manufacturing unit which has immense potential considering the demand and scarcity of the product in domestic market.

(viii) Regarding comprehensive study on health impacts of pollution

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Air pollution is a major health hazard. In the 17th Lok Sabha, several questions on health impacts of air pollution have been posed in Parliament by Members. The answers laid in the House have repeatedly claimed that the Government lacks conclusive data to establish the correlation between death and/or disease with air pollution. This is despite the Hon'ble Minister for Environment, Forest and Climate Change having acknowledged in an answer (March 14, 2022) that pollution is one of the triggering factors for respiratory ailments and associated diseases. In another answer (August 6, 2021), the Minister has quoted from a 2017 ICMR report that identified air pollution as one among the six leading risk factors for Disability-Adjusted Life Years in 2016. Research papers such as "Prevalence of pre-clinical autoimmunity in the normal adult population residing in a metropolitan city of India: A cross-sectional study" by AIIMS scholars and research networks such as CAPHER India by AIIMS New Delhi and IIT Delhi are available within the country.

The Government must provide adequate support to research efforts that will empower us to deal with the air pollution induced health crisis more effectively. It should also commission a comprehensive study on health impacts of pollution.

(ix) Regarding operationalisation of some trains in Dindigul Parliamentary Constituency

SHRI P. VELUSAMY (DINDIGUL): Palani Dindigul railway section in Madurai division of Southern Railway was converted into broad gauge around 9 years ago. This broad gauge section is very much underutilized, even the Metre gauge trains have still not been restored. The below-mentioned trains proposed by the Railways are still to be operated (assuming the trains are still not approved by the Railway Board / Ministry) in Ponachi - Palani Dindigul section. 1) Coimbatore to Rameswaram Daily Express 2) Coimbatore to Thoothukudi Fast Passenger 3) Mangalore to Rameswaram Express 4) Extension of Tiruvananthapuram to Madurai Amritha Express to Rameswaram for Pilgrims, Students, traders, employees, tourists. Commuters are suffering a lot due to the unavailability of direct trains from Palani & Oddanchatram regions to Thoothukudi, Ramanathapuram, Rameswaram, North Kerala, Mangalore & vice versa. Palani is the famous pilgrim centre in Tamil Nadu. So, I kindly request the Ministry of Railways to immediately operate the above-mentioned 4 trains in the interest of general public. In the absence of the trains, commuters are forced to travel by bus which is costlier and time consuming. Through this August Body, I request the Hon'ble Railway Minister to take immediate action in providing basic transport facilities to the people of my constituency.

(x) Regarding regularization of railway porters

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): During the year 2008, Government had regularised the railway Porters as railway Employees on regular basis except the porters above 50 years.

Currently, about 20,000 railway porters are waiting for regularisation, but no action has been initiated by the Railway so far. Railway has been providing many facilities to the passengers like Battery Van, Coach Display Board, Automatic Stairs, Lifts, Sub-way etc. Hence, Railway porters are not having adequate income from their works. Assigning the contract of lifting goods of passengers to Private companies will further impact the livelihood of the porters.

In Rajya Sabha, on 12/02/2020, the former Hon'ble Railway Minister had given a statement that 19,762 railway porters of the country should be accommodated against existing 1,34,785 of railway vacancies.

Hence, I request to examine and take necessary action on the demands of railway porters such as regularisation of porters in the railways, Accidental insurance, medical facilities etc.

(xi) Regarding inclusion of National Highway No. 161BB – Madnoor to Boddan in Bharatmala Pariyojana and its four laning

SHRI B.B. PATIL (ZAHIRABAD): I would like to draw the attention of the Government towards an issue that is long pending in my Parliamentary Constituency and holds great importance for the public and to me as a public representative. NH-161 BB i.e. Madnoor to Bodhan (38.70 kms) was transferred to NHAI from MoRTH vide Gazette Notification No. 2969 (E) dated 19.06.2018 and after four years, the above-mentioned road without any development is again being transferred from NHAI to MoRTH. This road connects NH-161 & NH-44 Nagpur Highway and this road has heavy vehicular traffic and is very crucial, as it connects Karnataka, Maharashtra, Telangana & Chhattisgarh. Hence, it is requested that instead of transferring the road from one department to another, it may kindly be included in Bharatmala or any other scheme of the department and should be constructed as a Four-Lane Road at the earliest in the interest of public.

(xii) Regarding inclusion of ostomy as a specified disability under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2006

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Ostomy is a lifesaving surgery which leads to a lifetime of severe disability & Ostomy patients cannot pass urine/stool through the natural way but is passed out through stoma made of intestine which is projected out through belly. This happens due to Cancer or due to some other ailment in which natural way of discharge is not possible. The Central Government enacted the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act 2016, which came into force on 19.04.2017. The Schedule of the said Act contains the list of specified disabilities which is exhaustive and, inter-alia, includes locomotor disability. Ostomy has not been included as a specified disability because Government is of the view that there is a clear distinction between disability and medical condition. Ostomy patients have been denied benefits under the RPwD Act due to the stand of the Government. Including Ostomy under the list of disability will be a significant beginning to a much needed change & also fulfill the demand of numerous ostomy patients across the country who have been denied benefits due to non-inclusion under the Act. I request the Government to include Ostomy as a specified disability under the RpwD Act for their welfare & grant them benefits in the future.

(xiii) Regarding completion of Budhai Reservoir Project, Deoghar, Jharkhand

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): The Jharkhand is having two major regions, Santhal Pargana and Chhota Nagpur. No doubt, the spread of Naxalism is an indication of the sense of desperation and alienation that is sweeping over large sections of Jharkhand's Santhal Pargana region, which have not only been systematically marginalized but also cruelly exploited and dispossessed in its own homeland. Keeping the socio-economic problem being faced by Santhal Pargana in mind where agriculture is the main source of Income, we see an urgent need of a comprehensive plan of action where special emphasis on good and equal opportunity of employment friendly education and farming with irrigation is needed to be given utmost importance.

I am highlighting the following old and ongoing project which needs your help:

Budhai Reservoir Project (Deoghar - Jharkhand): The Foundation stone was laid in 1978. Whether the Environment clearance has been given to this Budhai reservoir, if so, when this project will be completed together with the fund allocated?

12.47hrs

CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) ORDERS (SECOND AMENDMENT) BILL, 2022

माननीय सभापति: आइटम नम्बर.12, संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन), विधेयक, 2022.

माननीय मंत्री जी।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां), आदेश 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने वाले विधयेक पर विचार किया जाए।"

महोदय, यह विधेयक उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्नलिखित बदलाव किए जाने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश राज्य के चार नए जिलों संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास नगर की अनुसूचित जनजातियों की सूची में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड समुदायों का समावेशन और उपयुक्त जिलों की अनुसूचित जाति की सूची से गोंड समुदाय को विलोपित करना है।

यह प्रस्ताव है और मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार किया जाए।

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां), आदेश 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने वाले विधयेक पर विचार किया जाए।"

---

*Moved with the recommendation of the President.

श्री दीपक बैज (बस्तर): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्ताव लाया गया है कि अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए। इस विधेयक के जरिए सरकार उत्तर प्रदेश में रहने वाले गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में शामिल कर रही है। गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश के चार जिलों, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, संत रविदास नगर और मिर्जापुर में रहते हैं।

सभापति महोदय, यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकारें निर्णय करती हैं कि कौन-सी जाति को एस.सी. में रखना चाहिए और कौन-सी जाति को अनुसूचित जनजाति में रखना चाहिए। बहुत परीक्षण और अनुसंधान के बाद सरकार निर्णय करके इस परिस्थिति पर पहुंचती है, तो मैं निश्चित रूप इसका स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति विधेयक पर चर्चा करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि कोई जाति आरक्षण क्यों मांगता है? आरक्षण इसलिए मांगता है कि उस जाति को शिक्षा और नौकरी मिले। हम देखते हैं कि समाज में बहुत-सी ऐसी पिछड़ी जातियां हैं, जो अपने बच्चों का भरण-पोषण और पेट तक नहीं पाल पाती हैं।

वे जातियां जो कि गांवों के अंदरूनी क्षेत्रों में रहती हैं, वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, बहुत कमजोर वर्गों से हैं। सरकार चाहती है कि उन वर्गों को उठाना है, उन वर्गों को मजबूत करना है, उनको शिक्षा का अधिकार मिले और उनको समानता का अधिकार मिले। इसीलिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार चाहती है कि निश्चित रूप से शिक्षा और नौकरियों में उनको आरक्षण मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी शब्द ही अपने आपमें पर्याप्त है, क्योंकि वह आदिवासी जो कि आदिकाल से बसा हुआ है, जंगल के किनारे, जंगल के अंदर, नदी के किनारे, पहाड़ के किनारे, पहाड़ के ऊपर, एक घर एक किलोमीटर पर है और दूसरा घर दो किलोमीटर पर

है । एक बस्ती ऐसी होगाी, जहां पांच ही घर होंगे । इसीलिए मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से आदिकाल से बसा हुआ है। उनके जल, जंगल, जमीन आदिवासियों की है।

माननीय सभापति महोदय, हम गर्व से कहते हैं कि जंगल हमारा है, जमीन हमारी है, जल हमारा है । इसीलिए आदिवासियों का नारा है, जल, जंगल, जमीन हमारी है । मैं कहता हूं कि आदिवासी शब्द ही पर्याप्त है। देश में आज भी कई जातियां आदिवासियों के आरक्षण के लिए राह देख रही हैं । केन्द्र सरकार के पास कई राज्यों से ऐसे प्रस्ताव भेजे गए हैं कि उन जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन केन्द्र सरकार का चाहे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हो, जनजातिय कार्य मंत्रालय हो, चाहे आरजेआई के पास हो या एसटी कमीशन के पास हो, आज भी ऐसी बहुत-सी जातियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कई जनजातियां हैं, जिनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है । भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में दिनांक 06.09.1950 को पूर्ववर्ती, जहां मध्य प्रदेश एवं अनुसूचित जनजाति की सूचीपत्र में प्रथम प्रकाशित की गई, तब लगभग 31 जनजातियां थीं और आज छत्तीसगढ़ में लगभग 42 जनजातियां हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा है । संविधान आदेश, 1950 भारत सरकार का राजपत्र, दिनांक 06.09.1950 में भारत सरकार जनजातिय कार्य मंत्रालय के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न जातियों के प्रस्ताव राज्य शासन द्वारा जनजातीय सूची में सम्मिलित करने हेतु भेजे गए हैं।

माननीय सभापति महोदय, इनमें सवर-सवरा अनुक्रमांक 40 पर, भुमिया-भूमिआ, अनुक्रमांक 9 पर, धनुहार-धनुवार अनुक्रमांक 14 पर, किसान अनुक्रमांक 32 पर, धनगड़ अनुक्रमांक 25 पर है । अनुसूची में जोड़े जाने हेतु केन्द्रीय बजट द्वारा दिनांक 25.05.2016 को मान्य किया गया है। इसी तरह से केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा दिनांक 13.02.2019 को उक्त जातियों के साथ ही अनुक्रमांक 43 में बिंझिया को अनुसूची में जोड़ने हेतु मान्य किया गया है। परंतु इनकी अधिसूचना भारत के राजपत्र में होना शेष है । संसद से विधेयक पारित होने के उपरांत ही यह

संभव हो पाएगा। अतः यह आवश्यक है कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय को इस ओर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मेरे पास कुछ जातियों की सूची है। कोड़ाकू अनुसूची क्रमांक 27, कोंध अनुसूची क्रमांक 23, भारिया-भरिआ अनुसूची क्रमांक 5, पांडो और पंडो अनुसूची क्रमांक 5, गोंड और गोड़ अनुसूचित क्रमांक 16, गदबा अनुसूची क्रमांक 15 और नागवंशी-नगवंशी सीरियल क्रमांक 16, ये कुछ जातियां हैं, जो कि आज भी केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं। यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि सरकार कम से कम इन जातियों के बारे में गंभीरता से विचार करे।

माननीय सभापति महोदय, इस तरह से हमारे यहां पर कुछ और जातियां हैं जैसे माहरा जनजाति है, जो बस्तर के लगभग 7 जिलों में निवास करती है। ये जिले बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर हैं। जब मध्य प्रदेश एक था, तब सन् 1989 और सन् 1994 में उस जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद माहरा के रूप में एमपी को आरक्षण मिल गया। वर्ष 2002 में आरक्षण मिला था, लेकिन वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद आरक्षण नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि अनुसूची 33 में महार और माहरा जातियों को भी जोड़ा जाए, जो बस्तर जिले में लगभग 10 लाख की संख्या में निवास करते हैं और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, गरीब है। वे अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए लगातार संघर्षरत हैं, आन्दोलन कर रहे हैं। उनको भी कम से कम मौका तो मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से आदिवासियों को सुरक्षित और संरक्षित करना भी बहुत जरूरी है। वर्तमान में आदिवासी कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आदिवासी लोग इस देश की धरोहर हैं। इस देश के संरक्षक हैं। आदिवासियों की परम्परा, उनकी बोली-भाषा,

रहन-सहन इस देश में अलग पहचान बनाती है। इसलिए आदिवासियों को सुरक्षित और संरक्षित करना बहुत जरूरी है।

मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी को धन्यवाद देता हूँ। दिनांक 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ था तो उसमें आदिवासियों को विशेष स्थान मिला था और उसी की वजह से आज यहां पर एक आदिवासी जनप्रतिनिधि के रूप में मैं बस्तर से चुनकर आया हूँ। आज मुझे इस सदन के समक्ष बोलने का अवसर मिल रहा है। निश्चित रूप से हमें संविधान में स्थान मिला, आरक्षण मिला, सुरक्षा मिली। मैं हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूँ और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री श्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरी बस्तर की जनता को धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारे सदन के नेता और आपको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से इस सदन में मुझे बोलने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से मुझे आदिवासियों के पक्ष में बात करने का अवसर मिला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन को धन्यवाद देता हूँ। मैं ऐसे क्षेत्र से चुनकर आया हूँ, जिसे आज देश और दुनिया जानती है। बस्तर का नाम सुनकर सिर्फ बम और गोली का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता, बल्कि जहां पर दिन में भी निकलना मुश्किल है, जहां हम घर से निकलते हैं तो अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। जब हम घर से निकलते हैं तो वापस आएंगे या नहीं, उसकी गांरटी नहीं होती है। गोली किसी को भी निशाना बना सकती है। आज बस्तर के आदिवासियों की हालत जानकर तकलीफ होती है। गोली किसी की भी हो, चाहे गोली नक्सली की हो या चाहे पुलिस की हो, लेकिन मारा तो आदिवासी ही जाता है। बस्तर में आदिवासी ही मारा जाता है। इसलिए केन्द्र सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमने वहां पर 15 साल की सरकार को भी देखा है। झीरम घाटी घटना को भी देखा है। झीरम घाटी की घटना को कौन भूल सकता है, जिसमें हमारे 32 जवान और हमारे नेता शहीद हुए थे। ताड़मेटला कांड को कौन भूल सकता है, जिसमें 200 आदिवासियों के घर जल गए और हमारी सरकार मूकदर्शक बनकर देखती रही। सारकेगुड़ा कांड

हुआ और हमारे 8 से 10 आदिवासी मारे गए। आज जांच रिपोर्ट आई है। छत्तीसगढ़ की विधान सभा में यह कहा गया है कि वहां के निर्दोष आदिवासियों को मारा गया है।

हमारे आदिवासियों के ऊपर फर्जी एनकाउंटर होते रहे और सरकार सिर्फ देखती रही। फर्जी एनकाउंटर हुए। उन्हें फर्जी नक्सली केस में जेल के अंदर किया गया। फर्जी केस दर्ज कराए गए। यह पिछली सरकारों में लगातार चलता रहा है। हम देखते हैं, बस्तर जैसे क्षेत्र में पिछली सरकार के समय में रोड बाहर की तरफ ही थी, क्षेत्र के एक किलोमीटर के अन्दर रोड नहीं थी, लेकिन उसके लिए आज मैं छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री श्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, वहां फर्जी एनकाउंटर बंद हुए। हम पूरे आदिवासी एमएलए और सांसदों ने सरकार से कहा कि एक भी फर्जी एनकाउंटर नहीं होना चाहिए।

माननीय सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री दीपक बैज : माननीय सभापति महोदय, मुझे पांच मिनट और दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: नहीं, आप दो मिनट में समाप्त कीजिए। सभी सदस्यों को बोलना है।

श्री दीपक बैज: माननीय सभापति महोदय, फर्जी एनकाउंटर बंद हुए। आज वहां फर्जी एनकाउंटर नहीं हो रहे हैं। फर्जी नक्सली केस में जितने भी आदिवासी जेल में थे, हमारी सरकार उन्हें छोड़ने का काम कर रही है।

<u>13.00 hrs</u>

माननीय सभापति महोदय, जहां गांवों में आधार कार्ड नहीं बने थे, राशन कार्ड नहीं बने थे, वहां हमारी सरकार फोर्स के माध्यम से कैम्प लगाकर आधार कार्ड और राशन कार्ड बना रही है, ताकि हमारे आदिवासियों की पहचान बन सके। हमारी सरकार ने उन आदिवासियों से छीनी हुई टाटा की जमीन को वापस करने का काम किया।

नन्दराज पहाड़, जहां चन्द उद्योगपतियों को, पहले फर्जी ग्राम सभा बैठक करके, जमीन बेचने का काम किया गया, जहां **20** हजार लोगों ने आन्दोलन किया, वहां हमारी सरकार ने जांच कराने की घोषणा की कि अगर फर्जी ग्राम सभा की बैठक हुई तो उस ग्राम सभा को ज़ीरो घोषित

करेंगे। इस तरह से आदिवासियों को वह पहाड़ मिला। निश्चित रूप से यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

बस्तर में आयरन ओर की कमी नहीं है। हमारे पास बहुत आयरन ओर है।...**(व्यवधान)**

माननीय सभापति : अब समाप्त कीजिए।

श्री दीपक बैज : बस दो मिनट में कनक्लूड कर रहा हूं।

माननीय सभापति : आप बिल के बारे में बोलिए।

श्री दीपक बैज : वही तो बोल रहा हूं। यह ट्राइबल लोगों का बिल है।

माननीय सभापति महोदय, वहां पर आयरन ओर है। हम लगभग **60** वर्षों से वहां खनन कर रहे हैं, लेकिन वहां के स्थानीय आदिवासियों को आज भी लाभ नहीं मिला है। आज भी उनके लिए वहां कोई आरक्षण नहीं है। जब भर्ती होती है तो पूरे देश के स्तर पर भर्ती होती है। हम चाहते हैं कि वहां पर भर्ती में वहां के लोकल लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाए, उनको आरक्षण दिया जाए। यही हमारी मांग है। वर्तमान समय में लगातार निजीकरण किया जा रहा है। क्या निजीकरण में आदिवासियों का आरक्षण सुनिश्चित रहेगा**?** यह चिन्ता का विषय है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि निजीकरण बन्द करें, ताकि आदिवासियों का आरक्षण भी सुनिश्चित हो। वर्तमान में एससी, एसटी आरक्षण के बारे में लगातार मीडिया के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से यह बात सामने आती है, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा आरक्षण आज भी खतरे में है। ऐसे बहुत से संगठन हैं, सरकार के भी संगठन हैं, जो बीच-बीच में कहते हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, आरक्षण पर विचार करना चाहिए। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा कि आज भी बस्तर के आदिवासियों के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, पूरे कपड़े नहीं हैं।

अंदर गांवों में आज भी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, ये चीजें वहां आज पहुंच रही हैं। अगर उनका आरक्षण समाप्त किया जाए, आरक्षण पर विचार किया जाए तो उन आदिवासियों का भला नहीं हो सकता है। इसलिए आरक्षण पर कतई विचार नहीं करना चाहिए।

माननीय सभापति : ऐसा कोई विषय नहीं है। कोई विचार नहीं है।

श्री दीपक बैज : माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहूंगा, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में एसटी के लिए जितने भी प्रस्ताव आए हैं, जो कैबिनेट से पास हुए हैं, उनके लिए इस सदन में जल्द एक विधेयक लाएं और उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दें। जो महारा समाज है, उसे अनुसूचित जाति का दर्जा दें। इसी प्रकार हमारे बस्तर में अमनीत जाति है, उसे भी यह दर्जा दें।

अंत में, मैं यही कहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको गंभीरता से लें और पूरे छत्तीसगढ़ से जितने भी प्रस्ताव आए हैं, उनको शामिल करें।

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके प्रति अत्यंत आभारी हूं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा दि कंस्टीट्यूशन (शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स) ऑर्डर (सेकण्ड अमेंडमेंट) बिल, **2022**, जो **28** तारीख को इस सदन में प्रस्तुत हुआ था, आज उस पर विचार करने और पारित करने के लिए हो रही इस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया है।

मैं अभी आदरणीय दीपक जी को सुन रहा था, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वह आदिवासी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस संशोधन विधेयक को उन्होंने समर्थन दिया है। मैं आपके माध्यम से, पूरे सदन के माध्यम से, उत्तर प्रदेश की जनता के माध्यम से अपनी सरकार को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि यह वर्षों पुरानी मांग है।

13.04 hrs (Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

अब वर्ष **2022** में जो अमेंडमेंट बिल लेकर माननीय मंत्री जी आए हैं, यह अमेंडमेंट क्या है**?** इसमें उन जनपदों को शामिल किया गया है, जिनका हक था, जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, चाहे वे हमारे गोंड समाज के हों, धुरिया समाज के हों या उनकी उपजातियां जैसे खरवार हों, उन जातियों को शिड्यूल्ड कास्ट्स से शिड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल करने का विषय वर्षों से लम्बित था। मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि देश के आदिवासियों के कल्याण के लिए, मैं इस पर आगे आऊंगा कि हमारी सरकार ने क्या काम किए हैं, लेकिन अगर देश के आदिवासियों के लिए किसी ने काम किया है तो निश्चित तौर से हमारी नरेन्द्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी-एनडीए की सरकार ने किया है।

चाहे ट्राइबल मिनिस्ट्री का बजट हो, ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से देश के जंगलों में आदिवासी रहते हों, नदियों के किनारे रहते हों, नॉर्थ-ईस्ट में रहते हों, बस्तर में रहते हों, सोनभद्र में रहते हों, यूपी में रहते हों या देश के अन्य हिस्सों में रहते हों, सरकार ने उन सभी के लिए काम किया है। उसका एक प्रमाण है, उन आदिवासियों की हितों की रक्षा के लिए सरकार ने यह काम किया है, तो आज यह संशोधन वर्ष 2002 में आ रहा है, इसमें चार जनपद के रहने वाले गोंड, धुरिया, समाज के लोगों को शेड्यूल्ड कास्ट की सूची से शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में डाला जा रहा

है। अगर मोदी जी की सरकार से पहले भी कोई बिल आया था और कोई संशोधन हुआ था, तो वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने यह किया था, उस समय उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों को शामिल करने का काम किया गया था। निश्चित तौर से आज देश में रहने आदिवासियों की चिंता है और उनके हितों को देखते हुए Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022 आया है।

आज भी यह बिल उत्तर प्रदेश के संबंध में है। उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल से गोंड, धुरिया या खरवार समाज के लोग निवास करते हैं। 130 वर्ष पहले जो ब्रिटिश काल में गणना हुई थी, उस समय गोंड जाति की संख्या 1,24,504 थी, धुरिया जाति की संख्या 2,83,821 थी, खरवार की 33,922 थी। Mr. W. Crooke wrote a book in four volumes called 'The Tribes and Castes of the North-Western Provinces and Oudh'.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 के अनुसार जो साक्ष्य ग्राहय है और जिसको न्यायालय भी मानता है, उत्तर प्रदेश का शासन भी मानता है, अब मैं चाहूंगा कि 130 वर्षों के पूर्व ब्रिटिश काल में गोंड समाज, धुरिया समाज, खरवार की जनगणना हुई थी, तो आज फिर इनकी स्पष्ट जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्राइबल्स हैं। अगर हमारी सरकार इनको एससी कैटेगरी से एसटी कैटेगरी में रखने का काम कर रही है, अगर यह इन सारे जनपदों में होगा, तो निश्चित तौर से उनके हक और हकूक की हिफाजत होगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार लगतार शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए काम कर रही है। The Gond are one of the largest tribe groups in the world. दुनिया में इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। उत्तर पद्रेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरे देश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आबादी 8.6 प्रतिशत है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, जिनके हक-हकूक की हिफाजत करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, उनकी पॉपुलशन लगभग 10.4 करोड़ है और कम से कम 705 शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज हैं, जिनको हम ने भारत के संविधान के 342 अनुच्छेद में रिकॉग्नाइज किया है

और आज हम उन 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं। आजादी के बाद देश में लगतार सरकारें बनती रहीं, लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी, तो मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार का मोटो होगा, उद्देश्य होगा, लक्ष्य होग या संकल्प होगा – सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुझे लगता है कि इन सबके पीछे केवल उनका मंतव्य यह रहा होगा कि हम देश की राजधानी दिल्ली में बैठते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या कर्नाटक हो, लेकिन हम इन सभी राज्यों को देखते हैं। नॉर्थ-ईस्ट में विषम परिस्थितियों में रहने वाले लोग हैं। आज उन्होंने लूक-ईस्ट का मंत्र दिया। कैबिनेट के सभी मंत्रियों को प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हमें लूक-ईस्ट पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि हम नॉर्थ-ईस्ट में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार की योजना को वास्तविकता के धरातल पर उतार सकें। यह स्पष्ट निर्देश है और सभी का वहां दौरा होता है। आज मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने इस पर फोकस किया है, उसके पीछे मंशा यह है कि देश के सभी राज्यों में रहने वाले आदिवासियों का भविष्य अच्छा हो।

किस तरह से उनके कल्चर को कंज़र्व किया जाए, किस तरीके से उनके हेरिटेज को कंज़र्व किया जाए, हमारी सरकार की यह प्राथमिकता है कि देश के आदिवासी वर्ग, जिनकी आबादी लगभग साढ़े 10 करोड़ है यानी उनकी पॉपुलेशन लगभग 8.6 परसेंट है। इनके हक़-हकूक की रक्षा हो सके, इसलिए आज ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने पहली बार, देश में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम, एक ही राज्य में नहीं, बल्कि दस राज्यों में स्थापित करने का कार्य किया। ये उनकी बात तो करते हैं, आदिवासियों, दलितों के नाम पर सरकारें भी बन जाती हैं। ये उनकी दुहाई देते हैं, इसके बावजूद भगवान बिरसा मुण्डा को याद नहीं किया गया था। माननीय मंत्री जी स्वयं उसी राज्य से आते हैं।

झारखण्ड में भगवान बिरसा मुण्डा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम और पार्क का उद्घाटन किया गया, उसे हमारी सरकार ने किया है क्योंकि आज उनको एक आदिवासी के रूप में नहीं, बल्कि एक भगवान के रूप में पूजा जाता है।

यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने स्वयं जाकर मणिपुर में रानी गाइडिन्ल्यू फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का उद्घाटन किया था। पहले दिल्ली में सरकारें थीं, लेकिन मणिपुर में रानी गाइडिन्ल्यू, जो एक ट्राइबल फ्रीडम मूवमेंट-फाइटर थी, इनका म्यूजियम बनाने का काम भी भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया।

आज जिस तरह के कदम उठाए गए, चाहे नैशनल हेल्प लाइन बनाने का काम किया गया हो, आप आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन हमने कितना बजट इनक्रीज किया है, हमने पिछले साल के मुकाबले ट्राइबल्स के लिए इस साल, आदिवासियों के कल्याण के लिए, उनको देश की मुख्यधारा में लाकर, सबका साथ, सबके विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए 12.32 परसेंट बजट को इनक्रीज करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं देश के आदिवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को और ट्राइबल मिनिस्ट्री को धन्यवाद दूंगा। हमने इस साल 8,451 करोड़ रुपए इनक्रीज किये। अगर हम तीन साल के बजट को देखें तो वर्ष 2018-19 में 37,802 करोड़ रुपए का बजट देश के ट्राइबल्स के लिए था, वर्ष 2019-20 में हमारी सरकार ने उसे बढ़ाकर 51,283.53 करोड़ रुपए किया क्योंकि हमें देश के आदिवासियों की चिन्ता है। फिर इसे बढ़ाकर 52,024 करोड़ रुपए किया गया और इस बार यानी वर्ष 2022-23 में एसटीसी के कम्पोनेंट में 87,500 करोड़ रुपए होने जा रहा है। इसलिए हमें निश्चित रूप से देश के आदिवासियों की चिन्ता है। आज जो टोटल फण्ड एलोकेट हो रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए, चाहे वह सेन्ट्रल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स के हों, इस तरह से यह किया जा रहा है।

आज माननीय मंत्री जी इस बिल को लेकर आए हैं, इससे हम यह कह सकते हैं कि इस बिल में पहला संशोधन वर्ष 2002 में हुआ था। उस समय इसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इसको किया, तो उस समय इसमें 13 जनपदों को रखा गया था। वे 13 जनपद 'The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2002' में थे। उत्तर प्रदेश के इन जनपदों की स्थिति, चाहे शैक्षणिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, वह बद से बदतर थी। यह मांग तो लगभग वर्ष

1967 से चली आ रही है कि गोंड, खरवार, धुरिया आदि समाज के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा जाए। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तत्कालीन सरकार ने गोंड समाज और उसकी उपजातियों के लिए अमेंडमेंट करने का फैसला किया, तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में रहने वाले गोंड और धुरिया समाज के लोगों को शेड्यूल्ड कास्ट की सूची से हटाकर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची में रखने की बात कही थी। यह अपने आप में एक स्वागतयोग्य कदम था।

आज विपक्ष ने भी इसका स्वागत किया। अगर यह वर्ष 2002 में अमेंड हो गया था, तो बस्ती से अलग हुआ संतकबीर नगर, वाराणसी से अलग हुआ चंदौली, देवरिया से अलग हुआ कुशीनगर और सोनभद्र से अलग हुआ संत रविदास नगर जिलों में यह नहीं हुआ था। आज से लगभग 15 साल पहले आपकी सरकार थी। अधीर दादा की सरकार थी। लेकिन यह चिंता नहीं थी कि किसी शेड्यूल्ड ट्राइब के जिले से अलग होकर कोई नया जिला बन गया, इसलिए जब तक हम यह संशोधन नहीं करते, जब तक इसको रेक्टिफाई नहीं करते, तो वह जिला फिर से वहीं चला जाएगा। जो अटल विहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था, अब इन जिलों के गोंड समाज और धुरिया समाज के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब का फायदा मिलेगा। वे फिर शेड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में चले गए, बरसों से यह मांग चल रही थी, लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे।

जिस तरीके से गोंडवाना आंदोलन चला, आज इतनी बड़ी संख्या में गोंड समाज के लोग केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं हैं। उत्तर प्रदेश हो, ओडिशा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, इन सभी राज्यों में बड़ी संख्या में ये लोग हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। इसके बाद सरकार ने यह तय किया, माननीय मंत्री जी भी पिछले दिनों गए थे। उस समय भी उनका ध्यान आकृष्ट किया गया और लगातार उस मांग को पूरा करने का काम आज सरकार ने किया। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा, जब "The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill" को वर्ष 2002 माननीय अटल

जी के बाद वर्ष 2022 में मोदी जी की सरकार के द्वारा लाया जा रहा है और इन चार जनपदों – चंदौली, कुशीनगर - जो गौतम बुद्ध की निर्माण स्थली है, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर के ये लोग अब शेड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी से शेड्यूल्ड ट्राइब्स की श्रेणी में आ जाएंगे

कम से कम इस अमेंडमेंट के बाद अब गोंड और धुरिया समाज की यह जो कम्युनिटी है, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सारा फायदा इन चारों जिलों में मिलने लगेगा। आज जिस तरीके से हम इस बिल को लेकर आए हैं, यह जो हमारा बिल है, मैं “The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967” और “The Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950”, के बारे में कहूंगा, क्योंकि इससे पहले आपने छत्तीसगढ़ का भी बिल पास कराया, आपने त्रिपुरा का भी बिल पास कराया और छत्तीसगढ़ के विषय आज रखे गए, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ से माननीय मंत्री जी आते हैं।

अत: आज पूरे देश की चिंता है, पूरे देश में हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनकी चिंता के कारण ही हम बजट का एलोकेशन कर रहे हैं, बजट को इनक्रीज किया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस तरह से इस समाज के लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो गोंड समाज है, यह अपनी चार उप-जातियों में डिवाइडिड है। ये जातियां - राज गोंड, मडिया गोंड, धुर्वे गोंड और कठुहार गोंड हैं।

जबकि गोंड समाज के बारे में यह माना जाता है कि वर्ष 1970 से उत्तर प्रदेश में जो डेटा एविलेबल है और वर्ष 2001 में जो सेंसेस हुआ, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन 1,07,00,963 थी, यह वर्ष 2011 में टोटल पॉपुलेशन का 0.1 परसेंट था।

अब पॉपुलेशन इनक्रीज होकर 0.8 परसेंट हो गई है। मैं दो महत्वपूर्ण बातें माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा। अभी तक ये 13 जिले थे, आपने 4 और जिले बढ़ा दिए, जिससे 17 जिले हो गए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि टेक्निकली गोंड समाज के लोग 13 डिस्ट्रिक्ट्स के बजाए उत्तर प्रदेश के कम से कम 62 जनपदों में पाए जाते हैं। इस पर आप विचार कर लीजिए कि ये लोग 62 जनपदों में हैं, जबकि हमारी सरकार ने 13 और अब 4 जिलों में ही यह कार्य किया है।

मैं एक बात और कह दूं कि गोंड समाज की कोई लड़की, अगर उसने किसी ऐसे जनपद में, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिस्ट्रिक्ट्स की श्रेणी के 17 जनपदों में नहीं आता है, चाहे वह गोंड समाज के लड़के से ही शादी कर ले, तो उसके राइट फोरफीट हो जाएंगे। हम सरकार के इस विधेयक से जो हक-हकूक दे रहे हैं कि अगर गोंड और धुरिया समाज की हमारी कोई बेटी है, जो अपने ही समाज के किसी बेटे से शादी करती है, तो आखिर उसको हक-हकूक केवल इसलिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इन 17 जनपदों के बजाए किसी दूसरे जनपद में उसने शादी की है? यदि वे शादी करके कहीं व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई काम या जॉब कर रहे हैं, इसलिए इस अधिकार से वंचित हो जाएंगे?

सभापति जी, मैं मांग करूंगा कि जैसे अटल जी ने 13 जनपद और हमारी सरकार ने उदारतापूर्वक 4 जनपद जोड़ा है, इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम किया जाए। यह पूरे सदन की भी भावना है। जहां भी हमारे इस समाज के लोग हैं, वहां उन्हें सर्टिफिकेट मिलने में क्या दिक्कत है? सरकार कटिबद्ध है कि जो हमारे धुरिया, खरवार समाज के जो लोग हैं, उन्हें एसटी का सर्टिफिकेट मिले। एसटी सर्टिफिकेट से उन्हें जॉब में या अन्य जगह भी आरक्षण का लाभ मिलेगा तथा सरकार की उन्हें ऊपर उठाने की जो मंशा है, वह भी पूरी होगी। योगी जी के उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री बनने के बाद श्री बी.एल. मीणा, प्रमुख सचिव ने 23 अक्तूबर, 2020 को उत्तर प्रदेश के गोंड जाति का पर्याय भी कर दिया है और धुरिया जाति के व्यक्तियों को नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में भी कहा है। यह शासनादेश हो गया कि धुरिया जाति को भी एसटी का प्रमाण-पत्र दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि धुरिया, गोंड समाज के लोग एसडीएम या तहसीलदार के पास एसटी जाति का प्रमाण-पत्र लेने जाते हैं, तो वे कहते हैं कि इस समाज के लोग यहां नहीं हैं, इसलिए प्रमाण-पत्र नहीं मिलेगा। वे कहते हैं कि आप कहार समाज से हैं, इसलिए आप एसटी जाति में नहीं, बल्कि बैकवर्ड समाज से हैं। सरकार की जो मंशा है कि जो आदिवासी हैं, एसटी समाज के धुरिया, गोंड जाति के लोग हैं, उन्हें एसटी जाति के आरक्षण का लाभ मिले, वह मंशा निचले स्तर के अधिकारियों को जानकारी न होने की

वजह से पूरी नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश आ गया और जीओ जारी हो गया, लेकिन इसे बावजूद भी सभी जिलों में जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो रहे हैं।

हम इस विधेयक को पारित करके चार जनपद जोड़ रहे हैं। जो महत्वपूर्ण इश्यू इन आदिवासियों के सामने आ रहा है, वह यह है कि इसे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जारी किया जाए और दूसरा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने में कठिनाई न हो। उमाशंकर जी हैं, जो इस समाज के नेता हैं। उन्हें यह प्रमाण-पत्र जारी हो गया। ऐसा भी होता है कि यह प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद कोई दूसरा अधिकारी उसे खारिज भी कर देता है। वर्ष 2002 में अटल जी ने इसे अमेंड किया, उसके बाद प्रमाण पत्र जारी होना शुरू हुआ।

माननीय सभापति : जगदम्बिका पाल जी, आप समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।

माननीय सभापति : जगदम्बिका पाल जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए। मिनिस्टर आपके पास बैठे हुए हैं, लेकिन आप चेयर को एड्रेस करें।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, मैं भावुक हो गया, क्योंकि मिनिस्टर साहब मेरे आगे ही बैठे हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि जिन मंत्री जी को उत्तर देना है, मैं उनके करीब आ गया, लेकिन मैं आपके माध्यम से ही अपनी बात कह रहा हूं। आज का बिल उत्तर प्रदेश के चार जिलों को इनक्लूड करने का है कि एससी जाति से एसटी जाति में शामिल किया जाए। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी स्वयं अपने उत्तर में कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में गोंड, धुरिया, खरवार, पटारी समाज के लोग हैं। इनके लोग एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदि राज्यों में रहते हैं। ये आज का समाज नहीं है, बल्कि ये द्रवियन ग्रुप के लोग हैं। ये जातियां हूण, द्रविड़ काल की हैं। ये एक प्रकार से सबसे पुरानी जाति के लोग हैं। यह सिर्फ जगदम्बिका पाल का दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह जो एनथ्रोपोलॉजीकल सोसायटी है, उसका भी दृष्टिकोण है।

माननीय सभापति : जगदम्बिका पाल जी, आप समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। हमारी सरकार इन ट्राइब्स के लिए काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि यह विधेयक आया है। यह चिंता पहले की सरकारें भी कर सकती थीं, लेकिन उनका दूरगामी दृष्टिकोण नहीं था। जिस तरह से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, इसकी वजह से भी यह बिल लाया गया है। उत्तर प्रदेश में भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। वर्ष **1977** में इसे एससी सूची में रखा था।

माननीय सभापति : जगदम्बिका पाल जी, आप समाप्त कीजिए। आपने सभी विषय उठा लिए हैं।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, सक्षम अधिकारी इस कार्य को पूरा कर सकें।

आज यह सदन देश के ट्राइबल्स तथा उन लोगों की चर्चा कर रहा है, जो हमारे देश के विभिन्न इलाकों में हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और निश्चित तौर पर मैं अपनी सरकार को इस ऐतिहासिक पहल के लिए धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : The next speaker is Dr. Pratima Mondal.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I am not a doctor. I am only Pratima Mondal.

HON. CHAIRPERSON: Sorry.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL : Okay, no problem, Sir. It is nice for people to hear that my name starts with 'doctor'.

HON. CHAIRPERSON: Yeah!

SHRIMATI PRATIMA MONDAL : Sir, I rise to speak on the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022.

Sir, in modern India, caste system is prohibited by law, but that does not restrict it from being practised in the society. Division of the society on grounds of caste is still a reality. The mind behind the Indian Constitution, namely, Dr. B. R. Ambedkar understood the need to actively empower these communities socially, economically and financially, and to provide them with equal opportunities to participate in the country's governance and functioning, and to uplift and promote their growth. This led the Government to make ways for laws and regulations, which aimed at their development.

Among all other provisions, the most important is the Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act. It was implemented to address the crimes committed against these communities, but the results are far from satisfactory because there is a continuous rise in the number of cases every year all across the nation. According to the National Crime Record Bureau, the crime rate has increased from 22.8 per lakh population to 25 per

lakh population in 2020, which obviously will be even higher in 2021. Uttar Pradesh stands at the top with 10,138 cases in 2016 to 10,430 cases in 2020. This is the number that we are aware of. So, just imagine if all the unreported cases are also taken into account.

The condition of women is terrible. A total of 4,372 cases were lodged for rape, 3,373 for assault on women, 855 for murder, and 1,119 for attempted murder. Here, I would like to mention that डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार जी, मैं और राज्य सभा के एक सांसद महोदय उस घटना के बाद शोक-संतप्त परिवार से मिलने के लिए हाथरस गए थे। मेरे साथ डिप्टी कलेक्टर रैंक के एक अधिकारी ने जो बर्ताव किया, उसे सभी ने देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए था और यह सोचने वाली बात है। Actually, this scares me to my core, as a mother, and there must be stricter provision to bring an end to these atrocities. I would also like to say that protection of women beyond their division of caste should be the priority of the nation.

Coming to the front of reservation, though there are regulations to ensure the same, they are being flouted repeatedly and the Government is hardly taking any steps to curb the unconstitutional incidents.

Being a part of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Welfare Committee, I have time and again come across a peculiarly similar scenario in different Departments of Government and bodies having the provision of reservation, and the funds that are allocated for the development of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe are lying unutilized and then diverted to other areas. This is absolutely unacceptable.

Proper steps should be taken to prevent this. Not only this, innumerable instances have reflected that the reservation policy is not being implemented properly. The latest incidents involving the IITs on November, 2021, the Supreme Court has directed the Central government to follow reservation guidelines because currently they are following: “completely unconstitutional, illegal and arbitrary process”. The crime and discrimination in educational institutions against the SC and ST candidates is also a common scenario. The divide and barrier that is put up is very difficult and mentally exhausting for the students. The youth of the nation who are so aware of different facets of mental health must take a moment and think before uttering hurtful words to the candidates of SCs and STs, which make the candidates ponder upon their self-worth. I would not like to go into much details because these words are enough to make my message clear.

Inclusion of more categories and making regulations are not enough, and will not serve the real purpose. Allocation of more funds, implementation and real change through education are the need of the hour. Castes-tribes divide sparks a sense of high and low among the school-going children which then becomes permanent. Chapter on inclusivity and equality must be included in school curriculum to build a better generation, and thus, their future.

The Gond community will be excluded from the Scheduled Castes list, and included in the Scheduled Tribes list. Should it serve the real purpose or else even this piece of legislation will remain on paper with zero result on ground? The real picture is that Gonds have been deprived of their rights. The

forest of the Gondwana area had always belonged to them. In order to exploit the forests and the greed of land, led to snatching of their homes. Though the captured areas have been developed, Gonds are pushed back into severe poverty and helplessness.

This finally resulted in armed revolution or simply put, naxalism. The Government must ensure that the agricultural lands that were taken away from them should be returned. Brutality on the Gonds must stop. Not very long, in 2016, the house of a Gond family in Shivpur Diyar Limbdi Village in Ballia district was burnt down. To quote: "We too want a permanent settlement but no one allows us to own our own land. Now, we are landless for generation." Here, I quote: "The plea of the Gonds in Uttar Pradesh is that if the Government does not guarantee that this cruelty will end, there can never be peace in these areas. Just treating the SC and the STcommunity or people as the source of vote bank is no less humiliating than crime committed against our community."

Here, I would like to mention that due to the sincere efforts of hon. Chief Minister, the Government of West Bengal, has been largely successful in abolition of mining activities through implementation of different developmental schemes in the district. In the district, which has the highest population of the SCs and the STs like South 24 Parganas, North 24 Parganas, Bhirbhum, Bankura, Jhargaon, Purulia and different areas of North Bengal have showed a significance rise in education and employment level. Women from the SC and ST community are getting Rs.1,000 per month under the Lokirbanda Scheme,

a symbol of women empowerment and the people above the age of 60 are also receiving Rs.1,000 per month under Jai Johar Scheme for the STs and Taposuti Bandu for the SCs. This should be ensured in all the areas dominated by the SCs and STs.

Preservation of the tribal culture is also of utmost importance in areas dominated by the STs. We should impart education on cultural aspects of the respective tribal communities through cultural programmes. These small steps will result into big positive difference. Keeping this mind, the Government must look forward to establishing equality in the country. With these words, on behalf of my party, All India Trinamool Congress, I support this Bill.

*__SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR):__ Hon. Chairman Sir Vanakkam.

I wish to bring to the notice of Hon. Minister an important issue. Tribal people identified and called as Malayali live in several parts of Tamil Nadu. Dharmapuri, Vellore, Tiruvannamalai, Pudukkottai, Salem, Namakkal, Villupuram, Cuddalore, Tiruchy, Karur, Perambalur are the areas where these Malayali tribes live in Tamil Nadu. There are given ST certificates. But they are not given this Certificate in Erode district alone.

I am asking a justifiable question that the Malayali tribes if they are given ST certificates in all the areas of Tamil Nadu, why they are not getting such a certificate in Erode? I therefore urge upon the Hon. Minister to include persons identified as Malayali tribes living in Erode should also be included in the list of STs. Hon. Minister has also replied to my letter on 28.2.2022, He mentioned in his letter that "only the proposal which have been recommended and justified by the State Government" will be considered.

The State Government has already sent proposals several times. Even after sending proposal several times, that has not been approved. People identified as Malayali tribes are living in Erode for more than hundreds of years. Their inclusion in the ST list immediately is very much necessary. This is my one point agenda which I want to stress while talking on this Bill.

---

* English translation of the speech originally in Tamil.

They are facing serious problems in education and employment. They are unable to get any opportunity. They are living as ST, but they are unable to avail the benefits as they are not included in the ST list. This is an important issue.

Similarly, there was a mistake made in the amendment Bill of 2016. Gounder suffix has been included to Malayali prefix through this Bill and termed as Malayali Gounder as a result they are denied the Tribal status, as Gounder is a community which comes under OBCs in Erode district. Union Government had introduced such a Bill in this Lok Sabha in 2016.

The addition of a suffix “Gounder” to the term Malayali by mistake has created this hindrance. They have lost their rights as tribes due to this amendment Bill brought in 2016. My request to the Government is that these Malayalis live in Bargur hills, Kadambur hills of Erode district should be included in the list of STs as listed by the Tamil Nadu Government.

Similarly, Badugars (Badugas) of Nilgiri district who live in the hill areas of Nilgiri should be included in the ST list. This is a long pending demand. I request that Narikuravars (Narikkuravas) and Kurumbars (Kurumbas) of Tamil Nadu should also be added in ST list. Thank you.

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Thank you, hon. Chairperson, for allowing me to speak on the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022. At the outset, YSRCP supports the amendments where the Bill seeks to amend the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967 and the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 with respect to its application in Uttar Pradesh. The Bill envisages to amend the Scheduled Castes Order to exclude Gond community from the list of Scheduled Castes in four Districts of Uttar Pradesh, namely, Chandauli, Kushinagar, Sant Kabir Nagar, and Sant Ravidas Nagar.

The Bill seeks to include the Gond community in the list of STs of Uttar Pradesh with specific reference to the same Districts of the State. Sir, we support these two amendments because this reflects the aspirations of the marginalised communities of the society. I congratulate the Government of Uttar Pradesh and the Government of India for recognising the needs of the Gond community.

Sir, I would like to take this opportunity to put forward the long-pending demands of the people of Andhra Pradesh before this august House.

I would like to speak in Telugu.

HON. CHAIRPERSON: Dr. Sanjeev Kumar, have you given notice to speak in Telugu?

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI: Yes, Sir. I have given notice in writing yesterday itself when the Bill was introduced.

HON. CHAIRPERSON: I do not think interpretation is available now. If you speak in English, you can continue. Otherwise, we will arrange the interpretation facility and then you can speak in Telugu.

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI : I would like to speak in Telugu, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Okay. Shri Thomas Chazhikadan may speak now.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022.

Sir, the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 added a religious ban thereby restricting the benefit only to the Scheduled Castes professing Hinduism. Even Sikhs and Buddhists were expelled from this category. Thereafter, Sikhs and Neo-Buddhists were included in this Order in 1956 and in 1990 respectively. So, now, para 3 of the Order of 1950 contains words Hindu, Sikh and Neo-Buddhists.

Sir, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes that converted to Christianity cannot avail any benefits of reservation now, while those SCs and STs who converted to Sikhism and Buddhism continue to enjoy the benefits of reservation even after their conversion to the new religion. This policy is discriminatory in nature as it treats converts of different religions differently.

The Sachar Committee, set up by the Government in 2005 whose report was submitted in 2006, was formed to study the social, economic and educational conditions of Muslims in India. The Ranganath Misra Commission Report, which was submitted to the Prime Minister's Office on 21st May, 2007, recommended strongly in favour of inclusion of Dalit Christians in the list of Scheduled Castes.

What I would like to bring to the notice of the House is the discrimination and human rights violations faced by the Dalit Christians, a significant minority among the minorities. The Christian population in India is approximately 24 million, which is around 2.5 per cent of the total population of the country. Out of these 24 million, the Dalit Christians constitute about 19 million. That means, around 70 per cent of the Christian population in India is 'Dalit Christians'.

Just because that they have opted for a religion of their choice, the Dalit Christians are denied rights of equality, affirmative action and freedom of religion. They are excluded from receiving the benefits of affirmative action under the various Government policies and schemes which include education, jobs and electoral privileges.

I would like to bring again to the notice of this august House that various Commissions have been appointed to study the situation of Dalit Christians in India from 1969 to 2008. In 1969 the Elayaperumal Commission was appointed. In 1980, the Mandal Commission was there. The Sachar Commission was appointed in 2006. The National Commission for Minorities was constituted in 2008. All these Commissions have reported that the condition of the Dalit Christians is as it is or almost as it is before their conversion to Christian religion. So, my humble request is this. Since the Government has brought in a new amendment Bill to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, there should be a comprehensive Order or a comprehensive Bill. All over India, there are so many other communities which still belong to the Scheduled Castes. They should be included in the Order of

1950. That way, the amendment Bill should be prepared and presented before the Parliament. However, I support this Bill and I appreciate the effort of the Government to consider the situation of the poor Scheduled Caste people in India. Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Shri Rajendra Gavit. One second Rajendra *ji*. You can speak after Dr. Sanjeev Kumar concludes his speech. He has partly completed his speech, and now because the interpreter has come, let him speak. You may speak after Dr. Sanjeev Kumar concludes his speech. So, Dr. Sanjeev Kumar, please proceed.

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI : Thank you, hon. Chairperson, for giving me this opportunity. YSRCP Party supports the amendments in the Constitution (Scheduled Castes) Order and the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order. The Bill envisages to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order to exclude 'Gond' community from the List particularly relating to the districts of Chandauli, Kushinagar, Sant Kabir Nagar, and Sant Ravidas Nagar. Simultaneously, 'Gond' community is being included in the Scheduled Tribes List of UP. We support these two amendments because it reflects the aspirations of marginalised sections of the society. I congratulate the Government of Uttar Pradesh and the Government of India for recognising the needs of the 'Gond' community.

I take this opportunity to bring to the notice of the august House the long pending demands of four communities of Andhra Pradesh. I would like to speak in Telugu for good communication to my people.

*Democracy means peoples' governance and in democracy supreme power lies in the hands of the people. Citizens exercise their rights either directly or indirectly. As a responsible peoples' representative of my constituency, I would like to highlight issues of people of my constituency to the Union Government and seek solutions from it. In our country, caste has become an index of political and social status. Caste influences us from birth till death. Caste is the lifeline of Hindus and it is also considered as soul of Hindu society. Now this trend is spreading to other religions as well.

Even after 70 years of independence weaker sections of our society could not improve their lives. When 80% of our population is backward, how our country can progress? SCs were subjected to inhuman treatment and untouchability. And they are still facing ill-treatment. It was due to Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar's efforts, that they could see some light in their lives. They are getting proportionate reservation in education and jobs. They are now occupying political positions as well. Still our SC brethren are facing many difficulties. In this House, Dr. B.R. Ambedkar while referring to Caste System of Hindus said that "For Hindus, caste is their life, caste is their responsibility. Hindus are loyal to their caste. Justice and ethics are also bound by caste. Charity begins at caste and ends at caste. Caste is the reason for social inequality."

---

* ....* English translation of this part of the speech was originally delivered in Telugu.

I salute to peoples' leader Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy and with his spirit I would like to place before this august House, issues pertaining to people of my constituency. Firstly, this is regarding 'Budaga Jangam' caste in Andhra Pradesh. There are around 4 lakh people belonging to 'Budaga Jangam' caste in Andhra Pradesh. In united Andhra Pradesh, they were at Serial no. 19 in SC list. Similarly, in Karnataka also, this caste was listed at Serial no. 8 of SC list. But after Andhra Pradesh reorganization Act 2014, Budaga Jangam caste was removed from SC list. At the time of bifurcation of Andhra Pradesh, several injustices were meted out and this is one of them. Budaga Jangams are searching for jobs roaming around villages. They tell Jangam stories and keep begging for survival. Socially and economically they are at the lowest rung.

They live in temporary houses away from villages and towns. Our shameless society is still treating them as untouchables. Government constituted some committees to examine and study their condition, like Lokur Commission, Rama Chandra Rao Commission, Usha Mehta Commission, Moti Lal Commission, and JC Commission. These commissions studied about 'Budaga Jangam' caste and submitted reports to the government. But the dream of 'Budaga Jangas' to get their caste included in the list of SCs is still evasive. They are still not getting the justice which is against the will of Father of our Nation, Mahatma Gandhi and founding father of our constitution Dr. B.R. Ambedkar. Therefore, I demand Union Government to include 'Budaga Jangam' caste in SC list.

Second issue is regarding ‘Pusala’ caste in Andhra Pradesh. There are around 3 lakh people belonging to ‘Pusala’ caste in Andhra Pradesh, who are economically, socially and politically backward. They have a unique culture and language. There is illiteracy and many other issues in their caste. They do not have social status. They live nomadic life.

Many committees studied about the conditions of this caste. Recently, Survey of India conducted Anthropological study of this caste and after knowing the condition of people belonging to this caste, tears welled up in their eyes. In nine states, Pusala caste is listed in SCs list. In various states they are known by the names of ‘Hakki, Mikki or Parthi’. ‘Pusala’ caste of our state with same profession and same culture, ‘should also be included in the STs list. In this regard, I make this request to the honourable Minister Shri Arjun Munda. I request him to take necessary action to include ‘Pusala’ community in STs list.

My third request through you Sir. Here I will mention about special incident. In 2019 elections, honourable Prime Minister visited our constituency Kurnool, at that time he made a promise to ‘Valmiki boya’ community. With reference to that promise I request the government to address the issues of that community. Andhra Pradesh government unanimously resolved to include ‘Valmiki boya’ community in STs List. This resolution was forwarded to Union Government for approval. Those who are living in agency regions are being recognised as STs, but those who are living in plains are being recognised as BCs. We do not understand the parameters on which this decision was taken. I

request Honourable Minister to respond favourably on this issue. Sir 'Valmiki Boya' community has a glorious history. Whole country should know about them. Because every Hindu's heart beat is name of Rama, every Hindu's blood is filled with Ramayana. Valmiki Maharshi, who had presented great Ramayana to us, belongs to 'Boya' community. That is why we call them as 'Valmiki Boya'. We believe that Brahma himself incarnated as Valmiki. Shlokas were introduced to the world by Valmiki Maharshi. That is why we also call him as 'Adi Kavi'. We also believe that Veda mata, Gayatri Devi has emerged as Ramayana. In Gayatri mantra there are 24 key letters, in which there are 20,000 shlokas. Even after yugas changed, Rama is our ideal person and Rama Rajya is our goal. Boya community is the predecessor of glorious Valmiki. 'Valmiki Boyas' are synonyms for courage and Patriotism. In older days they served as soldiers and protected kings and kingdoms. Today they are protecting our country as soldiers.

Once upon a time they used to hunt animals. But after Union Government banned hunting, Boyas left forests and migrated to plains. There is no change in their living conditions. The pathetic situation in which Boyas of agency region are living in, in similar situation Boyas of plains are also living in. I am waiting for this opportunity for 2 & ½ years. Give me 2 minutes more sir. I request through you sir, to include 'Valmiki Boyas' living in plains also in ST list. Honourable Prime Minister also made this promise around 2 & ½ years ago. Therefore I request Honourable Minister to fulfill the promise made by our

Honourable Prime Minister. Satyapal committee also endorsed inclusion of this community in ST list.

Sir, fourth issue is regarding ‘Madasi Kuruva’ community. Lakhs of people belonging to this caste are included in SC list. But as Revenue officers are getting confused between ‘Kuruva’ and ‘Koruva’. ‘Koruva’ belongs to OBC category whereas ‘Kuruva’ belongs to SC category. As a result of this confusion Revenue officials are not in a position to issue caste certificates. Therefore, I request Union Government to define ‘Madasi Kuruva’ and provide proper guidance. I have a small request to make SCs enjoy some status in Constitution; I request that similar status and conditions should be provided to STs as well.*

Now, before concluding my speech, I would like to place two demands of the downtrodden people of this country. The first demand is this. The quantum of reservation will decide the level of empowerment. We have only fifty per cent ceiling on reservation. That is because of the discretionary power of the courts. If there were reservations in the Judiciary, this would not have happened.

Therefore, I would like to request the Government of India to increase the ceiling on reservation from fifty per cent to eighty per cent.

*In the end, I thank our popular leader Shri YS Jagan Mohan Reddy garu who is bringing in several reforms to transform weaker sections as stronger sections, for sending me to Lok Sabha. In Andhra Pradesh, we are doing so many things for STs. We are providing 60% reservation for SCs, STs and OBCs in Corporations. I thank Honourable Chairman for giving me an opportunity to express concerns of oppressed and weaker sections of our society.

Jai Bheem.*

.... English translation of this part of the speech originally delivered in Telugu.

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के चार जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में बाहर करने के एससी आदेश में संशोधन करने वाले और चंदौली डिस्ट्रिक्ट, कुशीनगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर, इन चार जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के एसटी आदेश के बारे में मैं बोलना चाहता हूं।

महोदय, हमारे देश में लगभग 6 करोड़ जनजातियों की पॉपुलेशन है । डॉ. बाबा साहब अंबेडकर ने जब कांस्टीट्यूशन का निर्माण किया, उस समय आर्टिकल 341 और 342 के अंतर्गत सदियों से दबे-कुचले हुए, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों और जनजातियों को विकास के रास्ते पर लाने के लिए कई अनुसूचियां बनाई।

13.58hrs (Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

इनके माध्यम से आने वाले दस सालों में इन जातियों को आरक्षण तथा कतिपय अतिरिक्त सुविधा के लिए उसका विकास और उत्थान करने का लक्ष्य था। परंतु, दुर्भाग्य से इसके विपरीत विगत 75 सालों में हम इन्हें लगातार पतन की ओर लेकर जा रहे हैं। इन अनुसूचित जातियों की संख्या में कमी होने की बजाय, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में हम किस तरह से उनका विकास करना चाहते हैं? मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक ओर देश में तीव्र गति से हो रहे स्टार्ट अप, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी के विकास की बात करते हैं, वहीं हम अनुसूची में शामिल की गई किसी भी एक जाति का विकास कर इस अनुसूची से बाहर नहीं निकाल पाए हैं।

उच्च जातियां छद्म रूप से अनुसूची में शामिल होने का प्रयास कर रही हैं, चाहे वह प्रिंटिंग की गलती का बहाना हो अथवा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग उच्चारण का बहाना हो। इसी कारण हर सत्र में किसी न किसी राज्य की तरफ से, किसी न किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने का विधेयक पेश किया जा रहा है।

मैं भारत सरकार की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की एक रिपोर्ट को मंत्री महोदय के समक्ष उद्धृत करना चाहता हूं। मैं वर्ष 1986-87 में दिए गए 28वें प्रतिवेदन को उद्धृत करना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य, जिनका विकास, उत्थान हो चुका है,

फिर भी वे राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठाकर सरकार से मिल रहे आरक्षण के फायदे को छोड़ना नहीं चाहते हैं।

14.00 hrs

समाज में अन्य दबे-कुचले लोगों को आरक्षण का फायदा मिल सके। जो कम्युनिटी अभी इस सूची में शामिल है, लेकिन कई कम्युनिटी के लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से काफी आगे निकल चुके हैं।

मेरे ख्याल से ऐसी जो कम्युनिटीज हैं, जिनके ऊपर अन्याय हुआ है, उनको शामिल करना चाहिए। मेरा कहना है जिस कम्युनिटी की प्रगति हो चुकी है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ चुकी हैं, उनको हम नहीं निकलेंगे तो जो डाउनट्रोडन हैं, जो दबे-कुचले लोग हैं, जिनका पॉलीटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, किसी ऑफिसर्स से इतना संबंध नहीं है, ऐसे लोगों को उसका बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा।

मंत्री महोदया, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूं, एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए। राजस्थान में चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा है। जमींदार मीणा ने इसका फायदा उठाकर सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर में बड़ी संख्या में वेल एजुकेटेड, आर्थिक, सामार्जिक और शैक्षणिक रूप से काफी प्रभावशाली हो गए हैं। सवाई माधोपुर जिले में वामनवास गांव में 59 आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। हमें खुशी है, इनकी प्रगति में हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन से आर्थिक तौर पर आगे बढ़े हैं, मंत्री महोदय को एक्सक्लूजन के बारे में सोचना चाहिए ताकि जो चौकीदार मीणा या भील कम्युनिटीज है, उसका भी विकास हो सके। महाराष्ट्र में ऐसे कई उदाहरण हैं, अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की कोशिश हो रही है। प्रिंटिंग की गलती का बहाना हो या अलग उच्चारण का बहाना बनाकर महाराष्ट्र में एक लाख से सवा लाख के आसपास फर्जी सर्टिफिकेट लोगों ने लिए हैं। धनगर ने धनगढ़ के नाम से सर्टिफिकेट लेने की कोशिश की है। हल्बी कम्युनिटी जेन्युएन ट्राइबल है, 12 हजार के आसपास उसकी आबादी है।

विदर्भ में हल्बाकोस्टी ने आदिवासियों के आरक्षण के ऊपर अतिक्रमण किया हुआ है । महादेव कोली के नाम पर म. कोली के नाम से कई लोगों ने हजारों-लाखों लोगों ने उसका बेनिफिट लिया है। का-ठाकर और मा-ठाकर एक प्रि-मिटिव ट्राइब महाराष्ट्र में माना जाता है। का-ठाकर और मा-ठाकर के नाम से ठाकुर या जमींदार है, इकोनोमिकली काफी प्रभावशाली हैं, वैसे वे ठाकुर हैं, भामटा राजपूत जैसी कई जातियों ने उसका फायदा उठाया है । धनगर कम्युनिटी महाराष्ट्र में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर काफी प्रभावशाली है। उसका ट्राइब से कोई लेना-देना नहीं है। उनके पास दो एकड़ से लेकर सौ एकड़ के आसपास लैंड हैं। दूसरी तरफ माडियागोंड, ओलम और कातकरी है, जिसे प्रिमिटव ट्राइब कहते हैं। बारिश के समय या गर्मी में आदिवासी बच्चों को खाना नहीं मिलता है । ऐसे समाज का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है । धनगर समाज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साढ़े तीन परसेंट फैसिलिटी दी है, उसको और फेसिलिटी देनी चाहिए, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। इसके एसटी में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास चल रहा है। अगर इस तरह से हुआ, जेनुअन ट्राइबल्स, जो खाना नहीं मिलने से मर रहे हैं, उनको इससे प्रोटेक्शन मिल सकता है।

महोदया, जैसा कि मैंने बताया कि महाराष्ट्र में एक लाख या सवा लाख लोग फर्जी सर्टिफिकेट लेकर आदिवासियों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1994 में कुमारी माधुरी पाटिल वर्सिस एडीशनल ट्राइबल डैवलपमेंट कमिश्नर और एमडीएफसीआई वर्सिस जगदीश वोहरा 6 जुलाई 2017 केसेस में कई जजमेंट दी हैं कि जाति वैधता प्रमाण-पत्र के बिना अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी या निम्न सरकारी संस्था में नौकरी कर रहे कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए।

महोदया, महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बोगस कास्ट सर्टिफिकेट लेकर केंद्र या राज्य सरकार में नौकरी लेकर हजारों आदिवासियों के अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है । महाराष्ट्र में सवा लाख में से 12000 से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी जाति के वैधता प्रमाण-पत्र कई सालों की सरकारी सेवा के बाद भी उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। वर्तमान महाराष्ट्र सरकार

और इससे पहले वाली सरकारें फर्जी सर्टिफिकेट के कारण नौकरी में बरकरारी के लिए हर 11 महीने का एक्सटेंशन करके उनका प्रोटेक्शन कर रही हैं।

महोदया, मेरा केंद्रीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप महाराष्ट्र सरकार को लिखिए कि जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है, उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल की जाए । मेरा विनम्रतापूर्ण निवेदन है कि आप उन्हें चिट्ठी लिखिए।

महोदया, अनुसूचित जातियों को शामिल करने की प्रक्रिया सबसे पहले राज्य विधान मंडल में पास होती है। इसके बाद केंद्रीय सरकार के अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के पास जाती है। मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव पर भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल एन्थ्रोपोलिजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और अनुसूचित जनजाति आयोग की टिप्पणियां मांगी जाती हैं। इसके बाद इस प्रस्ताव पर विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों की समिति विचार करती है और इस सबके बाद लोक सभा में बिल लाया जाता है।

महोदया, वर्ष 1976 से अभी तक बहुत कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें प्रक्रिया का पालन न करते हुए अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। आंध्र प्रदेश में लंबाड़ा को बंजारा बोलते हैं, दूसरी जाति येरूकलायाननी है, ये बंजारा कम्युनिटीज़ महाराष्ट्र में ओबीसी में आती हैं, कर्नाटक में एससी में आती हैं और राजस्थान में ओबीसी में आती हैं। इस कारण ओरिजनल ट्राइबल्स गोंड, प्रधान, मन्नेवार, थोटी, कोलाबार, नाइकोड़ा और कोंडा पर काफी प्रभाव पड़ रहा है, अन्याय हो रहा है। वर्ष 1976 से इन पर एरिया रिस्ट्रिक्शन है, मेरा निवेदन है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे द कांस्टीट्यूशन शैड्यूल्ड कास्ट एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर (सैकंड अमेंडमेंट) बिल, **2022** पर अपनी बात रखने का मौका दिया।

यह महत्वपूर्ण बिल है जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की लिस्ट में मोडिफिकेशन करने के लिए लाया गया है। The Constitution of India defines Scheduled Caste in clause 24 of article 366 and definition of Scheduled Tribe in clause 25 of the same article.

आर्टिकल-341 और आर्टिकल-342 के प्रोविजन्स के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की पहली लिस्ट वर्ष 1950 में सारे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नोटिफाई की गई थी। उसका नाम द कांस्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कॉस्ट आर्डर, 1950 और द कांस्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर्डर, 1950 पड़ा। इसी प्रकार पहली लिस्ट अनुसूचित जनजाति से संबंधित उत्तर प्रदेश में वर्ष 1967 में नोटिफाई हई थी, जो द कांस्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आर्डर, उत्तर प्रदेश, 1967 के नाम से जानी गयी। उसके बाद, इस लिस्ट में समय-समय पर मोडिफिकेशन किया गया। वर्ष 2002 में भी इसका मोडिफिकेशन किया गया था।

महोदया, इस बिल का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह प्रस्ताव दिया है कि गोंड कम्युनिटी, जो संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास नगर जिले में रहते हैं, उनको शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट से अलग करके शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल किया जाए। गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में शामिल किया जाए। इस बिल के पास होने से इस कम्युनिटी का सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिणिक विकास होगा और वे मुख्य धारा में भी आएंगे।

महोदया, बिहार के माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड तथा इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इन सभी के उत्थान के लिए आर्थिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनेक योजनाएं धरातल पर उतारी हैं। ये योजनाएं बिहार में सफल भी हो रही हैं।

महोदया, इस बिल पर अपनी बात रखते हुए मेरा यह सुझाव है कि जो भी प्रोग्राम अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए बनाए जा रहे हैं, उसे सही ढंग से लागू किया जाए । शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो भी एलोकेशन किए जा रहे हैं, उसके लिए नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और विभिन्न मंत्रालयों के बीच सही रूप से इफेक्टिव को-ऑर्डिनेशन हो, ताकि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग मुख्य धारा में शामिल हो सकें।

महोदया, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर हमेशा कहते थे- Right cannot be protected only by laws. But it is also necessary to have moral and social consciousness in the society. So, we should have to show moral and social responsibility also.

संविधान के ऑर्टिकल-46 के अनुसार स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शिक्षा और इकोनॉमिक इंट्रेस्ट की स्पेशल केयर की जाए। आज देश में तीन करोड़ बीस लाख से ज्यादा छात्र स्कॉलरशिप का लाभ उठा रहे हैं । ये छात्र एस.सी.,एस.टी. बैकवर्ड क्लास, फॉरेस्ट ड्वेलर्स और ट्राइबल तथा मॉइनोरिटी कम्युनिटी के हैं।

महोदया, माननीय मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाएं और खासकर रेसिडेंशियल स्कूल ज्यादा खोले जाएं, ताकि गरीब बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा न आए। उनका शैक्षणिक विकास हो और वे मुख्य धारा में शामिल हो सकें।

महोदया, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Madam, first of all, I would like to wish Happy Utkal Divas to all the hon. Members present over here.

Madam, the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022 seeks to modify the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of the State of Uttar Pradesh by amending the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967. The first list of the Scheduled Castes, on the basis of history, on the basis of religion, on the basis of tradition and on the basis of customs, was prepared by the first Census Commission, either in the year 1910 or 1930, and the Commission was known as the Sathe Commission. The Commission had laid down ten criteria for selecting a citizen of this country and to know whether he belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe community or not. If he satisfies all the ten criteria, then he will be included in the list. That was the constitutional requirement then because in those days, we did not have our own Constitution and it was the Government of India Act, 1920. This list was prepared in the year 1930. It was adopted in the Government of India Act, 1935 and when we became independent in the year 1947, the Constituent Assembly was formed to frame the Constitution of the country which came into effect on 26th January, 1950. Since then our country and our society have undergone tremendous changes and accordingly, we have amended the Orders from time to time. Those castes, races or tribes or groups or parts within those castes, races or

tribes who will be deemed under Article 341 to be Scheduled Castes will be, for the purpose of Constitution, treated as Scheduled Castes.

This means that a caste, race or tribe or a part of a Caste, race or tribe will be Scheduled Caste if the President, in exercise of his power under Article 341 notifies it. From that point of view, on the Objects of the Bill, there is no disagreement. But I would like to highlight certain issues which are still bothering the people from Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities even after seven decades of our Independence. Baba Saheb Ambedkar has given us a dynamic Constitution and as we are amending this Order now in this august House, I am sure we will take care of his dreams and visions.

Madam, a number of proposals of different States relating to inclusion of tribal communities in the ST list have been pending since 1978 onwards. Many of them are subsets of phonetic variations of the names of existing ST communities. It is unjust to keep them pending since long without a decision. Kudumis and Rautia tribes from Odisha have been demanding for inclusion in ST list for a long time. Around 25 lakh Kudumi people are living in different districts of Odisha including Jajpur, Mayurbhanj, Keonjhar, Balasore, Angul, Sundargarh and Sambalpur and neighbouring States like Jharkhand and West Bengal. Rautia tribes are also significant in number in Odisha. I would request the hon. Minister, through your, Madam, for inclusion of these tribes in the ST list.

Beyond inclusion in the Constitution, there are several other factors which are impending the development of SC and ST communities. We need to have a look at those issues also. Otherwise, it will be purely an academic discourse. As per the guidelines by NITI Aayog on the allocation for welfare of Scheduled Castes and allocation for welfare of Scheduled Tribes, it is mandatory to allocate proportionate to the population. But year after year, we are seeing decline in budgetary provisions and inadequate budgetary provisions which affect the implementation of development schemes for SCs and STs. There exists a gap of Rs.40,634 crore and Rs.9,399 crore in the budgets for SCs and STs as per the formula of NITI Aayog. During a time when unemployment rate is at an all-time high and when the country is witnessing a lot of reverse-migration because of the ongoing pandemic, those who have been affected most are the lower percentile of the working people – the SCs and STs. Therefore, adequate allocation in the Budget is a must for the development of the people from SC and ST communities.

The number of unfilled posts in the Scheduled Caste/Scheduled Tribe category in the Central Ministries has increased substantially over the years. As per the data from the Department of Personnel & Training (DoPT), the backlog, vacancies in SC and ST category was 8,223 and 6,955 in 2016 and it increased to 14,366 and 12,612 in 2019. These vacancies should be filled up immediately.

Madam, Article 46 of the Constitution directs the State to promote the educational and economic interests of the SCs, STs, and other weaker sections of the society and protect them from social injustice and all forms of exploitation. I think it is the appropriate time to think that the Constitution should be amended to convert this provision into a Fundamental Right with the following sentences being added to it:

> "And it shall be the right of the weaker sections of the people and in particular of the SC and ST that the State and all institutions created/promoted/assisted by the State shall at all times function fully and totally in accordance with this right and shall take every measure required to fulfil this right and shall not take any measure the effect of which will be contrary to it."

Madam, on behalf of my Party, Biju Janata Dal, I support this Bill. Thank you.

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज) : सभापति महोदया जी, आपने मुझे संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

महोदया, बहुजन समाज पार्टी कुछ संशोधन के साथ इस बिल का समर्थन भी करती है। बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखा है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में अपने शासन काल के दौरान माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाया, समाज की मुख्य धारा में उनके पुनर्वास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाईं और नीतियों के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों का विकास किया एवं कई गतिविधियां और परियोजनाएं भी शुरू की थीं।

संसद के बजट सत्र 2022-23 में, त्रिपुरा और झारखंड राज्यों ने राज्य सरकारों की सिफारिशों के साथ-साथ संबंधित आयोगों द्वारा व्यापक विश्लेषण पर अपनी संबंधित एससी/एसटी सूची में संशोधन देखा है। ऐसा ही फैसला उत्तर प्रदेश के लिए भी लिया जाना था, जो गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड समुदाय को एससी सूची से निकालकर एसटी सूची में शामिल करता है। हालांकि भारत के चुनाव आयोग ने तत्कालीन राज्य चुनावों के कारण इस संशोधन की शुरूआत को स्थगित करने की सिफारिश की थी। हालांकि, अब जब चुनाव समाप्त हो गए हैं, तो सरकार को उत्तर प्रदेश के गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए संशोधन में तेजी लानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के गोंड समुदाय के लोगों को उत्तर प्रदेश के 62 जिलों में अनुसूचित जाति और शेष 13 जिलों में अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब इन जिलों की संख्या को बढ़ाकर 17 कर दिया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में इस समाज को पूरी तरह से एसटी में डाला जाए। उदाहरण के लिए बलिया निवासी राजेश गोंड अपनी पहचान एसटी के रूप में मानते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अन्य जिलों की यात्रा करने पर उन्हें

पता चलता है कि उन्हें एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इससे आपस में उनकी पहचान को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है और साथ ही शिक्षा और रोजगार में जो आरक्षण का फायदा इस समाज को मिलना चाहिए, उससे भी वे वंचित रह गए हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि गोंड समाज की मूल पहचान या समझ की कमी प्रतीत होती है, जो सामूहिक रूप से अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाए हैं या विशिष्ट सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों को नहीं उठा पाए हैं।

इसके अलावा वे समान रूप से लाभ या योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं, विशेषकर उन जिलों में जहां गोंड का वर्गीकरण भिन्न हो सकता है। गोंड समाज पहले से ही हाशिए पर है और इससे उनका और अधिक अशक्तिकरण हो गया है। राज्य की संबंधित सूचियों में संशोधन के साथ उम्मीद थी कि यह अंततः ठीक हो जाएगा, लेकिन अब इसमें देरी हो गई है।

सूची का संशोधन वैसे भी एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें राज्य के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रालयों से कई स्तरों की सिफारिशों की आवश्यकता होती है। इसके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा और अधिक जांच की आवश्यकता है। कई अलग-अलग निकायों के बीच सहमति और अभिसरण में वर्षों लग सकते हैं और आवश्यकता से अधिक समय लेने से उत्तर प्रदेश के गोंड समाज को अधिकारों से वंचित रहना पड़ा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एससी सूची में 72 जातियां हैं और एसटी सूची में 6 जनजातियां शामिल हैं। यदि गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड समुदाय को एससी सूची से एसटी सूची में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का लाभ उठाने में मदद हो सकेगी और उन्हें सशक्त बनाया जा सकेगा। केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 8,451.92 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय निर्धारित किया है, जो पिछले साल के 7524.87 करोड़ रुपये के आवंटन से 12.32 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, कई योजनाएं जैसे 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय', 'पीएम जनजातीय विकास योजना', 'वीसीएफ-एसटी' आदि योजनाओं से इन समुदाय के लोगों को फायदा मिल सकता है। समुदाय को एसटी सूची में स्थानांतरित करके सरकार समावेशी विकास की दिशा

में एक और कदम उठा सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि इन समुदाय के लोगों को इस बढ़े हुए परिव्यय का लाभ मिल सके। इसके अलावा मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की उन 17 ओबीसी जातियों की तरफ दिलाना चाहती हूँ जैसे कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद आदि कई जातियां हैं, जिनको आरक्षण से आच्छादित करने एवं अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य मंत्री के रूप में कार्य करते हुए माननीय बहन जी ने एक ही नहीं, बल्कि कई बार प्रस्ताव भेजा है , लेकिन केन्द्र सरकार ने राजनीतिक कारणों के चलते कभी भी उन प्रस्तावों पर अमल नहीं किया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन 17 जातियों को भी ओबीसी से निकालकर, ओबीसी का कोटे का अनुपात घटाकर तथा एससी कोटे का अनुपात बढ़ाकर उसमें शामिल किया जाए। इसके साथ-साथ हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि राजभर समाज को भी ओबीसी कोटे से निकालकर एसटी के कोटे में सम्मिलित किया जाए। राज्य सरकार को इस पर दो महीने के अन्दर विचार करना है। मेरा माननीय मंत्री जी से और केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार को निर्देशित करे कि राजभर समाज को ओबीसी से निकालकर एसटी कोटे में डाला जाए ताकि वह गरीब समाज अपना उत्थान कर सके।

महोदया, आज आप अगर किसी जाति को यहां से उठाकर वहां कर देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कि आप एससी-एसटी के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण को पूर्णत: लागू नहीं करेंगे। अगर शिक्षा और रोजगार में उन्हें अपने आरक्षण का पूरा फायदा मिलेगा तो सरकार को उनको न तो मुफ्त राशन, न अन्य सुविधाएं देने की आवश्यकता पड़ेगी, वे खुद इसके लिए सक्षम हो जाएंगे और समाज की मुख्यधारा में खुद जुड़ पाएंगे। इसके लिए मेरी सरकार से, माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि निजीकरण को रोका जाए या फिर निजीकरण में भी आरक्षण को लागू किया जाए, जिससे हमारा दबा, कुचला और शोषित वर्ग समाज की मुख्यधारा में अपने आपको समाहित कर सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं।

श्री बी. बी. पाटील (जहीराबाद): सभापति महोदया, आपने मुझे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदया, मैं इन समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का समर्थन करता हूं। मैं कुछ बिंदुओं पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं। कुछ अन्य समुदायों ने भी सरकार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए अपना अनुरोध दिया है, लेकिन **वे प्रस्ताव** लंबित हैं और वर्षों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वह भी सिर्फ छोटी वर्तनी की गलतियों के कारण और उस छोटी सी त्रुटि को ठीक करने के लिए वर्षों बर्बाद हो रहे हैं और समुदाय के लोग जीवन के हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के लिए भी पीड़ित और वंचित हो रहे हैं। तथापि केवल समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने मात्र से समुदायों को उनके विकास में सहायता नहीं मिलेगी। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करें, वित्तीय सहायता के बिना उनका विकास नहीं होगा।

महोदया, वे बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनकी आर्थिक और रोजगार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारे वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने हमें बताया है कि सरकार का राजस्व दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार इन आदिवासी समुदायों को आवंटन और अवसरों को कम करने की कोशिश कर रही है।

महोदया, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र समानता का पर्याय है, लेकिन अब हम आम लोगों और आदिवासियों में पूर्ण असमानता देख रहे हैं। मैं यहां एक और बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77 प्रतिशत हमारे देश के शीर्ष दस सबसे अमीर लोगों के पास है। महोदय, पिछले दस वर्षों में, अरबपतियों की संपत्ति दस गुना बढ़ गई है, लेकिन आदिवासियों और गरीब लोगों की क्या स्थिति है? आदिवासी कुल जनसंख्या का 9 प्रतिशत हैं, लेकिन आदिवासी कुल गरीबों का 70 प्रतिशत हैं। इस प्रकार का विभाजन यहाँ है।

महोदया, 51 प्रतिशत आदिवासी बहुआयामी गरीबी से पीड़ित हैं। माननीय मंत्री जी से एक और अनुरोध यह है कि एससी और एसटी को लाभ देने के संबंध में, एससी और एसटी में कुछ ऐसे समुदाय हैं जो आरक्षण का लाभ नहीं उठाते हैं। वे शौचालयों की सफाई आदि जैसे **छोटे-छोटे काम** करने के लिए मजबूर **हो जाते** हैं। इससे शिक्षा और रोजगार के मामले में असमानता बढ़ रही है।

महोदया, आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 94 के तहत अनुसूची XIII (3) के प्रावधान के अनुसार, तेलंगाना राज्य में एक आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए केंद्र सरकार को सभी जरूरी इंतजाम करने थे, लेकिन इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस संबंध में, राज्य सरकार की ओर से वारंगल के पास मुलुगु मंडल के जकारम गांव में 512 एकड़ भूमि को राज्य सरकार द्वारा इस संस्था की स्थापना के लिए पहले ही चिन्हित किया जा चुका है।

आदिवासियों के लिए यह विश्वविद्यालय तेलंगाना में वारंगल में जनजातीय आबादी की बड़ी संख्या को देखते हुए अत्यधिक प्रासंगिक और उपयुक्त होगा। आदिलाबाद, करीमनगर, जहीराबाद और आसपास के अन्य जिलों के लिए उपयुक्त होगा। अंत में, मैं सभापीठ के माध्यम से माननीय मंत्री जी और केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए उपर्युक्त विश्वविद्यालय को विकसित करके अपने वादे को पूरा करने के लिए जरूर इसमें इंटरवीन करें।

महोदया, मैं आगे तेलंगाना में जाति जनगणना की मांग करता हूं, क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के विकास की योजना के लिए जाति जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमें संख्या का पता नहीं चलेगा, तब तक हम उनके उत्थान के लिए प्रभावी ढंग से कैसे काम कर सकेंगे। इसके अलावा, हम तेलंगाना राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार आरक्षण में वृद्धि की मांग करते हैं।

इसके साथ ही, राज्य सरकार की तरफ से शिड्यूल्ड ट्राइब की रिजर्वेशन के लिए **12** अप्रैल, **2017** को एक रिज्योल्यूशन पास करके भेजा गया था, जो आरक्षण को **6** प्रतिशत से **10** प्रतिशत करने के बारे में था। पिछले पांच साल से वह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास पेंडिंग है, इसलिए मैं फिर एक बार, आपके माध्यम से, केन्द्र सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर जल्दी से जल्दी उस रिज्योल्यूशन को पास कर देंगे तो हमारे राज्य के लोगों को बेनिफिट होगा। इसके अलावा, तेलंगाना राज्य में वेलफेयर स्कीम्स ज्यादा रहने की वजह से हमने **10** जिलों से **33** जिले बनाए हैं।

मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि वे 33 जिलों में एकल्व्य मॉडल स्कूल देंगे। इसके लिए हम ने पिछले हफ्ते प्रोटेस्ट भी किया था कि 33 एकलव्य मॉडल स्कूल चाहिए और रिजर्वेशन छ: प्रतिशत से 10 प्रतिशत चाहिए।

अंत में, मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एसटी के संत सेवा लाल महाराज की जयंति राज्य सरकार द्वारा मनाई जाती है, उसी तरह से यह केन्द्र सरकार के द्वारा भी मनाई जाएगी, तो उनके लिए एक बड़ा तोहफा होगा। धन्यवाद।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you, Madam, Chairman, for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) 2022.

At the outset, Madam, we support the Bill and welcome the Government to take the necessary steps.

मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गोंड हर जगह आदिवासी हैं, लेकिन वे कुछ जिलों में छूट गए हैं। इसी तरह से देश के कई जगहों पर ऐसी समस्या है। झोड़िया जाति काशीपुर में आदिवासी नहीं है, लेकिन कालांहांडी में आदिवासी है। दुरवा, कोरापुट और मलकानगिरी में आदिवासी नहीं है, लेकिन छत्तिसगढ़ में वह आदिवासी है। दोरा, आंध्र प्रदेश में आदिवासी है, लेकिन ओडिशा में आदिवासी नहीं है। जब मंत्री जी बिल लाते हैं, तो वह किस परिभाषा में इसे लेकर आते हैं? क्या चुनाव क्राइटेरिया है? उसके लिए आप कुछ जातियों को आदिवासी की श्रेणी में रखेंगे। …(व्यवधान)

एक आदरणीय साथी ने कहा है कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया है, सब वर्ष 2014 से मोदी सरकार ही करती आ रही है। मैं आपको उपलब्धियां गिना रहा हूं। …(व्यवधान)

The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, कांग्रेस लाई, The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, कांग्रेस लाई, PESA कांग्रेस लाई, The Constitutional Provisions under Schedule V, कांग्रेस लाई। यह सरकार जमीन अपने उद्योगपति को दे रही है। Environment Ministry ने clearance दे दिया कि सारा दे दो।

वर्ष 2019 में पांच लाख परिवारों को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एविक्शन का नोटिस आया है, सरकार उसे डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। जो सरकारी ऑफिस में आरक्षण है, उसे सरकार डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है और धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि

आदिवासियों पर हिंदू मैरेज एक्ट ऐप्लिकेबल ही नहीं है, लेकिन जब कोई आदिवासी क्रिश्चन बन गया, तो अटैक हो रहा है। आदरणीय राजेन्द्र गावित जी ने सुझाव दिया है कि कुछ जातियों को एक्सक्लूड कीजिए। सर, सुझाव मत दीजिए, ये आरक्षण को ऐसे ही खत्म करने वाले हैं। जमीन जितनी है, सब उद्योगपति को दे रहे हैं। शिक्षा के बारे में कहूं तो अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। केन्द्र सरकार 20 करोड़ रुपए का ग्रांट देती है, लेकिन लोकल स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। वे हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं। आदिवासियों के अगेंस्ट में जो क्राइम है, जो गोंड परिवार है, सोनभद्र को कौन भूलेगा, जहां मैसाकर हुआ, वहां पर 10 आदिवासियों को मार दिया गया। कलिंगनगर में अनगिनत आदिवासी, जहां पर माइनिंग होती है, जहां कारखाना होता है, वहां पर आदिवासी मारे जाते हैं। यह मोदी सरकार के सात सालों के शासनकाल में बढ़ते जा रहा है और कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया?

हम अधिकार देते आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि कैसे आदिवासी आगे बढेंगे। इस सरकार ने सात सालों में क्या बिल लेकर आए, केवल इलेक्शन के समय में किसी को आदिवासी बनाएंगे।

मैडम, आप ऐसा बिल लेकर आइए, जिससे कि हम लोगों की उन्नति हो। केवल रिजर्वेशन काफी नहीं है। जंगल, जमीन, पानी, सब हमारा है, लेकिन धीरे-धीरे सब हमारे हाथ से जा रहा है। आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे। जब नौकरी नहीं है, तो हम आरक्षण लेकर क्या करेंगे? रिजर्वेशन खत्म हो गया। आप हर पीएसयूज को बेच रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह क्या है? ऐसे हम रिजर्वेशन खत्म नहीं कर पाएंगे, चुनाव आएगा तो रिजर्वेशन में जो सुविधा मिलती है, उन सभी चीजों को खत्म कर दो।

मैडम, यह गंभीर मामला है, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, जिससे आदिवासी समाज का उद्धार हो। हम ने पिछली बार भी बताया था कि आप एक भी आदिवासी उद्योगपति, बिजनेसमैन, कॉंट्रैक्टर नहीं देखेंगे। कानून ही ऐसा है। मेरे पास जमीन है, लेकिन हमें लोन नहीं मिलता है। बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है, हम कितना बोलेंगे, कहां बोलेंगे? हमारी उन्नति कैसे होगी? यह बहुत बड़ी समस्या है। मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि केवल इंक्लूजन-एक्सक्लूजन

बिल मत लाइए। आप यह बिल लाइए कि हम आदिवासी आगे कैसे बढ़ेंगे। रिजर्वेशन काफी नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि आप हमारी उन्नति के लिए ठोस कदम उठाइए, बिल लाइए और चर्चा करिए। एक दिन की चर्चा के बारे में प्रस्ताव लाइए, उस पर हम सभी आदिवासी माननीय सांसद बोलेंगे।

हर जगह की अलग-अलग समस्याएं हैं। आदिवासियों की आबादी 10 करोड़ है। लेकिन एक आदिवासी और दूसरे आदिवासियों के कल्चर, लैंग्वेज आदि सब डिफरेंट हैं। आप समस्याओं को कैसे हल करेंगे?

मैं आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि आप आदिवासियों के बारे में सोचें। आप ऐसा बिल लाएं, जिससे हमारा उद्धार हो। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। हमारे हाथ से जंगल, जमीन और पानी सब निकल रहे हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? हम लोगों को सेफ्टी कैसे देंगे? इसके लिए आप सोचकर अच्छा कदम उठाइए, आपसे यही आशा है।

धन्यवाद।

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (**रतलाम**): माननीय सभापति महोदया, मैं संविधान (अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, **2022** के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदया, जनजाति समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। गोंड जाति, जिसे कभी अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया था, आज हम उसे अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश के एक बड़े भूभाग पर गोंड समाज का साम्राज्य रहा है। अगर आप देखेंगे, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में कमलापति, जबलपुर में रानी दुर्गावती, शंकरशाह, रघुनाथ शाह जैसे सैंकड़ों गोंड राजा हुए हैं। ऐसे गौरवशाली इतिहास के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भेद समझने में हमें **70** साल लग गए। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अगर अनुसूचित जनजाति के गौरव को किसी ने समझा है, तो वह भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है, जिसने अनुसूचित जनजाति समुदाय को मान-सम्मान दिया है। पहली बार वर्ष **1999** में जनजाति समुदाय के लिए भारत सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी के द्वारा जनजातीय मंत्रालय का गठन किया गया था। हमारे बीच में बैठे माननीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी उस मंत्रालय के प्रभारी थे। यहाँ से हमारे गौरव की शुरुआत हुई। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री मोदी जी ने पहली बार इस देश के जनजाति समाज की पीड़ा को समझते हुए भगवान बिरसा मुण्डा जी के जन्मदिन के अवसर पर **15** नवम्बर को जनजाति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री जी के इस कदम के कारण आज पूरा जनजाति समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार अंत्योदय की बात की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंत्योदय में लगभग **90** प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। इन **90** प्रतिशत लोगों के लिए वे क्या कर रहे हैं**?** हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इनके लिए, हमारी बहनों के लिए उज्ज्वला योजना लाये हैं। हमारे गरीब लोगों के लिए आयुष्मान योजना लाए हैं। इसी तरह

से, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं वन क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय भाइयों के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना लाए, जिसके माध्यम से कई ग्रामों में, लगभग **28** हजार से भी अधिक गांव, जो बिजली से वंचित थे, वहाँ उजाला पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। इस तरह से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए काम कर रही है।

अनुसूचित जनजाति बहुत ही पुराना समुदाय है। अगर मैं सही मायने में कहूँ, तो अनुसूचित जनजाति समुदाय सनातन धर्म का ध्वजवाहक है। आप देखेंगे, तो हर दृष्टि से ऐसा है। हम अग्नि की पूजा करते हैं, हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम गाय को माता मानते हैं और हम पहाड़ों की पूजा करते हैं। इस तरह से, इस देश की संस्कृति को मजबूत करने का काम किसी ने किया है, तो वह अनुसूचित जनजाति के लोगों ने किया है।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : आप हिंदू हैं या नहीं हैं?

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर : सनातन कौन है? … (व्यवधान) सनातन ही हिंदू है। … (व्यवधान) दादा, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में कोई गौ माता की पूजा करता है, अगर कोई जल को देवता मानता है, अगर कोई अग्नि की पूजा करता है, तो वह कोई विधर्मी नहीं हो सकता है। … (व्यवधान) वह विधर्मी हो ही नहीं सकता! वह हिंदू है। … (व्यवधान)

मुझे आज यह कहते हुए गौरव है। मैं गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं उस समुदाय से हूं, जिसने इस देश की संस्कृति को मजबूत किया है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारी पूजा पद्धति, हमारा रहन-सहन, हमारे रीति-रिवाज, इन सब बातों के आधार पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद-366 के भाग-25 में परिभाषित किया गया है।

सभापति महोदया, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कुछ लोग, जो हमारे अशिक्षित हैं, गरीब हैं, उनको लोभ-लालच, स्वास्थ्य का लाभ देने के झूठे वादे करके उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं। धर्मांतरण क्या करवा रहे हैं, वे हमारी जनजाति संस्कृति के खिलाफ एक वर्ग को खड़ा कर रहे हैं। ये वे लोग हैं, जिन्होंने अनुसूचित जनजाति के लाभों को लेने के लिए

धर्मांतरण कर लिया है और धर्मांतरित हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि जो हमारी जनजाति संस्कृति है, वह जनजाति संस्कृति धीरे-धीरे नष्ट हो रही है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जनजाति क्षेत्र में सबसे पहले हमारी संस्कृति का संरक्षण किया जाए और जो धर्मांतरण हो रहा है, इस धर्मांतरण को रोका जाए। यदि कुछ लोगों ने स्वयं को धर्मांतरित कर लिया है, तो संविधान के अनुच्छेद-366 में जो परिभाषा दी गई है, यदि वे उस परिभाषा में नहीं आ रहे हैं, तो उनको अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर दिया जाए। … (व्यवधान) उनको जो लाभ मिल रहे हैं, उन लाभों से भी वंचित कर दिया जाए।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं। मैं गोंड समाज की बात करता हूं, गोंड जनजाति की बात करता हूं। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में है, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में है। हमारे देश में जहां-जहां जनजाति क्षेत्र है या जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ये उन सभी जगहों में हैं। परंतु, नॉन-शेड्यूल्ड एरियाज में भी गोंड हैं। … (व्यवधान) हां, बिहार में भी हैं। हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बिहार में भी हैं। बिहार में भी हैं, झारखंड में भी हैं और पूरे देश में है। हमारे देश के अलावा दूसरे देशों में भी हैं।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं। इस प्रकार का एक बिल लाया जाए कि हमारी जनजाति जहां-जहां है, पूरे देश में उसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची में सम्मिलित किया जाए।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति – इन दोनों की संस्कृति में जमीन और आसमान का अंतर है। उत्तर प्रदेश में आज तक गोंड समाज को अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया।

इससे हमारे साथ मेंटल हरैसमेंट जैसा हुआ, हमें मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। हम भले ही कितनी भी बातें करें, लेकिन हमारा समाज जाति आधारित समाज है। हम इस तथ्य को बिलकुल मना नहीं कर सकते कि हम जाति से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसा बिलकुल नहीं है।

हमारे समाज के कई लोगों के बच्चों की शादी-ब्याह में परेशानियां आई हैं। ये जो गोंड समाज के लोग थे, ये गोंड समाज के लोग अनुसूचित जाति के लोगों पर एक एक्स्ट्रा बर्डन थे, एक बोझ थे। आज मैं माननीय मंत्री जी को और हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री परम आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया और इस बिल से अनुसूचित जाति को भी फायदा है और अनुसूचित जनजाति को भी फायदा है।

महोदया, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के क्षेत्र रीवा, सिद्धी, सतना आदि जगहों पर 'कौल' जनजाति है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 'कौल' जनजाति में शामिल नहीं है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी 'कौल' समाज के लोगों को भी जनजाति में शामिल करें।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि देश के शेड्यूल एरिया में जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें अनुसूचति जनजाति की आबादी ज्यादा है, उन जिलों को आकांक्षी जिला घोषित करें। मेरे लोक सभा क्षेत्र के दो जिले झबुआ और अलीराजपुर को आकांक्षी जिला घोषित नहीं किया है, इन जिलों को भी आकांक्षी जिले घोषित करें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। संत कबीर नगर, कुशी नगर, चंदौली, संत रविदास नगर में गोंड समाज के लोग अनुसूचित जाति की जगह अनुसूचित जनजाति में आएंगे। उनके साथ-साथ धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड समाज को भी इसका लाभ मिलेगा।

प्रो. सौगत राय : सभापति जी, यह कांस्टीट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर्डर सैकेंड अमेंडमेंड बिल सदन में लाया गया है । इस बिल के अनुसार गोंड जाति को उत्तर प्रदेश के चार जिले कुशी नगर, चंदौली, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर में अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना है । संविधान की धारा 341 में लिखा है कि कैसे अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है और धारा 342 में अनुसूचित जनजाति के बारे में लिखा है । शेड्यूल्ड ट्राइब की डेफिनेशन क्या है, वह धारा 366 (25) में लिखा है । यह जो बीच में छोटा बिल लाते हैं, उसे इनक्लूड करने में एक साल लग जाता है । राज्य सरकार रिकमेंड करता है, फिर काउंसिल में विचार होता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है । मैं चाहता हूं कि इस प्रोसेस को जल्दी किया जाए । इस बिल का सिर्फ यही फायदा होगा कि इन्हें पढ़ाई और नौकरी में आरक्षण मिलेगा । पहले जुएल ओराम जी मंत्री थे । इस बार न जाने क्यों ड्राप हो गए । अब अर्जुन मुंडा जी मंत्री हैं । अर्जुन मुंडा जी पहले झारखंड के मुख्य मंत्री थे । उन्हें बहुत एक्सपीरिएंस है और वे स्वयं झारखंड से ट्राइबल हैं । मैं चाहता हूं कि ये कोई खास काम करें । गोंड जाति को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ी है । अभी माननीय सदस्य जगदलपुर, छत्तीसगढ़ की बात कह रहे थे । छत्तीसगढ़, दांतेवाड़ा, सुकमा, जगदलपुर में गोंड जाति की लड़ाई है । इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग घुस गए हैं जैसे गणपति और रेड्डी भाई । ये लोग बंदूक लेकर और दूसरे डिवाइसेज लेकर सरकार पर हमला कर रहे हैं और बंदूक की ताकत पर हकूमत लेना चाहते हैं । पश्चिम बंगाल में भी माओइस्ट मिलिटेंसी रही है ।

लेकिन डेवलपमेंट के जरिए हम उसे नियंत्रित किए हुए हैं । आपकी सरकार को आए हुए 8 साल हो चुके हैं, लेकिन आप वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं । आए दिन हम सुनते हैं कि सीआरपीएफ की गाड़ी उड़ा दी गई, रोड ओपनिंग पार्टी पर एके 47 से हमला कर दिया गया । मैं अभी भी कह रहा हूं कि सरकार से चाहे कोई भी डिफरेंस हो, वह दूर होना चाहिए । इन माओवादियों के बारे में मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि-'They are the biggest internal security threat for the country.' वे पुलिस को, सीआरपीएफ को, बीएसएफ और आईटीबीपी

को नहीं मानते हैं। उन्होंने वहां पूरा दखल किया हुआ है। मैडम, आपको भी वहां जाना चाहिए। हमारे एक भाई बोलते थे कि दंतेवाड़ा, सुकमा में दिन में 50 आदमी लिए बिना वह घर से नहीं निकल सकते हैं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बैठे हुए हैं, लेकिन वहां उनकी बात नहीं चलती है। अर्जुन मुंडा जी, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करते हुए बताना चाहूंगा कि संविधान के शेड्यूल 5 में प्रॉविजन है, जिसे आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वह यह है कि 'Provision as to the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes.'

महोदया, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां सबसे ज्यादा मिनरल वेल्थ है। बड़ी-बड़ी कंपनीज, जैसे वेदांता, इसमें अपना दखल करना चाहती हैं। वे ट्राइबल लैंड लेना चाहते हैं और ये आदिवासी, जो रिवोल्ट कर रहे हैं, ये इन बड़ी मल्टी नैशनल कंपनीज के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं।

माननीय सभापति : सौगत राय जी, आप कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप उन्हें सुना रहे हैं। कृपया आप इधर सुनाइए।

प्रो. सौगत राय: सरकार को अनाउंस करना चाहिए कि जो शेड्यूल ट्राइब्स के एरियाज हैं, वहां पर हम किसी मल्टी नैशनल कंपनी को नहीं आने देंगे। आपके समय में यह डर आदिवासियों के मन में है और हमें इसे दूर करना है। आप एक बार पश्चिम बंगाल में आइए और हमारे जंगल महल में घूमिए। सुकांत तो नॉर्थ बंगाल में रहते हैं, वह जंगल महल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। वह आकर देखें कि हम लोग वहां के लोगों को कैसे 'फूड फॉर वर्क' प्रोग्राम में तथा पुलिस में भर्ती कराते हैं। वहां एक किशन जी थे, जो इनकाउंटर में मर गए, जिसके बाद मूवमेंट खत्म हो गया। लॉकेट जी भी कभी जंगल महल नहीं गई हैं।

जंगल महल को समझना चाहिए। पश्चिम बंगाल ने कैसे माओवादियों की इनसर्जेंसी को कन्ट्रोल किया, यह उनको जानना चाहिए और छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, उस पर नियंत्रण लगाना चाहिए। मैं हिंसा की राजनीति करने वालों के खिलाफ हूं। उनको समझाने के लिए हम तैयार हैं,

लेकिन बंदूक लेकर कोई लड़ेगा तो हिन्दुतान की सरकार को उसके खिलाफ कदम उठाने पड़ेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस छोटे से अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं।

*__DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM):__ Hon. Chairperson Madam, Vanakkam. Thank you for this opportunity to speak on this important Bill. This Bill is important as it paves way for removing the Gond community living in some districts of Uttar Pradesh from the list of SCs and including them in the list of STs. Tamil Government has also been stressing continuously a similar demand for the last more than 60 years. Even when our Tamil Nadu Chief Minister Shri M. K. Stalin met Hon. Prime Minister yesterday, among other demands, stressed the need for inclusion of Narikkuravar community of Tamil Nadu to be included in the ST list and necessary amendments should be brought by the Union Government in this regard.

In the year 1964, the then Union Government had given permission in this regard. After that when Dr. Kalaignar as the Chief Minister of Tamil Nadu tried to provide the benefits of ST community to the Narikkuravar community, the then Union Government stopped him saying without making an amendment the benefits cannot extended to that community. As a result, special rules were created and Dr. Kalaignar M. Karunanidhi extended the benefits of ST community to the Narikkuravar community. But till now they are finding a place only in the list of Backward Classes. They are not strong enough to compete educationally or economically with the other communities in the BC list. They are a nomadic tribe who make a living by selling string of beads. Throughout Tamil Nadu their population will be around 1000. They

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

don't have a place to stay. After seeing their pitiable condition Hon Chief Minister of Tamil Nadu has in the State Budget announced several welfare schemes for this community. The Union Government should bring an amendment to include them as ST. I urge that the Union Government should come forward to fulfil this long pending demand of the Tamil Nadu Government for the last 60 years.

I have another demand. There are similar castes in Tamil Nadu and other States of the country who can be removed from list of SCs and included in the list of STs as you are doing now for the Gond community of Uttar Pradesh. As the population of these communities is very small, they are unable to compete with others in the SC list for getting their benefits. As part of the 2021 Census this list should be reviewed and special measures have to be taken by the Union Government.

Pandit Ayothidasar, even 100 years earlier, in the year 1909, made a pertinent demand to the British Government when the 1911 Census was taken by them. At that time there was no list of scheduled castes. Only in the year 1935 after the Act, the list of SCs was drawn. Pandit Ayothidasar demanded the British Government that the people belonging to the exterior communities should be mentioned as Ancient Dravidians or Casteless Dravidians in the Census of 1911. The same demand of Pandit Ayothidasar still remains valid. I urge the Union Government to consider this demand and make it possible for the SCs to register themselves as Casteless Dravidians while the Census is taken by the Union Government. Thank you.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): महोदया, सदन में आज संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा हो रही है। मेरे से पूर्व विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात रखी और करीब-करीब जो भी इस बिल पर बोले हैं, सबने इस बिल का समर्थन किया है। इस विधेयक के आने से उत्तर प्रदेश की गोंड, धुनिया, नायक, ओझा, पठारी तथा राजगोंड जातियों को एसटी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा ।... (व्यवधान) वे सब इसी की उपजातियां हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात रखिए**,** नहीं तो समय समाप्त हो जाएगा।

श्री हनुमान बेनीवाल : वे इसी का पर्यायवाची हैं।... (व्यवधान) शायद आपने पूरा पढ़ा नहीं है। इसमें पूरा दे रखा है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप देखकर अपना विषय रखिए**,** नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा।

श्री हनुमान बेनीवाल : महोदया, इस संदर्भ में सभी साथी सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

महोदया, आरक्षण को लेकर इस देश के अंदर बहुत से आन्दोलन हुए हैं। समय-समय पर कई नौजवान पुलिस की गोलियों के शिकार हुए हैं। चाहे आप हरियाणा के जाट आरक्षण आन्दोलन को देख लीजिए, चाहे राजस्थान का गुर्जर आरक्षण आन्दोलन, चाहे गुजरात का पटेल आन्दोलन हो, चाहे महाराष्ट्र का मराठा आन्दोलन हो, चाहे कर्नाटक का लिंगायत आन्दोलन हो, आन्ध्र प्रदेश में कापू जातियाँ आरक्षण के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। मेरी माँग है कि इन लोगों को भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा 'सबका साथ-सबका विकास' की बात करते हैं, तो इस पर भी सोचिए और हरियाणा, यूपी, दिल्ली सहित 9 राज्यों के जाटों का जो आन्दोलन हुआ, हमारे राजस्थान के अंदर धौलपुर और भरतपुर के जाट भी इसमें हैं, बाकी जाटों का आरक्षण दिल्ली में है, लेकिन उनको नहीं है, तो उनको भी दिल्ली के अंदर, जिन प्रदेश का खत्म किया है, धौलपुर, भरतपुर के जाटों को भी दिल्ली सरकार, केन्द्र की नौकरियों के अंदर भी आरक्षण दे। मैं माँग करूँगा कि ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर आप बार-बार, जैसे एसटी से संबंधित अभी त्रिपुरा राज्य का एक

बिल था, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित बिल है, आप हमेशा नए-नए बिल लाकर और एक-एक जाति को, कहीं किसी जाति को एससी से एसटी में डाल रहे हैं।

15.00hrs

कहीं एसटी से वापस एससी में डाल रहे हैं, कहीं ओबीसी में डाल रहे हैं और ओबीसी से अलग कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप इसके लिए एक कमेटी बनाए, जो एक साथ देश का सर्वे करे कि किन-किन जातियों को आपको कहां-कहां रखना है? इससे सदन का समय भी खराब नहीं होगा। जब आप सरकार में आए थे और एनडीए की सरकार बनी थी, तो हमेशा एक बात कही थी कि यूपीए के समय जो फालतू के बिल लाए, कानून ला-लाकर जो रिकॉर्ड बनाया है, उनको हम खत्म करेंगे एवं रिपील करेंगे।

यह बात आपने कही थी। मेरा यह निवेदन है कि आप एक कमेटी बनाए, जो देश में सर्वे करके इस काम को करे। मैं इस बिल का समर्थन कर रहा हूं।

सभापति महोदया, समाज के कमजोर वर्गों में सबसे प्रतिकूल स्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की है और संविधान में इन जातियों के बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने और उनकी सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करने के लिए प्रावधान बनाये हुए हैं। बावजूद इसके, जो स्थिति इन वर्गों की है, उस पर इस सदन को चिंतन-मनन करने की जरुरत है। मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और दलित वर्ग देश के विभिन्न हिस्सों में समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तमाम कानूनों के बावजूद दलितों पर बढ़ते अत्याचार की घटनाओ में कोई कमी नही आ रही है।

सभापति महोदया, आज भी जनजातीय समुदायों का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है, जिससे ये आम बोलचाल की भाषा को समझ नहीं पाता है। सरकार की कौन-कौन सी योजनाएँ इन तबकों के लिये हैं, इसकी जानकारी तक इनको नहीं हो पाती है, जो इनके सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है।

सभापति महोदया, मैं एक-आध मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । आज हम अनुसूचित जनजातियों के हितों की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूँ कि देश के 23 आईआईटी में दिसंबर, 2021 में दिए आंकड़ों के मुताबिक देश भर के आईआईटी में अनुसूचित जनजाति के मात्र 32, अनुसूचित जाति के मात्र 183 और अन्य पिछड़ा वर्ग से मात्र 462 फैकल्टी सदस्य थे। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में 31 दिसंबर, 2020 तक अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 34,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। जब इतने पद खाली पड़े हैं तो आरक्षण का लाभ ले कौन रहा है, इस विषय पर आपको गंभीरता से सोचना होगा।

सभापति महोदया, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा तैयार किए गए ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों की स्थिति और परिवारों की भूमि एवं पशुधन धृतियों का मूल्यांकन वर्ष 2019 में सर्वे करवाया था, जिसमें यह आंकड़े आए कि देश के 17.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 44.4 फीसदी परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 21.6 फीसदी अनुसूचित जाति (एससी), 12.3 फीसदी अनुसूचित जनजाति (एसटी) के हैं। इसी सर्वे ने यह भी दर्शाया है कि एक कृषि परिवार हर महीने औसतन महज 10,218 रुपये कमा पाता है।... (व्यवधान) इसमें ओबीसी कृषि परिवार 9,977 रुपये, एससी कृषि परिवार 8,142 रुपये और एसटी कृषि परिवार 8,979 रुपये प्रति महीने ही कमा पाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि सामाजिक न्याय में कौन से समुदाय अभी तक पिछड़े हैं, जहां आरक्षण या अफर्मेटिव एक्शन का लाभ पहुंचाया जाए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपकी बात हो गई।

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति जी, एक मिनट का टाइम दे दीजिए। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, जिनको मैं रखना चाहता हूं। विडम्बना है कि सरकार ने जाति जनगणना कराने से इनकार कर दिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से

कठिन और दुष्कर है। इसलिए मेरी मांग है कि विकास की दौड़ में पिछड़ रहे समुदायों की जल्द से जल्द गिनती हो ताकि सामाजिक न्याय उन वर्गों तक पहुँचे।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान प्रदत हक़ और अधिकार इस देश में रहने वाले पिछड़े, दलित तबके के लिए दिए, उसके बावजूद आज़ादी के दशकों बाद भी हमारे देश का दलित भेदभाव, उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। कहने को तो अनेक योजनाएं दलित समुदाय के लिए हैं, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है? ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइये।

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं एक सुझाव रख रहा हूं। मैं राजस्थान से आता हूं। अधीर रंजन जी, यहां बैठे हुए हैं और मेरी बात सुने बिना ही वे खड़े हो जाएंगे।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बोलिए।

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति जी, अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर धौलपुर जिले से 26 साल की दलित महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। गांव के दो दबंगों ने देसी कट्टा दिखाकर उसके पति और बच्चों के सामने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। राजस्थान के पाली जिले में एक दलित संविदा कर्मी की निर्मम हत्या कर दी गई। इससे पहले अलवर के थानागाजी में दलित महिला का गैंगरेप करके वीडियो वायरल किया गया। अलवर जिले में मूकबधिर बालिका के साथ जो घिनोना कृत्य हुआ, वह पूरे देश के सामने आया और ऐसे अनेक प्रकरण हैं, जिससे राजस्थान को हर रोज शर्म सार होना पड़ रहा है। आज भी देश के कई हिस्सों में दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने के मामले सामने आते है और ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बात करने से कुछ नहीं होगा। हमें दलितों के उत्थान के लिए, उनके संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठिये। ऐसे नहीं किया जाता है।

श्रीमती नवनित रवि राणा।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदया, संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) (दूसरा संशोधन) बिल, 2022, जो हमारे मंत्री महोदय लाए हैं, मैं उसके लिए मंत्री महोदय को, डिपार्टमेंट को और प्राइम मिनिस्टर जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी । उत्तर प्रदेश के चार जिलों में जो गोंड समाज रहता है, बेसिकली संत कबीर नगर में, कुशीनगर में, चंदौली में और रविदास जिलों में यह गोंड समाज रहता है । आज उन्हें एसटी में लाकर न्याय देने का काम हमारी सरकार कर रही है, मैं इसके लिए पूरी सरकार का और प्राइम मिनिस्टर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी ।

हमारे क्षेत्र में भी, जिस क्षेत्र से मैं संबंध रखती हूँ, ऐसे महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में है, अमरावती में है, यवतमाल में है, गोंदिया के कई भागों में हैं, नन्दूरबार में है, ऐसे ट्राइबल एरियाज़ में हमारे ट्राइबल लोग रहते हैं । मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ, पूरे दिल से समर्थन करती हूँ, परंतु सर से मैं कुछ विनती करना चाहूंगी । हमारे जिले में आदिवासी समाज के लोग काफी सालों से रहते हैं । बहुत सारे बेनिफिट्स केन्द्र सरकार राज्य सरकार को देती है, राज्य सरकार उसमें से 20-30 पर्सेंट क्षेत्र में पहुंचा पाती है । मैं पहला सब्जेक्ट महिला एवं बाल कल्याण का उठाऊंगी कि केंद्र से जो बेनिफिट राज्य को जाता है । वह पूरा बेनिफिट हमारे लोगों तक पहुंचता नहीं है । आज पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कोई फेस करता है तो जो आदिवासी लोग हैं, जो एसटी लोग हैं, उनको फेस करनी पड़ती है । सिकल सेल की बीमारी सबसे ज्यादा वहां होती है, जिसमें खून की कमी से डेथ रेट्स हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा हैं । उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे लोग फेस करते हैं । उनकी प्रोग्रेस के लिए हम क्या कर रहे हैं? किस तरह से हम बजट में इम्पलिमेंटेशन कर रहे हैं कि वहां तक उनको सीधे बेनिफिट्स मिलने चाहिए । उनके फॉरेस्ट एरिया में, जो फॉरेस्ट के कोर में रहते हैं, जो टाइगर रिज़र्व एरिया में रहते हैं, उनके आने-जाने के लिए रास्ते भी नहीं हैं । अगर कोई प्रेगनेंट लेडी वहां पर डिलीवर करने के लिए निकलती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि रोड खराब होने के कारण और वहां पर फैसिलिटी उपलब्ध न होने के कारण उसकी मृत्यु बीच रास्ते में ही हो जाती है । शिक्षण के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो पहली से आठवीं कक्षा तक के

स्कूल्स गांव में रहते हैं, परंतु वहां पर टीचर्स उपलब्ध नहीं हैं। मुझे पता है कि यह स्टेट का विषय है। पर केंद्र अगर जातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब में ला कर उनको न्याय देने का काम कर रही है तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से फामर्स को डायरेक्ट बेनिफिट्स लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे जाता है, महिला बाल कल्याण की जितनी भी पोषणाहार की योजनाएं केंद्र से देते हैं, वे स्टॉप कर के सीधे आदिवासियों के खातों में पैसे पहुंचने चाहिए। उसके लिए हमें प्रावधान करना चाहिए।

मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि एकलव्य स्कूल दे कर मेरे धारनी तालुका के बच्चों को न्याय देने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। पर मैं आपसे विनती करूंगी कि जिस भी क्षेत्र के ट्राइबल एरिया में लोग रहते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़, शिक्षण की फैसिलिटीज़ पर ध्यान देना चाहिए।

उनके लिए महिला एवं बाल कल्याण के द्वारा जो भी योजनाएं केंद्र से जाती हैं, वे डायरेक्ट उनके खाते में मिलनी चाहिए, न कि राज्यों को मिलनी चाहिए, जिससे हम उनकी पर्सनेलिटी और डेवल्प कर सकते हैं और उनके शिक्षण में मदद हो सकती है। अगर इसके लिए आपने सोचा है और उनको डायरेक्ट बेनिफिट दिया तो मुझे लगता है कि हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब वाले एरिया के जितने भी लोग है, उनको बहुत फायदा होगा।

उस दिन मैंने एक मुद्दा उठाया, हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया के जो आदिवासी लोग हैं, मैडम, कुछ गांवों में 70 से 80 किलोमीटर सिर्फ बैंक के कामों के लिए जाना पड़ता है। मनरेगा के द्वारा हमारे ट्राइबल एरिया में सबसे ज्यादा लाभ हमारे आदिवासी भाई लेते हैं। पर आज भी मेरे आदिवासी भाई अलग-अलग क्षेत्रों में जा कर अपने घरों का पालन पोषण करने के लिए मज़दूरी करते हैं। ऐसी कोई फैसिलिटी दी जाए, जो अपने क्षेत्र में वे रहें और अपने परिवार के साथ रह कर उनका पालन-पोषण कर सकें। ऐसी योजना पर भी हमें काम करना चाहए, जिससे उन्हें बेनिफिट मिले। मैं यह विनती करूंगी।

यह 4जी जो यह केंद्र सरकार ट्राइबल एरिया के लिए ला रही है, मेरे अमरावती क्षेत्र के लिए भी उस योजना का लाभ पहुंचाएं, जिससे हमारे विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए बहुत बड़ी मदद की जा सके। सर, मेरे क्षेत्र के कुछ गांव ऐसे हैं, यह राज्य का विषय है, उसमें अगर फोन करते हैं, वे एमपी के बाजू में लग कर गांव हैं, एमपी में वह फोन जाता है और एमपी वाले बोलते हैं कि हम आपके राज्य में आ कर, आपका पेशंट उठा कर हॉस्पिटल तक नहीं ले कर जा सकते हैं। ऐसे गांव के लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए, जिससे उन्हें बेनिफिट्स मिलें।

मैडम, हमारे मंत्री महोदय का जो पॉज़िटिव एटिट्यूड टूवर्ड्स हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के लिए है और हर योजना कैसे उन तक पहुंचे, उसके लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं मंत्री महोदय का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगी । साथ ही ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मेरे क्षेत्र के लोगों को दीजिए, इतनी ही विनती मैं आपसे करूंगी।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I rise to support the Bill but subject to certain reservations and clarifications from the hon. Minister. You may kindly see that we are having Azadi ka Amrit Mahotsav, that is 75 years of Independence is being celebrated in our country. Even after seven and a half decades of independent India, we are not even to have the upliftment of the advasi, the Scheduled Tribe, and the Scheduled Caste people in the country. What has been gained during the 75 years of post-independent India? So, I fully support the reservation for the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes, specially the advasis, Scheduled Tribes people; their living condition is still in a pathetic situation, if we examine what is happening in various parts of the country. Rightly today, Shrimati Mondal spoke today morning. Mere reservation is not sufficient to meet the purpose or for uplifting the poor people, people who are downtrodden and the marginalised sections of the society. Many other measures have to be taken for ensuring the rights of the tribal people, the advasi people, and the people belonging to the Scheduled Castes. I urge the hon. Minister to look into this aspect.

I would like to make one suggestion to the hon. Minister regarding the advasi tribal people. In my State also, they are having their own traditional medical system and treatment, etc. But it is becoming extinct. The AYUSH Minister is also here. I would very well cite my own State here. In Wayanad district in Kerala, there are traditional *vaidyas* or physicians. Adivasi tribal people are well equipped because their traditional knowledge is a vast treasure as far as AYUSH or the traditional medical system is concerned. There, it is

called the ethnic medical system. After coming into being of the National Medical Commission, AYUSH, etc., now, the adivasi ethnic traditional physicians or *vaidyas* are not able to continue their system of medicine because of the new modern law which has come into force. So, my submission is to both the hon. Minister of Tribal Affairs, Shri Munda and the AYUSH Minister, who has last week, made a statement that in Gujarat, an International Institute for Traditional Medicine System is going to start. I urge upon both the hon. Minister of Tribal Affairs, Shri Munda and the AYUSH Minister, to protect the ethnic rights of the tribal people by protecting their medical practising system because there is fear of extinction of their medical herbals, which they get from forest. They know it very well.

I was there for treatment for one week, before the Session commenced. Wonderful treatment is being given. That system has to be protected by any means because many lacunae are there. Kindly have a look into it. Both the hon. Minister of Tribal Affairs, Shri Munda and the AYUSH Minister should look into aspects as to how it should be protected. Otherwise, the vast, in-depth knowledge of this traditional, ethnic medical system will be lost. This is the only suggestion which I would like to make.

I will not speak on the amendments. I am raising two or three technical objections. The first is regarding the legislative process. Hon. Parliamentary Affairs Minister, Shri Arjun Meghwal is here. Now, the House is discussing three Bills. We have one passed on the 20th of March; today, we are discussing another Bill regarding Uttar Pradesh; we have passed the Bill regarding

Tripura. Another Bill is coming from Rajya Sabha, which has been passed yesterday, for discussion. Madam, Chairperson, this is nothing but abuse of the legislative process. How much time and money of the Ministry and the House is being wasted? Why do we not incorporate all these in a comprehensive Bill so as to have a single Bill? Why are we having three Bills? It is because all these communities come under the Scheduled Caste Order and the Scheduled Tribes Order.

As per the constitutional mandate, we can have a comprehensive Bill by which all these communities or castes or tribes can be incorporated in the ST or the SC Order in respective manner. We are going to discuss another Bill next week; the Bill which was passed by Rajya Sabha is again coming here. We are going to have the same discussion. Why do we not have a comprehensive mode of legislation? This is a bad legislative practice being pursued by the Government. Several times in the past I have raised this issue. I would request the Parliamentary Affairs Minister to kindly look into this issue.

Regarding Article 341 and Article 342, I fully support the observations made by Shri Jagdambika Pal that it is not regarding the State of Uttar Pradesh as a whole. It is only applicable to certain parts of Uttar Pradesh. If you read the language of Article 341 and Article 342, it clearly implies that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have to be specified in relation to a State or a Union Territory.

That means the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have to be for the whole of the State or for the whole of the Union Territory. How are in various SC orders and ST orders many SCs and STs district specific? So, I request the Government to get this issue legally examined. Otherwise, we will be doing a legal wrong.

I fully support the argument made by Jagdambika Pal ji regarding Article 341 on Scheduled Castes and Article 342 on Scheduled Tribes that this has to be legally examined because Article 341 says, 'The President may with respect to any State or Union Territory and where it is a State after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within the castes, races or tribes which shall for the purpose of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to the State or Union Territory as the case may be'. It is not in relation to a district, a taluk or a village.

माननीय सभापति : आप कम्प्लीट कर लीजिये।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: So, a legal examination is required. My second objection is regarding the legal drafting. Madam, we have passed a legislation on 28th March and another Bill is coming for further discussion. In this Bill, two schedules are incorporated. Why are these two schedules incorporated? These amendments can be very well incorporated in the body. I would like to suggest the legislative process be in a healthy democracy. This type of piecemeal legislation is not good for a healthy parliamentary

democratic system. That has to be looked into. With these words, I support this Bill once again for incorporating this in the Scheduled Tribes Order.

*** DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):** Hon. Chairperson Madam, Vanakkam. Thank you for this opportunity to speak on this important Bill. Scheduled Castes and Scheduled Tribes are the sons of this soil who have no religion or caste. But to show them as a Hindu majority, we are providing them the Certificates as Hindu. We have included them as part of the list of Hindu communities. This itself is a betrayal to this community. This Government, which has included them in the Hindu list to make them as Hindu majority, has done nothing to improve their educational and economic conditions or to provide employment. This Government has shown no concern towards protecting them from the atrocities targeted against them. This is what we have come to know from the history of the last 75 years of Independent India. Therefore they should be declared as non-Hindus in the first instance. I urge the Government that the SCs and STs should be declared as non-Hindus as per the wishes of Dr. B.R. Ambedkar and Pandit Ayothidasar. Otherwise you should bring an amendment to the Constitution so as to declare them an ancient Buddhists. Almost 25 per cent of the population belong to these communities in India. They all should be declared as ancient Buddhists. People belonging to ST community face difficulties in getting certificates. Several tribal communities like Irular and Kurumbar communities of Tamil Nadu are facing lots of problems to get a caste certificate to avail the benefits

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

of education and employment. Hon Supreme Court has given some guidelines as regards issuance of Community Certificates. Since the guidelines are not followed, the people belonging to these communities face difficulties in getting caste certificates. Due to this, they are deprived of education and employment opportunities. They are unable to get the ownership right or the patta for their land. These people have been living along the water bodies or water front for generations together. But they are deprived of getting a land patta or denied the ownership right of the land in which they live. The reason stated for denial is that they live near the water bodies or the catchment areas. I urge that these issues should be addressed in favour of the sons of this soil. Thank you.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): सभापति महोदया, मैं संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह मुख्य रूप से गोंड जाति के हमारे बंधुओं के बारे में संशोधन आया है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों, जो 1950 का अनुसूचित जातियों का आदेश है, उसके 36वें क्रम पर गोंड को महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस, सोनभद्र जिलों को छोड़कर था, उसमें चंदौली, संत कबीर नगर, कुशी नगर और संत रविदास नगर को जोड़ा गया है। गोंड की अन्य पर्यायवाची जातियां गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड हैं। इन जातियों को उनके अतिरिक्त चंदौली, संत रविदास नगर, कुशीनगर और संत कबीर नगर में जोड़ा गया है। यह बिल इस दृष्टि से काफी महत्व रखता है कि इस समुदाय को अब तक जो अधिकार मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। इसकी चर्चा सब लोग कर चुके हैं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

यहां यह चर्चा आई कि ये छोटे-छोटे बिल क्यों आ रहे हैं? आदरणीय प्रेमचन्द्रन जी का मैं आदर करता हूं, क्योंकि वे विधायी प्रक्रिया के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जो जनता हमें चुनकर भेजती है, वह अपनी बातें भी सुनना चाहती है। हम आज जिस गोंड जाति पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं, वह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। भारत के सिनेमाघरों में जो फिल्म रिलीज हुई है, आरआरआर, राइज, रोर और रिवाल्व्ड, जो नये कीर्तिमान गढ़ रही है, वह देश के इन्हीं गोंड नायकों पर है। फिल्म जरूर काल्पनिक है, लेकिन रामजी गोंड और कुमारन भीम गोंड, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रहे। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। एक को वर्ष 1760 में फांसी दी गई, दूसरे को वर्ष 1940 में अंग्रेजों की सरकार ने मारा। यह संदेश है कि अगर हमारे सभी समुदाय मिलकर काम करेंगे तो हम भारत को किस दिशा में पहुंचा सकते हैं और वही काम आज गोंड जातियों को भी मुखर रूप से देने का काम हमारी सरकार ने आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। यह

सामान्य बिल नहीं है। यह उन अनजाने शहीदों और हीरोज़ का सम्मान है, जिनका देश ने आज तक नाम नहीं सुना था।

अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि आपने किया ही क्या है? उनको अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन किसने और कब बनाया? वर्ष 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई। जनजातीय मंत्रालय कब बना? जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई। उसके बाद वर्ष 2003-04 में माननीय अटल जी की सरकार में ही यह माना गया कि बहुत बड़ा विभाग है, इसलिए शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स, दोनों के अलग-अलग कमीशन करके शेड्यूल ट्राइब्स का फुलफ्लेज्ड कमीशन बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी को देश के पिछड़े, शोषित बंधुओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित करने के लिए किसी के सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं है। हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं लोक सभा में सामान्य सीट से जीतकर आता हूं, लेकिन मेरे यहां पांच में से चार विधानसभायें रिजर्व्ड हैं। मैं वहां से दोबारा चुनकर आया हूं। मैं यह इसलिए मानता हूं कि उस समुदाय ने हम लोगों पर विश्वास और भरोसा किया है, इसलिए पहली बार की विजय से दूसरी बार की विजय में तिगुने से ज्यादा का अंतर दिया है। इसलिए हम उसकी आवाज बनना चाहते हैं। आजादी के 70 सालों के बाद भी उनका इतिहास में नाम नहीं था, हमने नाम देने का काम किया है, सम्मान देने का काम किया है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। हम शुरू से कहते आए हैं, जब हम दो सदस्य थे, तब से कहते आए हैं कि हम सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही समाज और भारत बनाना चाहते हैं, यह उसी की अभिव्यक्ति है।

इसी पार्लियामेंट में जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी, तब झारखंड के लेजेंडरी लीडर जयपाल सिंह मुंडा ने सवाल किया था कि क्या कोई कांग्रेसी बता सकता है कि उन्होंने कभी किसी सामान्य सीट से आदिवासी को खड़ा किया? आज हम यह कहने में सक्षम हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया ने अर्जुन मुंडा जी को जमशेदपुर की सामान्य सीट से लोक सभा में जीताकर भेजा। बाबू लाल मरांडी को कोडरमा से जीता कर भेजा, जब उनको राज्य का मुख्यमंत्री बनाया तो

रामगढ़ की समान्य सीट से जीता कर भेजा। भारतीय जनता पार्टी विद्वता और समानता के आधार पर जिसके अंदर जैसी क्षमता है, उसको अधिकार देती है। इसीलिए यह बिल लाया गया है, यह बैड प्रैक्टिसज नहीं है। हम उस जनता को यहां से बताना चाहते हैं कि हां, हमने तुम्हारे लिए काम किया है।

मैं चन्दौली में था, चन्दौली के खासकर नवगढ़ अंचल के लोगों की यह मांग थी क्योंकि वहां आदिवासी बाहुल्य है। मैं माननीय मुंडा जी से आग्रह करूंगा कि खारवार और चेरों को भी शेड्यूल ट्राइब्स में जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करें, क्योंकि बनारस में जुटा है। बनारस से ही चंदौली अलग हुआ है, सोनभद्र में है, मिर्जापुर में है। उनके साथ इंसाफ करें और वहां की जनता को मौका दें। मैं इस विधेयक का बहुत-बहुत समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): सभापति महोदया, The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill के सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। समय कम है इसलिए मेरी कुछ बातें रह जाएंगी, जिसे मैं आपकी अनुमति से रिकार्ड में लाना चाहता हूं। मैं सीधे अपने क्षेत्र के विषय पर आता हूं। गोरखा समुदाय से संबंधित मुद्दे हैं, जिसमें काफी समय लग रहा है। मैं आपके माध्यम से समस्त देश को बताना चाहता हूं कि गोरखा जिसे मूल रूप से हिल ट्राइब के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद से उनको इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। दार्जिलिंग का मूल जिला, जिसमें दार्जिलिंग व दोआर शामिल है, वर्ष 1947 तक पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया के रूप में जाना जाता था। पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया उसको माना जाता था, जहां जनजाति रहते थे। इतिहास में हमें यह भी देखने को मिलता है कि दार्जिलिंग की अलग ही एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था थी। वर्ष 1861 से पहले नॉन-रेग्युलेटेड एरिया था, फिर रेग्युलेटेड एरिया बना, फिर नॉन-रेग्युलेटेड एरिया बना, फिर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बना। वर्ष 1919 से लेकर 1935 तक बैकवर्ड ट्रैक बना। वर्ष 1935 से 1947 तक पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया बना, 1954 के अब्जॉबर्ड एरिया एक्ट के अंतर्गत यह बंगाल का हिस्सा बना। सभापति महोदय, मेरा कहना है कि **7** अलग-अलग समाज के लोगों को जिसमें लेपचा, धुपका, भूटिया, योलमो, शेरपा, लिम्बू/सुब्बा, तमांग को एसटी में शामिल कर दिया गया। वर्ष 2002-03 में अटल जी के समय में लिम्बू और तमांग को भी एसटी शेड्यूल में रख दिया। अभी भी 11 जनजातियां मनगर, राय, सुनवार, याखा, गुरूंग, नेवार, खास, धीमल, जोगी, थामी और भुजेल छूटी हुई हैं। दार्जिलिंग- कलिम्पोंग का एरिया बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है। हिन्दुस्तान में डेढ़ करोड़ गोरखा बोलने वाले नेपाली समुदाय के लोग भी रहते हैं। नेपाल में तीन करोड़ लोग हैं। ओपन बार्डर होने के कारण डेढ़ करोड़ गोरखाओं को बार-बार नेपाली या विदेशी कहा जाता है। इससे गोरखा समुदाय बहुत आहत होता है। देश के प्रति हमारी वफादारी और ईमानदारी पर क्वेश्चन मार्क लगता है। मैं इसकी मांग इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिले या नौकरी मिले। ये जनजाति थे, जिसे छीन लिया गया, इन्हें वापस इसमें डालना

है। इस एक काम से कई समाधान हो सकते हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस प्रक्रिया को जल्दी किया जाए। अंत में, मैं नेपाली में एक ही लाइन कहूंगा।

Through you I would like to request the honourable Minister that keeping in mind the contributions of Gorkhas, the remaining 11 tribal communities should be given ST status.

Thank you.

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, यदि सभा की सहमति हो इस बिल के पारित होने के बाद प्राइवेट मैम्बर्स बिल लिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: हम सहमत हैं।

माननीय सभापति: श्री गिरीश चन्द्र जी।

* ...* English translation of this part of the speech was originally delivered in Nepali.

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): माननीय सभापति जी, आपने मुझे संवैधानिक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, **2022** पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। महोदया, जब भी केंद्र सरकार को लगता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति **1950** की अनुसूची में किसी जाति को शामिल करना हो या निष्कासन करना हो तब इस प्रकार संशोधन कर इसको मूर्त रूप दिया जाता है। महोदया, उत्तर प्रदेश में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी और राज गोंड पांच जातियां संत कबीर नगर, चंदौली, कुशी नगर, सिद्धार्थ नगर और अम्बेडकर नगर में हैं। सरकार आज इनको एससी जाति का दर्जा देने के लिए बिल लेकर आई है, इसका मैं और बहुजन समाज पार्टी समर्थन करते हैं। महोदया, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि केवल सरकारी नौकरियों का जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जातियों में लेने से उद्धार नहीं हो सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दी है, अगर इनको लाभ मिलेगा, तभी ये जातियां आगे बढ़ने का सपना पूरा कर सकती हैं। महोदया, अगर केवल सरकारी नौकरियों की बात की जाए, अगर सरकारी उपक्रम ही नहीं रहेंगे तो संविधान की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षण का लाभ कहां से मिलेगा? उनका आर्थिक विकास कैसे होगा? किसी भी सरकारी उपक्रम को हटा देने से उस उपक्रम से संबंधित गतिविधियां समाप्त नहीं हो जाती हैं, बल्कि उस प्राइवेट व्यक्ति या फर्म द्वारा उपक्रम को चलाया जाता है। महोदया, यदि कोई सरकार किसी सरकारी उपक्रम को प्राइवेट सैक्टर को बेचती है, अगर वह सरकार सच्चे मायने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हितैषी है और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के भारतीय संविधान को मानती है तो उस उपक्रम में संविधान की मंशा के अनुसार उस वर्ग के लोगों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करे। महोदया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। जब तक इस वर्ग के लोगों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक समाज का विकास होना नामुमकिन है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों ने शिक्षा को प्राइवेट सैक्टर को देकर अपने ऊपर प्रश्न चिह्न लगा लिया है कि

वास्तव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित वर्ग की हितैषी हैं या नहीं? अगर प्राइवेट विश्वविद्यालयों, स्कूल, कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे दाखिला कराने में असमर्थ हैं तो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग शिक्षित होकर कैसे देश की मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं? महोदया, आप उत्तर प्रदेश को देखें, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आदरणीय बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं। मायावती जी ने अनुसूचित जाति और जनजाति बच्चों को जीरो बैलेंस पर एडमिशन कराकर पहली कक्षा से एमटेक, बीटेक, इंजीनियरिंग तक शिक्षा देकर डिग्री दिलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में एससी और एसटी के छात्र-छात्राओं ने शिक्षा तो ग्रहण कर ली लेकिन इस सरकार के जाने के बाद छात्रवृत्ति न पहुंचने के कारण तमाम बच्चों की डिग्रियां रुक गईं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको डिग्रियां दिलाई जाएं। महोदया, अंत में, मैं एक और अनुरोध करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचिज जनजाति पर अत्याचार, ब्लात्कार और मर्डर की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों को निर्देशित करे ताकि ये घटनाएं रोकी जाएं तभी इस समाज के इस वर्ग को न्याय मिल सकता है।

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए इस बिल का समर्थन करती हूं । प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदाय के उत्थान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है । आज यह बिल भी उसी संकल्प को सिद्ध करता हुआ प्रतीत हो रहा है । हम प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' संकल्प के साथ देश के प्रत्येक वर्ग और समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं । इसी संदर्भ में यह बिल विभिन्न समुदाय को एस.सी. वर्ग में जोड़कर उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम करेगा । लेकिन, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पश्चिम बंगाल में जो मतुआ समुदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके ऊपर तृणमूल सरकार द्वारा बार-बार अत्याचार किया जाता है । परसों मतुआ सम्प्रदाय का एक मेला था, उसमें माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का भाषण था । वह दिन पुण्य स्नान का दिन था । बहुत-सारे तीर्थयात्री एक बस के द्वारा कोलकाता से जा रहे थे । उस बस में बहुत सारी महिलाएं एवं बच्चे थे । लेकिन, बारासात काजीपाड़ा में एक विशेष सम्प्रदाय के लोगों ने उस बस को रोक लिया और महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किया । महिलाओं के साथ शीलहानि की गई और बच्चों के ऊपर भी अत्याचार किया गया । तृणमूल के जो एक विशेष सम्प्रदाय के लोग थे, वे उनका मोबाइल भी ले गए और बाद में कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो आप ढाई हजार रुपये दीजिए और यहां से मोबाइल लेकर जाइए । इमाजुल नाम के लड़के ने यह काम किया । मतुआ सम्प्रदाय की बहुत सारी माँ, बहनों और बच्चे के ऊपर अत्याचार होता है, लेकिन राज्य सरकार एकदम चुपचाप है । हम लोग जानते हैं कि जब सीएए बिल पास हुआ था, उसके तुरंत बाद पूरे पश्चिम बंगाल में ट्रेन, बस सब कुछ जला दिए गए थे । ... (व्यवधान) उस समय मुख्य मंत्री जी ने कहा था-

*At that time she had said that the cattle that provide milk to us must be taken care of. Politics of appeasement is the order of the day in West Bengal. Chief Minister is a daughter of Bengal. Women of Matua community are also women of Bengal. The tribal people are tortured all the time in West Bengal. A senior politician like Saugata Roy was saying today that violence does not take place in Bengal. It is in Bengal only that most atrocities occur on the tribals, the Matuas, the women. They are tortured in West Bengal, policy of appeasement is followed. Kindly look into the matter. I like to draw the kind attention of the government and request that please stop such attacks on the people of the Matua community. We should all raise our voices against such atrocities against the mothers and daughters of Matua. Thank you. *

… English translation of this part of the speech was originally delivered in Bengali.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Hon. Chairperson Madam, I rise to support the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022.

During the introduction of the Bill, I took a serious exception to the way the Government has been bringing one after another Bill for reservation. It does not behove the constitutional parameters of our country. That day also, I proposed that the Government should bring forward a comprehensive legislation insofar as reservation is concerned.

Madam, the fact is that India is a kaleidoscope of tribal population because India has the largest tribal population in the world. अंडमान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यहां रिजीजू जी भी हैं, आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड में जाइए, वहां 90 परसेंट से ऊपर ट्राइबल पॉपुलेशन है। आप अंडमान में जाइए, यानी म्यांमार के बगल तक हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है। आज की तारीख में ट्राइबल बेल्ट कहने से जो दृश्य हमारे सामने आता है, वह क्या है? भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा और सेहत की हालत, जो अभी भी वैसी ही है। जब गरीबी और भूखमरी का नजारा हमारे सामने आता है, तो उससे यह साफ हो जाता है कि अभी हम लोग ट्राइबल पॉपुलेशन की बात तो करते हैं, लेकिन, उनके लिए जो सुविधा मुहैया होनी चाहिए, वह जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं हो पाती है।

आप जानते हैं कि हमारे हिन्दुस्तान में 8.6 प्रतिशत से भी ज्यादा ट्राइबल पापुलेशन रहती है। नीति आयोग यह कहता है कि ट्राइबल पापुलेशन कहिए या शेड्यूल्ड कास्ट पापुलेशन कहिए, इनकी जो आबादी है, उसके मुताबिक उनको राशि आवंटित की जानी चाहिए। लेकिन आपके बजट में चाहे ट्राइबल हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, जो उनकी आबादी का अनुपात है, उसके मुताबिक राशि आवंटित नहीं होती है। मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में लगभग 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा और शेड्यूल्ड कास्ट डिपार्टमेंट में 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा

का शार्टफॉल हमें देखना पड़ता है । इस हालत को सुधारना चाहिए । इस बार यानी वर्ष 2022-23 के बजट में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को 8,491 करोड़ रुपये मिले हैं, लेकिन प्रोजेक्टेड डिमांड क्या थी? प्रोजेक्टेड डिमांड 12,050.06 करोड़ रुपये थी । इसके अलावा मैं एक और बात रखना चाहता हूं । आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के हालत के बारे में बताइए । इस सदन के सभी लोग यह जरूर मानते हैं कि एक समुदाय के उत्थान के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है । एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना की जाए । हम शुरू से एकलव्य स्कूलों के ज्यादा से ज्यादा विस्तार करने की पैरवी भी करते आ रहे हैं । वर्ष 2021-22 में वित्त मंत्री जी ने इस सदन के अंदर यह वादा किया था कि 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की स्थापना की जाएगी । आप बताइए कि आज तक आपने कितने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की स्थापना की है?

मैं आपको एक और आंकड़ा देना चाहता हूं । The Standing Committee pointed out that there are no functional Eklavya Residential Schools in Bihar, Meghalaya and Jammu & Kashmir as of March, 2021. Even the Ministry of Tribal Affair's official data from August, 2021 confirmed the same. इसका मतलब है कि शिक्षा के लिए जो सुविधा मुहैया होनी चाहिए, आदिवासी और ट्राइबल पापुलेशन को वह सुविधा नहीं मिल रही है । आप जानते हैं कि हमारी सरकार राइट टू फॉरेस्ट एक्ट लेकर आई थी । आप बताइए कि राइट टू फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत आपने हिन्दुस्तान के कितने आदिवासियों और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जमीन का अधिकार बांटा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि Between 31st March, 2019 and 31st August, 2021, only 36,580 land titles were distributed under the Forest Rights Act. Amongst the 20 States for which the Ministry of Tribal Affairs provided data, BJP ruled States like Bihar, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Goa were the worst performers. Bihar had distributed a mere 121 titles to its people between March, 2019 and August, 2021. मुंडा जी, मैं आपसे एक और बात

पूछना चाहता हूं कि नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन की हालत के बारे में बताइए। हमारे आदिवासी बच्चों और लोगों को इसकी कितनी सुविधा मिली है? आप बताइए कि आपने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में कितने आदिवासी छात्रों को पढ़ने का मौका दिया है? आप बताइए कि आपके फंड्स के जरिए आप कितने आदिवासी छात्रों को विदेश में भेज चुके हैं? यहां आकर बड़ी-बड़ी बात करने से काम नहीं चलेगा। आदिवासी लोगों के खिलाफ क्राइम बढ़ता जा रहा है। मैं बताता हूं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ किस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैडम, *...* * अगर आप पहले ही बोल देती, तो मैं नहीं बोलता। मैं बस एक अंतिम बात बोलना चाहता हूं।...**(**व्यवधान**)**

Crimes against Scheduled Tribes climbed by 9.3 per cent to 8,272 cases in 2020, according to the National Crime Records Bureau. The judicial pendency rate of cases under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act was 96.5 per cent in 2020, according to the National Crime Records Bureau. अभी-अभी राजू बिष्ट जी बता रहे थे कि जब गोरखा भाई इधर आते हैं, तो उन लोगों पर काफी अत्याचार किया जाता है। उन लोगों के साथ बड़ी मात्रा में टॉन्टिंग की जाती है, छेड़छाड़ किया जाता है। आपको इस विषय का ध्यान रखना चाहिए।

---

* Not recorded.

मैं पश्चिम बंगाल के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारे तृणमूल पार्टी के लोग कहते हैं कि जंगल महल में सब कुछ सुधर गया है। जंगल महल में जो माओइस्ट थे, वे अभी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, इसलिए सब कुछ सुधर गया है।... (व्यवधान)

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): सभापति महोदया, आज उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के संबंध में जो विधेयक सदन में लाया गया है और इस विधेयक की चर्चा में बहुत अधिक संख्या में माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है और अपने कई सुझाव भी दिए हैं। मैं समझता हूँ कि सदन ने जिस गंभीरता से चर्चा की है, आज उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जनजातीय और आदिवासी लोगों के बीच में इस बात को लेकर भी अच्छा परिणाम आएगा कि जनजातीय मुद्दों को लेकर, आदिवासियों के मुद्दों को लेकर सदन गंभीरता से चर्चा कर रहा है।। जहां माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश से संबंधित विधेयक का समर्थन किया है, वहीं विभिन्न राज्यों से आने वाली उन समस्याओं को भी सदन के सामने लाया गया है। उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव भी सम्मिलित हैं।

सभापति महोदया, आज कुल मिलाकर 24 माननीय सदस्यों ने और सभी वरिष्ठ सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूँ। मैं समर्थन के लिए भी, सुझावों के लिए भी और उन सभी संबंधित विषयों को सदन के सामने लाने के लिए भी आभारी हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय सांसद ने छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ समुदायों के बारे में प्रश्न उठाए तो इसी तरह से कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों के संदर्भ में अपनी बाते कही हैं। मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि यह सरकार माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में यह विधेयक समाधान का रास्ता है।

माननीय सदस्य, श्री सुनील कुमार सिंह जी ने और कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह वर्ष **2002-03** में इसी उत्तर प्रदेश और इसी विषय को लेकर विधेयक इस सदन में पारित किया गया था। आज जो विधेयक फिर से लाया गया है, वह उसमें कुछ सुधार के साथ और इस सदन की अनुमति के साथ लाया गया है, ताकि उन क्षेत्रों में होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

माननीय सभापति महोदया, जनजातीय क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, दुरूह क्षेत्र है । अधीर रंजन चौधरी जी हमारे वरिष्ठ नेता है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि अभी तक उन समुदायों तक सुविधाएं नहीं पहुंची हैं । मैं उनको सात वर्षों का आंकलन दे दूंगा, लेकिन उसके पीछे का आंकलन तो उन्हें स्वयं बताना चाहिए। यह स्थिति बनाने में उस समय जब उनकी या सत्ता में रहे उनके लोगों की सबसे ज्यादा भागीदारी थी, उसका आंकलन तो उन्हें स्वयं देना चाहिए । क्या आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उसकी दयनीय स्थिति है**?**

एक समुदाय के रूप में वे दयनीय स्थिति में नहीं है। वे जहां हैं, अपने तरीके से जीने के आदी हैं। यह आदि संस्कृति है, आदि परम्परा है और अपने आप में वे जानते हैं कि हमें खुश कैसे रहना है। तमाम बाधाओं, विघ्नों, संकटों के बीच में भी वे जानते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन आदिवासी समझदार कभी पैसों से खुशी खरीदने बाजार नहीं जाते। आदिवासी समुदाय हमेशा अपने पेड़ों, जंगलों, नदियों, पहाड़ों से प्यार करते हुए निश्छल भाव से जीना चाहता है। उस परम्परा को ध्यान में रखते हुए इस देश में मापदण्ड तय किए गए।

हमारे कुछ बहुत सीनियर मेंबर्स ने इस बात का उल्लेख किया कि अलग-अलग राज्यों के विधेयक क्यों आ रहे हैं, सभी राज्यों की सूची अलग-अलग होती है । सभी राज्य अपने-अपने तरीके से रिसर्च करने के बाद यह तय करते हैं कि किस समुदाय की पात्रता किसमें है । इसके मापदण्ड तय किए गए हैं । स्टेट के द्वारा वह रिकमेंड किया जाता है, फिर हमने पूरे देश में चर्चा करने के बाद जो मॉडैलिटीज तय की हैं, मानक निर्धारण किया है, उसके आधार उस प्रस्ताव की समीक्षा की जाती है। उस समीक्षा के उपरान्त उस राज्य और राज्य के आदिवासियों के बारे में यह सदन चर्चा करता है। यह पूरे देश या भारत सरकार की सूची नहीं होती है, यह राज्यों की सूची होती है, जिसको भारत सरकार मानती है कि उस राज्य के ये आदिवासी हैं और ये देश के आदिवासी हैं । इसलिए आप देखेंगे कि सभी राज्यों की सूची अलग-अलग होती है । इसलिए समाधान का रास्ता ढूंढते हुए, हर राज्य की ऐसी समस्याओं को चिन्हित करते हुए, उसका

समाधान करते समय गंभीरता से चर्चा करते हैं। आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि **24** माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की है। यह बात अलग है कि उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कम हुई है, लेकिन अन्यान्य प्रदेशों के बारे में भी चर्चा हुई है, जनजातीय समुदायों के बारे में चर्चा हुई, जनजातीय समुदायों के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई। यह अच्छी परम्परा है और अच्छी बात भी है कि हम एक-एक राज्य को समाधान के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। यह मामला एक छोटे से विषय के कारण फिर से लाया गया है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर ऐसे विषयों की व्याख्या की है, ऐसे विषयों पर चर्चा की है और अपने फैसलों में कहा है कि अगर इस तरह से शब्दों में कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी हो तो उस पर सदन ही विचार कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल्स **341** और **342** के तहत जनजाति हो या जनजातीय समुदाय हो, उनके बारे में यह शिड्यूलिंग की जाती है कि वे किस जाति के सदस्य हैं। इस दृष्टि से उच्चतम न्यायालय ने कई बार इस बात को कहा है कि जब ऐसे मामले आते हैं, तो ऐसे मामलों पर सदन में विचार किया जाना चाहिए। आज बेहद प्रसन्नता हो रही है कि माननीय नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों के ऐसे सभी विषयों पर गंभीरता से विचार हो रहा है और उनके समाधान का रास्ता ढूंढा जा रहा है। यह विधेयक वर्ष **2002** में पारित हुआ था। विधेयक पारित होते समय यह सूचना नहीं प्राप्त हो सकी कि वहां जिला विभाजित हो चुका है। सम्पूर्ण जिला नोटिफाइड है, लेकिन चूंकि उसका विभाजन हो चुका था और इसकी सूचना उस समय सदन को नहीं दी गई। यही कारण है कि सम्पूर्ण जिला अधिसूचित होते हुए भी, नए जिलों का नाम न होने के कारण वैसे समुदाय इससे वंचित हो गए। ये शेड्यूल्ड ट्राइब में नोटिफाइड हो चुके हैं, लेकिन जैसा कि माननिय सदस्यों ने कहा है कि वाराणसी, बस्ती, देवरिया और सोनभद्र से कट कर जो जिले बने हैं, चाहे वह संतनगर, कुशीनगर, कबीर नगर या चंदौली हो, ऐसे जिलों के लोगों को यह सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। सदन में पारित होने के बाद भी, इसको गंभीरता से न देखा गया है। कई माननीय सदस्यों ने यह चर्चा की है कि यह चुनाव के कारण और चुनाव के विषय को लेकर है। इस देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें सभी राज्यों के अलग-अलग समय पर चुनाव की एक तिथि बनी हुई है और इस देश में चुनाव होते रहेंगे।

कभी इस राज्य में चुनाव हो रहा है, तो कभी दूसरे राज्य में चुनाव हो रहा है, कई माननीय सदस्यों या भारतीय जनता पार्टी की यह सोच है कि वन नेशन – वन इलेक्शन होना चाहिए ताकि देश और सभी राज्यों का चुनाव एक साथ हो। अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस पर सहमति बनेगी, सब प्रयत्न करेंगे, सबके साथ मिल कर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन अभी यह स्थिति नहीं है, तो चुनाव कहीं न कहीं होंगे, या हो रहे होंगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त हो चुका है। फिर से वहां की जनता ने भरपुर मतदान दे कर भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय नरेन्द्र भाई और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्च में वहां सरकार बना दी है। इसलिए यह चुनाव से संबंधित नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले हर राज्य में हैं। हम ने इसके पहले कर्नाटक का किया, उसके बाद हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश का किया, उसके बाद इसी सदन ने त्रिपुरा पर चर्चा की, हम झारखंड और छत्तीसगढ़ का भी करने वाले हैं, हम ओडिशा का भी करने वाले हैं, ऐसे कई राज्यों की समीक्षा, क्योंकि इसमें जो मानक निर्धारित किया गया है, जो मापदंड तय किया गया है, उस मापदंड के आधार पर ये सारी चीजें सुनिश्चित की जाएंगी। हम गंभीरता से आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चाहते हैं कि जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों का विकास हो और उनको मूल धारा में लेकर विकास होना चाहिए। यदि हम गोंड के बारे में कहें, तो अभी रानी दुर्गावती और बख्त बुलंदशाह के बारे में चर्चा हो रही थी। कई ऐसे महान योद्धा रहे हैं, उनकी अपनी व्यवस्था रही है, एक शासन पद्धति, एक कस्टमरी सिस्टम के तहत उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं किया और अपने देश के लिए बलिदान दिया। इसी सम्मान, स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए देश के प्रधान मंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिन को इस देश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में सुनिश्चित किया। इससे यह समझ में आ रहा है कि देश की प्राइड को जगाने की कोशिश पिछले कई वर्षों में नहीं हुई और यदि इस बात को किसी ने समझने का प्रयत्न किया है, तो देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया है और उन्होंने कहा है कि देश का स्वाभिमान सबसे बड़ा होता है और आदिवासी समुदाय उस स्वाभिमान के मूल में बैठे हुए संघर्षशील जीवन के साथ आजादी की लड़ाई में टूट पड़े, अपने को बलिदान किया।

माननीय सभापति महोदया, बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को रखते समय अपने राज्यों के बारे में कहा है। चूंकि माननीय अधीर रंजन जी ने बजट से संबंधित, डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित और ऐसे कुछ विषय उठाए हैं, जिनके बारे में मैं माननीय अधीर रंजन जी और इस सदन को बताना चाहता हूं कि आप वर्ष 2013-14 के पहले का आंकड़ा देखें।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप अभी की बात बताइए।...**(**व्यवधान)

<u>16.00 hrs</u>

श्री अर्जुन मुंडा : आजादी के लम्बे कालखंड में जब हम 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहे हैं**,** उस लम्बे कालखंड में आपके जो सैंक्शंड स्कूल्स की संख्या **167** थी**,** लेकिन आज **669** सैंक्शंड स्कूल्स हैं। ... (व्यवधान) आपके समय में 119 फंक्शनल स्कूल्स थे और आज 367 फंक्शनल स्कूल्स हैं।... (व्यवधान) आपके समय में प्रति स्टूडेंट कॉस्ट 42 हजार रुपए था, लेकिन हमारे समय में प्रति स्टूडेंट खर्च 1 लाख 9 हजार रुपए है।

जिस समय आप मॉडल स्कूल्स के लिए धनराशि देते थे, उस समय 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी, आज वह व्यवस्था 38 करोड़ रुपए की है।... (व्यवधान) आपके समय में, दुरूह क्षेत्रों के लिए बजट 16 करोड़ रुपए था और अभी उस क्षेत्र में एकलव्य विद्यालयों के लिए 48 करोड़ रुपए आवंटन दिया जाता है।

आपने बजट आउटले की बात की। आपके समय में, वर्ष 2013-14 में बजट 978 करोड़ रुपए था, लेकिन अभी 2,546 करोड़ रुपए का बजट है।... (व्यवधान) आगामी पाँच वर्षों में हमने इसमें 28 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।... (व्यवधान) वर्ष 2013-14 में एसटीसी का टोटल कम्पोनेंट एंड बजट का प्रॉविजन 21 हजार करोड़ रुपए था, अब हमने उसको बढ़ाकर 85,930 करोड़ रुपए किया है।... (व्यवधान)

हम लोगों ने एक नयी स्कीम 'बन्धन केन्द्र' प्रारम्भ किया है। हमने ट्राइबल रिसर्च इंस्टिट्यूट्स की संख्या बढ़ाई है। यह पहले 17 थी, लेकिन अभी इसकी संख्या 27 हो गई है।... (व्यवधान) इस तरह से, अगर आप पैरामीटर्स, बजट आउटले एवं प्रावधानों को देखें, तो आपको

स्वत: समझ में आ जाएगा कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस समय देश के दुरूह क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करते हुए काम हो रहे हैं।

आपने कहा, यह बात सही है कि नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर में जाकर देखें कि वहाँ पर आज कितनी सड़कों के काम हो रहे हैं, बॉर्डर एरियाज में कितनी तेजी से सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। चाहे वह लेह-लद्दाख का बॉर्डर हो या जम्मू-कश्मीर का क्षेत्र हो या मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और असम के क्षेत्र हों, सभी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का काम तेजी से चल रहा है।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप झारखण्ड के लिए क्या कर रहे हैं? आप झारखण्ड की बात कीजिए।

श्री अर्जुन मुंडा : झारखण्ड में तो आप ही चला रहे हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदया, मैं उत्तर प्रदेश राज्य के नए जिले संतकबीर नगर, कुशीनगर, चन्दौली, संत रविदास नगर के अनुसूचित जनजातियों की सूची में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पहाड़ी, पथारी, राजगोंड समुदाय का समावेशन और उपरोक्त जिलों के अनुसूचित जातियों की सूची से गोंड समुदाय को हटाने का प्रस्ताव पास करने का अनुरोध करता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री रितेश पाण्डेय जी, आप केवल एक प्रश्न पूछिए।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय अधिष्ठाता महोदया, मुझे माननीय मंत्री जी से यह पूछना है कि अम्बेडकर नगर में भी गोंड समाज के लोग रहते हैं। यह क्षेत्र संत कबीरनगर, बस्ती आदि इन सारे जिलों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस जिले के गोंड समाज के लोगों को इस बिल में इनक्लूड नहीं किया गया है। क्या आप इसका स्पष्टीकरण देंगे कि ऐसा क्यों हुआ है?

ओबीसी समाज में राजभर और निषाद समाज के जो लोग हैं, इनके लिए भी ओबीसी समाज में जो 27 परसेंट का आरक्षण मिलता है, उसका ये लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि जो संसाधन युक्त लोग हैं, वे ज्यादातर इस समाज के लोगों के आरक्षण के ऊपर पूरी मजबूती से काबिज हो जाते हैं।

अत: क्या इस पर भी कोई रिसर्च करके, इन लोगों को इसमें से अलग करके इनको अलग से आरक्षण देने का क्या कोई प्लान है? आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है**:**

> "कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

माननीय सदस्यगण, संविधान **(**अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां**)** आदेश **(**दूसरा संशोधन**)** विधेयक**, 2022** में चार खंड तथा दो अनुसूची हैं। माननीय संसद सदस्य श्री एन**.** के**.** प्रेमचन्द्रन द्वारा विधेयक के खंड **3** तथा खंड **4** पर दिए गए एक**-**एक संशोधन को परिचालित किया गया है।

माननीय सदस्यगण**,** मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं कि खंड **3** तथा खंड **4** पर श्री एन**.** के**.** प्रेमचन्द्रन द्वारा दिए गए संशोधन यदि सभा द्वारा स्वीकृत कर लिए जाते हैं**,** तो विधेयक का खंड **2** तथा पहली और दूसरी अनुसूची अर्थहीन हो जाएगी। इसलिए**,** मैं सर्वप्रथम श्री एन**.** के**.** प्रेमचन्द्रन जी के दिए गए संशोधन को सभा में निर्णय के लिए रखूंगी। तत्पश्चात् यथास्थिति विधेयक के खंडों और अनुसूचियों को सभा में विचारार्थ रखूंगी।

श्री एन**.** के**.** प्रेमचन्द्रन जी**,** क्या आप विधेयक के खंड **3** में दिए गए संशोधन संख्या **1** को प्रस्तुत करना चाहते हैं**?**

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes Madam, I am moving my amendment No. 1. It is very important.

I beg to move:

'Page 2, *for* lines 6 and 7,-

substitute '**3.** In the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 (C.O. 19), in the Schedule, in PART XVIII.—Uttar Pradesh, in entry 36, for the words "Mirzapur and Sonbhadra", the words "Mirzapur, Sonbhadra, Sant Kabir Nagar, Kushinagar, Chandauli and Sant Ravidas Nagar" shall be substituted.'.' (1)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन**.** के**.** प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड **3** में प्रस्तुत संशोधन संख्या **1** को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री एन**.** के**.** प्रेमचन्द्रन जी**,** क्या आप विधेयक के खंड **4** में दिए गए संशोधन संख्या **2** को प्रस्तुत करना चाहते हैं**?**

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Yes, Madam I am moving my amendment No. 2.

I beg to move:

'Page 2, *for* lines 8 and 9,-

substitute '**4.** In the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order 1967 (C.O. 78), in the Schedule, in entry 6, for the words "Mirzapur and Sonbhadra", the words "Mirzapur, Sonbhadra, Sant Kabir Nagar, Kushinagar, Chandauli and Sant Ravidas Nagar" shall be substituted.'.' (2)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन**.** के**.** प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड **4** में प्रस्तुत संशोधन संख्या **2** को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अब मैं विधेयक के खंडों तथा अनुसूचियों को सभा के मतदान के लिए रखूंगी। प्रश्न यह है**:**

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली तथा दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय मंत्री जी**,** अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अर्जुन मुंडा : माननीय सभापति महोदया**,** मैं प्रस्ताव करता हूं**:**

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है**:**

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16.10 hrs

PRIVATE MEMBERS' BILLS-Introduced

माननीय सभापति: प्राइवेट मैम्बर बिल।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

(i)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2022*
(Insertion of New Article 338C)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Madam, I introduce** the Bill.

16.11 hrs (Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.11 ¼ hrs

(ii)UNIFORM EDUCATION BILL, 2019*

माननीय सभापति : सीरियल नम्बर 26, श्री राकेश सिंह जी।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): माननीय सभापति, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक सभी विद्यार्थियों को एकसमान शिक्षा का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for uniform education to all the students from primary level to senior secondary level in the country."

The motion was adopted.

श्री राकेश सिंह : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.
** Introduced with the recommendation of the President.

16.11 ½ hrs

(iii)FARMERS WELFARE BILL, 2019*

माननीय सभापति : सीरियल नम्बर 27, श्री राकेश सिंह जी।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): माननीय सभापति, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषकों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for establishment of a National Commission for the welfare of farmers and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री राकेश सिंह: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.12 hrs

(iv) PROVISION OF COMMUNICATION FACILITIES IN EVERY VILLAGE BILL, 2019*

माननीय सभापति : सीरियल नम्बर 28, श्री राकेश सिंह जी।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): माननीय सभापति, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के सभी गांवों में टेलीफोन और डाक घर की सुविधाओं तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the facilities of telephone and post office in all the villages of the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री राकेश सिंह : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.12 ½ hrs

(v)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL,2021*
(*Insertion of New Article 239C*)

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI M. K. RAGHAVAN: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.13 hrs

(vi)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2022*
(Insertion of New Article 21B)

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI M. K. RAGHAVAN: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.
** Introduced with the recommendation of the President.

16.13 ½ hrs

(vii) UNIVERSAL HEALTH INSURANCE BILL, 2022*

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for equitable access in healthcare through Universal health Insurance of all citizens and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for equitable access in healthcare through Universal health Insurance of all citizens and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI M. K. RAGHAVAN: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.14 hrs

(viii)SPECIAL MARRIAGE (AMENDMENT) BILL, 2022*

(Insertion of New Section 4A, etc.)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Special Marriage Act, 1954.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Special Marriage Act, 1954."

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.14 ½ hrs

(ix)RURAL MEDICAL EDUCATION BILL, 2022*

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide quality medical education and equitable distribution of healthcare personnel to all rural areas in the country and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide quality medical education and equitable distribution of healthcare personnel to all rural areas in the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.15 hrs

(x)APP DEVELOPERS (PROTECTION) BILL, 2022*

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to ensure the promotion and protection of app developers against coercive policies by app regulators with a view to provide a favorable ecosystem for their growth and for matters connected therein.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to ensure the promotion and protection of app developers against coercive policies by app regulators with a view to provide a favourable ecosystem for their growth and for matters connected therein."

The motion was adopted.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, I introduce** the Bill

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.
** Introduced with the recommendation of the President.

16.15 ½ hrs

(xi)HIGH COURT OF RAJASTHAN (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT RAJSAMAND) BILL, 2022*

SUSHRI DIYA KUMARI (RAJSAMAND): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent bench of the High Court of Rajasthan at Rajsamand.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent bench of the High Court of Rajasthan at Rajsamand."

The motion was adopted.

SUSHRI DIYA KUMARI : Sir, I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

<u>16.16hrs</u>

(xii)HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL, 2021 *
(*Amendment of Section 13*)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955."

The motion was adopted.

SHRI MANISH TEWARI: Sir, I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.16 ½ hrs

(xiii)CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 2019*

(*Amendment of Section 126*)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973."

The motion was adopted.

SHRI MANISH TEWARI : Sir, I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.17 hrs

(xiv)REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2022*

(*Amendment of Section 62*)

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951."

The motion was adopted

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE : Sir, I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.18 hrs

(xv)THALASSEMIA PREVENTION BILL, 2022*

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to promote awareness to prevent passing of thalassemia from parents to children through mutated haemoglobin genes and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to promote awareness to prevent passing of thalassemia from parents to children through mutated haemoglobin genes and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE : Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.18 ½ hrs

(xvi)RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (AMENDMENT) BILL, 2022*

(*Insertion of New Sections 40A and 40B*)

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013."

The motion was adopted.

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE : Sir, I introduce ** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.19 hrs

(xvii)RIGHT TO ADEQUATE HOUSING (ONE FAMILY - ONE TOILET) BILL, 2022*

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : सभापति महोदय**,** मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक आवास विहीन परिवार तथा झोपड़-पट्टी में रहनेवालों के लिए निःशुल्क अथवा ऐसी उचित लागत पर पर्याप्त निवास गृह का उपबंध करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for adequate dwelling house free of cost or at such reasonable cost to every homeless family living below poverty line and in slums in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री गोपाल शेट्टी: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

<u>16.19 ½ hrs</u>

(xviii)PAYMENT OF COMPENSATION TO VICTIMS OF ATTACK BY WILD ANIMALS BILL, 2022*

श्री देवजी पटेल (जालौर): सभापति महोदय**,** मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन्यजीवों के हमलों के पीड़ितों को प्रतिकर का संदाय करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for compensation to the victims of attack by wild animals and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री देवजी पटेल : सभापति महोदय**,** मैं विधेयक को पुर**:**स्थापित ** करता हूं।

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

<u>16.19 ¾ hrs</u>

(xix)RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (AMENDMENT) BILL,2022*

(*Insertion of New Chapter X(A))*

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016."

The motion was adopted.

SHRIMATI CHINTA ANURADHA : Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.20 hrs

(xx)CONVERSION THERAPY (PROHIBITION) BILL, 2022*

HON. CHAIRPERSON : Item No.147 – Shrimati Aparupa Poddar

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to prohibit conversion therapy and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to prohibit conversion therapy and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRIMATI APARUPA PODDAR : I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.20 ½ hrs

(xxi)INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2022*
(*Insertion of Section 72A, etc.*)

HON. CHAIRPERSON: Item No.148 – Shrimati Aparupa Poddar

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

SHRIMATI APARUPA PODDAR : I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.21 hrs

(xxii)INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2022*
(*Amendment of Sections 88 and 89*)

HON. CHAIRPERSON: Item No.149 – Shrimati Aparupa Poddar

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

SHRIMATI APARUPA PODDAR : I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Next Item No.170 – Shrimati Rama Devi.

… (*Interruptions*)

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.21 ½ hrs

(xxiii)COMMISSION FOR THE FORMATION OF THE STATE OF VIDARBHA BILL, 2019*

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यमान महाराष्ट्र राज्य का पुनर्गठन कर पृथक विदर्भ राज्य के निर्माण के लिए एक आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Commission for the formation of a separate State of Vidarbha by reorganization of the existing State of Maharashtra and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री अशोक महादेवराव नेते : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.22 hrs

(xxiv) UNEMPLOYMENT ALLOWANCE BILL, 2019*

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for unemployment allowance to all unemployed persons and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री अशोक महादेवराव नेते : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

<u>16.22 ½ hrs</u>

(xxv) FOREST (CONSERVATION) AMENDMENT BILL, 2019 *
(*Insertion of New Section 3C*)

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Forest Conservation Act, 1980."

The motion was adopted.

श्री अशोक महादेवराव नेते : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.23 hrs

(xxvi)COMPULSORY TRAINING OF CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR) IN SCHOOLS BILL, 2019*

HON. CHAIRPERSON: Item No.36 – Dr. Shrikant Shinde.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory training in cardiopulmonary resuscitation education in schools and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory training in cardiopulmonary resuscitation education in schools and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.23 ½ hrs

(xxvii)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2019*
(*Amendment of Articles 84 and 173*)

HON. CHAIRPERSON: Item No.49 – Dr. Shrikant Shinde.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: I introduce the Bill.

___

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.24 hrs

(xxviii)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2019*
(*Amendment of the Seventh Schedule)*

HON. CHAIRPERSON: Item No.50 – Dr. Shrikant Shinde.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.25 hrs

(xxix) CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 2022*
(*Amendment of Section 2, etc.*)

DR. T. SUMATHY (*A)* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That the leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973."

The motion is adopted.

DR. T. SUMATHY *(A)* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN : Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.25 ½ hrs

(xxx)FISHERMEN WELFARE FUND BILL, 2019*

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the protection and welfare of fishermen in the country by establishing a welfare fund for their benefit and for matters connected therewith and incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protection and welfare of fishermen in the country by establishing a welfare fund for their benefit and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.26 hrs

(xxxi)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2019*
(*Amendment of Article 51A*)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : Sir, I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.26 ½ hrs

(xxxii)COMPULSORY TEACHING OF SEX EDUCATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL, 2021*

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of sex education in educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of sex education in educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto"

The motion was adopted.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.
** Introduced with the recommendation of the President.

16.27 hrs

(xxxiii)SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE FOR PROTECTION OF WATER BODIES IN THE STATE OF RAJASTHAN BILL, 2020*

SHRI C.P. JOSHI (CHITTORGARH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide special financial assistance to the Government of the State of Rajasthan to meet the costs of repair, renovations, rejuvenation, preservation and protection of water bodies in the State of Rajasthan.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide special financial assistance to the Government of the State of Rajasthan to meet the costs of repair, renovations, rejuvenation, preservation and protection of water bodies in the State of Rajasthan."

The motion was adopted.

SHRI C.P. JOSHI : Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.27 ½ hrs

(xxxiv)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2022*
(*Insertion of New Article 338C*)

SHRI C.P. JOSHI (CHITTORGARH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI C.P. JOSHI : Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.
** Introduced with the recommendation of the President.

16.28 hrs

(xxxv)SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE FOR GEO-MAPPING OF TREES IN THE STATE OF RAJASTHAN BILL, 2022*

SHRI C.P. JOSHI (CHITTORGARH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special assistance to the State of Rajasthan to meet the expense of geo-mapping of trees and saplings during plantation in State of Rajasthan.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special assistance to the State of Rajasthan to meet the expense of geo-mapping of trees and saplings during plantation in State of Rajasthan."

The motion was adopted.

SHRI C.P. JOSHI : Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.
** Introduced with the recommendation of the President.

16.28 ½ hrs

(xxxvi)SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE TO THE STATE OF MADHYA PRADESH BILL, 2019*

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों और कृषि श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ तथा अवसंरचना विकास और इसके संसाधनों के दोहन और समुचित उपयोग हेतु मध्य प्रदेश राज्य को विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Madhya Pradesh for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, persons belonging to the Other Backward Classes, and agricultural labourers and for the development of infrastructure and for the exploitation and proper utilization of its resources."

The motion was adopted.

श्री सुधीर गुप्ता : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.29 hrs

(xxxvii) SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE FOR PROTECTION OF WATER BODIES IN THE STATE OF MADHYA PRADESH BILL, 2020*

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य में जल-निकायों की मरम्मत, नवीकरण, पुनरुद्धार, परिरक्षण और संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश राज्य सरकार को विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide special financial assistance to the State Government of Madhya Pradesh to meet the costs of repair, renovation, rejuvenation, preservation and protection of water bodies in the State of Madhya Pradesh."

The motion was adopted.

श्री सुधीर गुप्ता : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.29 ½ hrs

(xxxviii)SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE FOR GEO-MAPPING OF TREES IN THE STATE OF MADHYA PRADESH BILL, 2022*

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य में वृक्षारोपण के दौरान वृक्ष और पौधे लगाने के भू-मानचित्रण के खर्च को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Madhya Pradesh to meet the expense of geo-mapping of trees and sapling during plantation in State of Madhya Pradesh."

The motion was adopted.

श्री सुधीर गुप्ता : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित **करता हूं।

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

<u>16.30 hrs</u>

(xxxix)REGULATION OF SALE OF SCHEDULE-H DRUGS BILL, 2020*

SHRI RAHUL KASWAN (CHURU): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to prohibit the sale of Schedule-H Drugs without prescription of a registered medical practitioner to ensure medical safety and for matter connected therewith.

HON. CHAIRPERSON : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to prohibit the sale of Schedule-H Drugs without prescription of a registered medical practitioner to ensure medical safety and for matter connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI RAHUL KASWAN : Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.30 ½ hrs

(xl)PAYMENT OF MINIMUM WAGES (FOR PRIVATE SCHOOL TEACHERS) BILL, 2020*

SHRI RAHUL KASWAN (CHURU): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for payment of minimum wages to private school teachers by school management and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of minimum wages to private school teachers by school management and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI RAHUL KASWAN : Sir, I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.31 hrs

(xli)FOREST (CONSERVATION) AMENDMENT BILL, 2021*
(Insertion of New Section 2A)

SHRI RAHUL KASWAN (CHURU): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Forest (Conservation) Act, 1980.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Forest (Conservation) Act, 1980. "

The motion was adopted.

SHRI RAHUL KASWAN : Sir, I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.32 hrs

(xlii)FARMERS RIGHT TO GUARANTEED MINIMUM SUPPORT PRICE REALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCE BILL, 2022*

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to confer upon every farmer the right to realize a minimum price for their agricultural produce and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to confer upon every farmer the right to realize a minimum price for their agricultural produce and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.33 hrs

(xliii) RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (AMENDMENT) BILL, 2019*

(*Amendment of Section 2, etc.*)

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. "

The motion was adopted.

SHRI VINCENT H. PALA : Sir, I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

<u>16.34 hrs</u>

(xliv)BIOLOGICAL DIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2019*
(*Amendment of Section 2, etc.*)

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Biological Diversity Act, 2002.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Biological Diversity Act, 2002."

The motion was adopted.

SHRI VINCENT H. PALA : Sir, I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 14. Shri Sudhakar Tukaram Shrangare – not present.

Item Nos. 15, 16 and 17. Shri Ravneet Singh – not present.

Item No. 18. Shri Sudhakar Tukaram Shrangare – not present.

Item Nos. 19 and 20. Shri Asaduddin Owaisi – not present.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.34 ½ hrs

(xlv)WORKING WOMEN (BASIC FACILITIES AND WELFARE) BILL, 2019*

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि महिलाओं को भेदभाव से सुरक्षा तथा शिशुसदन, मनोरंजन सुविधाएं, मातृत्व संबंधी लाभ, छात्रावास और परिवहन सुविधाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं आदि तथा सरकारी स्थापनों, बैंकों एवं पत्तनों सहित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, कालेजों एवं स्कूलों सहित शैक्षणिक संस्थानों, कारखानों, खदानों, पौधारोपण, कृषीय क्षेत्रों, बागानों एवं अन्य ऐसे स्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं और राज्य द्वारा किए जाने वाले कल्याणकारी उपायों का तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protection of women from discrimination and for the basic facilities like crèche, recreational facilities, maternity benefits, hostel and transport facilities and for the welfare measures to be taken by the employers and the State for the women employees working in Government establishments public sector enterprises including banks and ports, educational institutions including universities, colleges and schools, factories, mines, plantations, agricultural fields, orchards and such other places and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

श्रीमती रीती पाठक: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करती हूँ।

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.35 hrs

(xlvi)SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE FOR ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS IN STATE OF WEST BENGAL BILL, 2019*

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of West Bengal to meet the costs of repairs, renovations and preservation of ancient and historical monuments and archaeological sites and remains including excavation of new archaeological sites and remains situated in the State of West Bengal.

HON. CHAIRPERSON : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of West Bengal to meet the costs of repairs, renovations and preservation of ancient and historical monuments and archaeological sites and remains including excavation of new archaeological sites and remains situated in the State of West Bengal."

The motion was adopted.

DR. SUKANTA MAJUMDAR : Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.36 hrs

(xlvii) ENVIRONMENT PROTECTION (MANAGEMENT AND CONTROL OF NON-BIODEGRADABLE WASTE) BILL, 2020*

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to prevent throwing or depositing non-biodegradable waste materials into the rivers, canals, drains, roads and public places so as to protect the environment from being polluted by such wastes and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to prevent throwing or depositing non-biodegradable waste materials into the rivers, canals, drains, roads and public places so as to protect the environment from being polluted by such wastes and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted

DR. SUKANTA MAJUMDAR : Sir, I introduce** the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item Nos. 29 and 30. Shri Ravi Kishan – Not present.

Item No. 33. Shri Rajendra Agrawal.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.37 hrs

(xlviii)POPULATION (STABILIZATION AND CONTROL) BILL, 2021*

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपायों और पद्धतियों को निरूपित करने और देश की जनसंख्या को स्थिर करने के लिए एक व्यापक नीति बनाने, छोटे परिवार के सन्नियम को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना करने और परिवार नियोजन के संबंध में जागरूकता फैलाने का उपबंध करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक सभी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for measures and methods to control population and a comprehensive policy towards stabilizing the population of the country, promotion of schemes that incentivizes the small family norm, establishment of a National Population Control Authority and creating awareness regarding family planning and for all matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 34. Shri Shrirang Appa Barne – Not present.

Item No. 35. Shri Jasbir Singh Gill – Not present.

Item No. 37. Shri Ravi Kishan – Not present.

Item Nos. 38, 39 and 40. Shri Jagdambika Pal – Not present.

Item Nos. 41 and 42. Dr. Ram Shankar Katheria – Not present.

Item No. 46. Shri Sunil Kumar Singh.

16.38 hrs

(xlix)RENEWABLE ENERGY RESOURCES COMMISSION BILL, 2021*

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): आदरणीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के दोहन हेतु एक आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक सभी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a Commission to exploit renewable energy resources in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह : आदरणीय सभापति जी, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.39hrs

(I)COMPULSORY TEACHING OF CONSTITUTION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL, 2019*

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी शैक्षिक संस्थाओं में संविधान के अनिवार्य शिक्षण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक सभी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of Constitution in all educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री विनोद कुमार सोनकर : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

HON. CHAIRPERSON: Item No. 52. Shri Hemant Patil – Not present.

Item No. 53. Shri Su. Thirunavukkarasar – Not present.

Item No. 55. Prof. Rita Bahuguna Joshi – Not present.

Item No. 57. Dr. Manoj Rajoria – Not present.

Item No. 59. Shrimati Locket Chatterjee – Not present.

Item No. 61. Shri P.V. Midhun Reddy – Not present.

Item No. 62. Shrimati Poonam Mahajan – Not present.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

Item No. 63. Adv. Adoor Prakash – Not present.

Item No. 64 - Shri Asaduddin Owaisi – not present.

Item No. 65 - Shri Tirath Singh Rawat – not present.

Item No. 66 - Shri Santokh Singh Chaudhary.

16.40hrs

(Ii)SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE TO THE STATE OF PUNJAB BILL, 2020*

SHRI SANTOKH SINGH CHAUDHARY (JALANDHAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Punjab for the purpose of sustainable agriculture, developments of growth-oriented infrastructure and industry, skill development and generation of employment, welfare schemes for farmers, agricultural labourers, the Scheduled Castes, Other Backward Classes and other weaker sections, reducing groundwater extraction and combating possible desertification, development of border areas and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Punjab for the purpose of sustainable agriculture, developments of growth-oriented infrastructure and industry, skill development and generation of employment, welfare schemes for farmers, agricultural labourers, the Scheduled Castes, Other Backward Classes and other weaker sections, reducing groundwater extraction and combating possible desertification, development of border areas and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI SANTOKH SINGH CHAUDHARY: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.41 hrs

(lii)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2020*
(Amendment of Article 124, etc.)

SHRI SANTOKH SINGH CHAUDHARY (JALANDHAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI SANTOKH SINGH CHAUDHARY : Sir, I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 140 – Shri Jamyang Tsering Namgyal

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.41 ½ hrs

(liii)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2022*
(*Amendment of the Eighth Schedule)*

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

HON. CHAIRPERSON: Item No. 69. Shri Ashok Kumar Rawat – not present.

Item No. 70. Shri Abu Hasem Khan Choudhury - not present.

Item Nos. 71 and 72. Shri Kumbakudi Sudhakaran – not present.

Item No. 76. Shri Tirath Singh Rawat – not present.

Item No. 77. Shri Jasbir Singh Gill – not present.

Item No. 79. Thol Thirumaavalavan.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.42 hrs

(liv)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2020*
(Amendment of Articles 243C and 243D)

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN : Sir, I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.42 ½ hrs

(lv)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2021*

(Amendment of the Preamble, etc.)

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.43 hrs

(lvi)REPRESENTATION OF PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2021*
(Amendment of Section 2, etc.)

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951."

The motion was adopted.

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN : Sir, I introduce** the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 82. Dr. Sanjay Jaiswal – not present.

Item No. 83. Shri Rajmohan Unnithan - not present.

Item Nos. 85 to 87. Shri Sunil Dattatray Tatkare – not present.

Item Nos. 88 to 89. Shri Subrat Pathak – not present.

Item No. 90. Shri Sudhakar Tukaram Shrangare – not present.

Item No. 92. Shri Rajendra Agrawal.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.44 hrs

(lvii)UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (AMENDMENT) BILL, 2021*
(*Insertion of New Section 22A*)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the University Grants Commission Act, 1956."

The motion was adopted.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.45 hrs

(lviii)HEPATITIS (PREVENTION OF DISCRIMINATION AND CONTROL) BILL, 2021*

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यकृतशोथ से पीड़ित व्यक्तियों के साथ भेदभाव का प्रतिषेध करने और इसके नियंत्रण तथा प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to prohibit discrimination against individuals suffering from hepatitis and lay down guidelines for its control and management and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

HON. CHAIRPERSON: Item Nos. 93 & 94, Shri Jugal Kishore Sharma -- not present.

Item Nos. 96 & 97, Shri Gajanan Kirtikar -- not present.

Item No. 98, Shri Hasmukhbhai S. Patel -- not present.

Item No. 100, Dr. D. Ravikumar.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.45 ½ hrs

(lix)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2022*
(Insertion of New Article 21B)

DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

DR. D. RAVIKUMAR: Sir, I introduce** the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 101, Shri Vijaykumar *Alias* Vijay Vasanth -- not present.

Item No. 104, Shri D.M. Kathir Anand.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.
** Introduced with the recommendation of the President.

16.46 hrs

(Ix)SOLID WASTE MANAGEMENT BILL, 2022*

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the segregation and re-cycling of municipal solid waste, use of re-cyclable waste in waste-energy plants for generation of energy and transportation of non-recyclable waste intolandfills and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the segregation and re-cycling of municipal solid waste, use of re-cyclable waste in waste-energy plants for generation of energy and transportation of non-recyclable waste into landfills and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI D.M. KATHIR ANAND : Sir, I introduce** the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 105, Shri Benny Behanan -- not present.

Item No. 106, Shri Kesineni Srinivas -- not present.

Item No. 109, Shri Vishnu Dutt Sharma -- not present.

Item Nos. 110 & 111, Shri Bidyut Baran Mahato -- not present.

Item No. 112, Dr. DNV Senthilkumar S.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.46 ½ hrs

(lxi)LGBTQIA+ PERSONS (PROTECTION OF RIGHTS) BILL, 2022*

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide rights to LGBTQIA + persons to enable them to live with human dignity and for matter connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide rights to LGBTQIA + persons to enable them to live with human dignity and for matter connected therewith."

The motion was adopted.

DR. DNV SENTHILKUMAR S.: Sir, I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.47 hrs

(lxii) CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2022*

(Amendment of the Schedule)

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order,1950."

The motion was adopted.

DR. DNV SENTHILKUMAR S.: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.47 ½ hrs

(lxiii)ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL, 2022*
(*Amendment of Section 2, etc.*)

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955."

The motion was adopted.

SHRI ABDUL KHALEQUE : Sir, I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Shri Shrirang Appa Barne -- not present.

Item No. 121, Kunwar Pushpendra Singh Chandel.

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.48 hrs

(lxiv) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2022*
(*Amendment of Article 1*)

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

___

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.49 hrs

(lxv)BETEL GROWERS (REMUNERATIVE PRICE AND WELFARE) BILL, 2022*

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पान उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य का संदाय करने, पान की फसल का निःशुल्क बीमा करने, पान उत्पादकों के समग्र कल्याण एवं पान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of remunerative price to betel growers, insurance of betel crop free of cost, comprehensive welfare of betel growers and setting up of betel research centre and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

HON. CHAIRPERSON: Shri T.N. Prathapan – not present.

Item No. 132. Shrimati Poonamben Maadam.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.50 hrs

(lxvi)CODE ON SOCIAL SECURITY (AMENDMENT) BILL, 2022*

(Amendment of Section 60, etc.)

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Code on Social Security, 2020.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That the leave be granted to move for leave to for leave to introduce a Bill to amend the Code on Social Security, 2020."

The motion was adopted.

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM : Sir,I introduce** the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 134 – Shri Vishnu Datt Sharma – not present.

Item No. 135 – Shri Dileshwar Kamait – not present.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.51 hrs

(lxvii)ONLINE GAMING (REGULATION) BILL, 2022*

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to establish an effective regime to regulate online gaming industry to prevent fraud and misuse and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That the leave be granted to introduce a Bill to establish an effective regime to regulate online gaming industry to prevent fraud and misuse and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

ADV. DEAN KURIAKOSE : Sir I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.51 ½ hrs

(lxviii)RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (AMENDMENT) BILL, 2022 *

(Amendment of Section 2, etc.)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That the leave be granted move for leave to introduce a Bill further to amend the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016."

The motion was adopted.

ADV. DEAN KURIAKOSE : Sir, I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.52hrs

(lxix)PALLIATIVE CARE BOARD BILL, 2022*

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a Board for the development and standardization of Palliative care services in the country and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That the leave be granted to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a Board for the development and standardization of Palliative care services in the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

ADV. DEAN KURIAKOSE : Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

<u>16.52 ½ hrs</u>

(lxx)CENTRAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2022*
(*Insertion of New Section 3F, etc.)*

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Central Universities Act, 2009.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That the leave be granted to move for leave to introduce a Bill further to amend the Central Universities Act, 2009.'

The motion was adopted.

SHRI ABDUL KHALEQUE: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.53 hrs

(lxxi)HEALTH INSURANCE (FOR PERSONS LIVING BELOW POVERTY LINE) BILL, 2022*

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to move for leave to introduce a Bill to provide for health insurance to persons living below poverty line and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.54 hrs

(lxxii) WIDOWS (PROTECTION AND MAINTENANCE) BILL, 2022*

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपेक्षित, परित्यक्त और निराश्रित विधवाओं के संरक्षण और भरण-पोषण के लिए ऐसी विधवाओं हेतु एक कल्याणकारी बोर्ड की स्थापना करके राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों और तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to move for leave to introduce a Bill to provide for the measures to be undertaken by the State for the protection and maintenance of neglected, abandoned and destitute widows by establishing a Welfare Board for such widows and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.54 ½ hrs

(lxxiii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2022 *
(*Amendment of Article 51A*)

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : सभापति महोदय, **मैं प्रस्ताव करता हूं** कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The motion was adopted.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

HON. CHAIRPERSON: Item Nos. 144 & 145, Dr. Sujay Vikhe Patil – not present.

Item No. 146, Shri Jayant Sinha – not present.

Item Nos. 150 & 151, Shri Kuldeep Rai Sharma – not present.

Item nos. 152 & 153, Shri Balubhau *alias* Suresh Narayan Dhanorkar – not present.

Item No. 154, Shri Uttam Kumar Reddy – not present.

Item No. 155, Dr. Shashi Tharoor.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

<u>16.55 hrs</u>

(lxxiv)UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) REPEAL BILL, 2022*

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to repeal the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to repeal the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967."

The motion was adopted.

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.56 hrs

(lxxv)PROTECTION OF TRADITIONAL KNOWLEDGE BILL, 2022*

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the in-situ protection, preservation, promotion and sustainable development of India's traditional knowledge and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the in-situ protection, preservation, promotion and sustainable development of India's traditional knowledge and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I introduce** the Bill.

____

HON. CHAIRPERSON: Item No. 157, Shri Srinivas Kesineni – not present.

Item No. 159, Shri V. K. Sreekandan.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.
** Introduced with the recommendation of the President.

16.57 hrs

(lxxvi) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2022 *

(*Amendment of Section 299)*

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That the leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

SHRI V.K. SREEKANDAN : Sir, I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

16.57 ½ hrs

(lxxvii) MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE (AMENDMENT) BILL, 2022 *

(Amendment of Section 3, Etc.)

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That the leave be granted to introduce a Bill to further amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005."

The motion was adopted.

SHRI V.K. SREEKANDAN: Sir, I introduce** the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item Nos. 161 & 162, Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil – not present.

Item No. 163, Shri Sujay Vikhe Patil – not present.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

16.58 hrs

COMPULSORY VOTING BILL, 2019* – Contd.

HON. CHAIRPERSON: Introduction of the Bills is over. Now, item No. 164: further consideration of the Compulsory Voting Bill, 2019 moved by Shri Janardan Singh Sigriwal.

Shri T. N. Prathapan – not present.

Shri Dean Kuriakose.

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, the main aim of this Bill is to increase the voting percentage and make it a fundamental duty. In my opinion, there are a lot of problems and challenges. If we make it a fundamental duty, it may lead to change in the definition of democracy. Compulsory voting is often suggested as a solution for the declining turnout. Some Latin American countries and Australia have also made it mandatory but many of the democratic countries including India leave it to the discretion of their citizens to decide whether they want to cast vote or to abstain from voting. Many of the countries are following the principles of democracy like liberty, freedom and adult franchise considering them as rights rather than duties.

---

* Futher discussion on the Motion for Consideration of the Bill moved by Shri Janardan Singh Sigriwal on 12 July, 2019.

17.00 hrs

Adult franchise with equal value of votes is an essential feature of our Constitution. As per Articles 14 and 19(1), it is citizen's Constitutional right to decide when to exercise their freedom of expression, how to exercise it, or even not to exercise it at all. Hon. Supreme Court already defined the term freedom of expression. After the Bijoe Emmanuel case of 1986, several opinions have been expressed saying that freedom of expression includes the freedom not to express, that is the freedom of silence. Hence, in my opinion, voting right must be left to the discretion of a citizen, and his right to abstain from voting for his reasons should be recognised and upheld.

Making the voting mandatory to be considered for public employment, or for taking benefit of social welfare schemes; and making abstention from voting a penal offence would eventually lead to totalitarianism. A democratic government means that it is built on the basis of respecting basic human freedoms, particularly the freedom of choice. If voting is made mandatory, that can be violated as the people would not have the freedom to not express their opinion.

If voting is made mandatory, there is a possibility that those who are honestly not interested in voting will be forced to vote. This could push people to choose candidates randomly defeating the purpose of an election which is to place deserving people in key positions. Casting votes randomly and not based on rational choice of a candidate or a political party is known as doggy voting. Studies suggest that in countries where voting has been made

mandatory, this practice of doggy voting happens on a large scale. Some research reports show that the rate of doggy voting in such countries sometimes is higher than the percentage of voters abstaining in countries where voting is optional.

Sir, before bringing a law to make voting mandatory and to penalise citizens for abstaining from voting, we have to make our citizens fully aware of the value of casting votes. Otherwise, it will lead to large-scale doggy voting. We have to develop a mechanism to create awareness among voters about the importance of casting the votes.

In order to attract voters to the polling booths, it is also necessary to protect their faith in democracy and voting system. To develop the faith of ordinary citizens in this system, we have to make all efforts to eradicate all kinds of corrupt practices and undue influences. We need to decrease the influence of money power and muscle power from our electoral systems. Sometimes we see that some parties do purchase the legislators also which is very unfortunate. Also, they are intimidating the voters and that should be avoided. If the desire of the Government is to increase the voting percentage, these kinds of practices should be avoided.

The position taken by this Government of linking AADHAAR with voter ID could in some way be a solution for many problems. We have to welcome that. There may be differences of opinion on this. We can say from our experience that problems like booth capturing, double voting, irregularities in voters' lists, do need a solution. Perhaps, linking of AADHAAR with voter ID

could be a solution for all these problems. Sir, I come from the constituency of Idukki. It is well-known there, all the newspapers and media agencies report it, that many people from the neighbouring States are enrolling their names in our voters' list. We have to avoid that. Otherwise, the genuine voters will lose their faith in the electoral system. For that, AADHAAR-voter ID linkage can be a solution.

For increasing the voting percentage, we have another solution also namely, giving voting right to NRIs. Last week, during the Question Hour hon. Member Shri K. Muraleedharan raised a question about NRI voting and the hon. Law Minister, who is here, answered that the Government is willing for NRI voting. NRIs deserve that right. They are waiting for that for so many years. They are contributing to this nation very much. They are not only contributing to their families or to their particular places; they are serving our nation. That is why NRI voting will increase our voting percentage. Also, the Government has to make sure how it will be done. The hon. Minister answered that there can be online voting. But I would not like to agree to that. Online voting up to any level cannot be the right solution. Voting through Electronic Voting Machine is also having some problems. People have raised their concerns in so many areas in our country about using Electronic Voting Machines. We have to discuss about going back to paper ballot to regain their faith in the voting system. Most of the developed, democratic countries with advanced technologies like UK, USA and Canada are not using Electronic

Voting Machines. Israel and Switzerland have already retained voting through paper ballots.

Hence, to remove even a remote doubt in the minds of citizens about our democratic system and free and fair election, I think, we have to return to paper ballots. It is my strong opinion that strong steps should be taken to develop the confidence of the people for casting their vote. Only by allowing its people freedom and liberty, a country like India can move forward.

With these words, I conclude. Thank you, Sir.

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, आपने मुझे अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आज इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति जी, मैं सबसे पहले इस बिल का स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारा देश पूरी दुनिया में एक सबसे बड़े और सबसे मजबूत लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए देश के हर एक नागरिक के हर एक वोट का महत्व होता है। हम उसको कैसे फुल्ली यूटिलाइज करें। देश का निर्माण और देश के इस लोकतंत्र को और भी मजबूत करने के लिए, देश की जनता को इस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को फुल्ली इंप्लीमेंट करने के लिए वोटिंग कंप्लसरी करना बहुत जरूरी है। हम हमेशा फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात आती है, तो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं।

महोदय, मैं आज आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करते हुए अपना ओपिनियन रखना चाहता हूं। वोटिंग मस्ट या कंप्लसरी करना एक फंडामेंटल ड्यूटी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश में पांच साल में एक बार चुनाव होता है, तब बहुत सारे लोग अपने घरों से नहीं निकलते हैं। उसके बाद जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, वे बस उनको गालियां देते रहते हैं। वे ये नहीं करते हैं, सड़क नहीं बनती है, ये बात पार्लियामेंट में नहीं बोलते हैं, लेकिन वे अपनी वोट करने की ड्यूटी नहीं निभाते हैं।

आज उनको भी यह रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है कि देश के निर्माण के लिए आपका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। इसमें डेमोक्रेसी भी है। आप जिस पार्टी को चाहें, उसके लिए वोट कर सकते हैं, आप जिस कैंडिडेट को चाहे, उसके लिए वोट कर सकते हैं और आप चाहें तो नोटा को भी वोट कर सकते हैं, लेकिन वोट जरूर करें। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग वोटिंग करने से अपने आपको दूर रखने की कोशिश करते हैं और वोटिंग खत्म होने के बाद सरकार से पूरा लाभ लेने की कोशिश करते हैं, यह तो दोगलापन हो गया इसलिए जो लोग वोटिंग नहीं करते हैं, उनके सारे बेनिफिट्स काट लिए जाने चाहिए। अगर

वह गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, सर्विस बेनिफिशियरी हो तो उस पर पांच साल के लिए रोक लगा देनी चाहिए। अगर वह नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय हो तो चाहे नरेगा की स्कीम हो, राशन कार्ड की स्कीम हो, आधार कार्ड की स्कीम हो या जो भी स्कीम हो, उसको वे स्कीम्स पांच साल के लिए नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी सुविधा होनी चाहिए, ताकि इस देश के निर्माण के लिए सभी लोग वोट करने जाएंगे और जाने से पहले यह भी अवश्य सोचेंगे कि किसको वोट करना है, कैसे व्यक्ति को चुनना है तथा किस पार्टी को समर्थन करना है।

मैं इस बात के लिए हैरान हूँ कि आज भी हमारे देश में बहुत से लोग यह मानते हैं कि politics is a dirty game. मेरे जैसे युवा लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया है कि politics is a dirty game. उनके दिमाग में भर दिया है कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहिए। इलेक्शन पॉलिटिक्स का पार्ट है इसलिए इससे दूर रहिए। ये देश के समर्थन में विचार नहीं हो सकते हैं।

ये विचार हमारे डेमोक्रेटिक देश के विरोध में हो सकते हैं। मैं हमेशा मानता हूँ और लोगों को यह भी कहता हूँ कि पॉलिटिक्स कभी भी गंदी नहीं होती है। हाँ, कुछ पॉलिटिशियन्स गंदे हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। इसी पॉलिटिक्स से हम काम करते हैं। इसी पॉलिटिक्स से हम पॉलिसीज़ बनाते हैं। इसी पॉलिटिक्स से हम देखते हैं कि हमें शिक्षा को कहां तक लेकर जाना है, स्वास्थ्य को कहां तक लेकर जाना है, इकोनॉमी को कहां तक लेकर जाना है, इंप्लॉयमेंट को कहां तक लेकर जाना है तथा स्पोर्ट्स को कहां तक लेकर जाना है। अगर हमारी युवा पीढ़ी या हमारे देश के लोग वोटिंग से अपने आपको वंचित रखेंगे, पॉलिटिक्स से अपने आपको दूर रखेंगे तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि whether you are interested in politics or not, politics is definitely interested in you. इसलिए हम सबका पॉलिटिक्स में रुचि लेकर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में एक्टिवली पार्ट लेना आवश्यक है और इसीलिए वोटिंग बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सिंगल वोट कितना जरूरी है। हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण वोटिंग को स्क्रूटिनाइज करने से, स्ट्रीम लाइन करने से काफी जगहों में दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए बहुत सारी जगहों

पर बोगस वोट की शिकायत हो जाती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हर एक वोटर के वोट्स को, वोटिंग आईडी को आधार के साथ मेंडेटरी जोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि हर एक नागरिक एक बार वोट डाल सके। अगर कोई व्यक्ति आधार के साथ लिंक होने पर भी दोबारा वोट डालता है या बोगस वोट डालता है तो हमने आधार के साथ बैंक अकाउंट भी जोड़ा है और भी बहुत सारी चीजों को जोड़ा है, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर उसके बैंक से डिडक्शन भी होना चाहिए ताकि कोई बोगस वोट डालने की हिम्मत ना करे। मैं अपना यह भी ऑपिनियन रखना चाहता हूँ कि कंप्लसरी वोटिंग में आर्मी और पेरामिलिट्री को एग्जेंप्ट करना चाहिए, क्योंकि वे देश की अलग-अलग जगहों पर भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करते हैं।

माननीय सभापति, अगर हम वोट को आधार के साथ मेंडेटरी करते हैं तो उससे केवल बोगस वोट ही नहीं रुकेंगे, बल्कि यह क्राइम डिटेक्शन के लिए भी काम आएगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह व्यवस्था देश की एजुकेशन, हेल्थ तथा इकोनॉमी ग्रोथ के लिए भी काम आएगी।

मैं प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी इस सदन में सराहना करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जहां पर पहले वोटिंग का प्रतिशत बहुत कम होता था। मैं आपके सामने कश्मीर का उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने वर्ष 2019 तक कश्मीर के साथ जिंदगी जी है। वर्ष 2019 के बाद मोदी जी की कृपा से अभी आत्मनिर्भर लद्दाख होने जा रहा है।

सभापति जी**,** मैं अगर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की वोटिंग बताऊं**,** वहां वर्ष **2018** के पंचायत इलेक्शन में **14.5** प्रतिशत**,** वर्ष **2019** के पार्लियामेंटरी इलेक्शन में **7.9** प्रतिशत वोटिंग हुई और उसी के अगेन्स्ट अनुच्छेद **370** हटने के बाद जब वर्ष **2020** में डीडीसी इलेक्शन आता है तो उसमें बढ़कर **35.3** प्रतिशत वोटिंग हुई।

इसी तरह से गांदरबल में पंचायत इलेक्शन**, 2018** में **27.4** प्रतिशत**,** पार्लियामेंटरी इलेक्शन**, 2019** में **17.5** प्रतिशत और डीडीसी इलेक्शन**, 2020** में **44.3** प्रतिशत वोटिंग हुई। बड़गाम की बात करें तो वहां **2018** में **21.9** प्रतिशत**, 2019** में **21.6** प्रतिशत और डीडीसी

इलेक्शन, **2020** में **41.5** प्रतिशत वोटिंग हुई। अनंतनाग की बात करें, मैं कश्मीर घाटी के हर जिले के बारे में बताना चाहता हूं, तो वहां **2018** में **9.3** प्रतिशत, **2019** में **13.8** प्रतिशत और **2020** में **24.9** प्रतिशत वोटिंग हुई। कुलगाम में **2018** में **6.4** प्रतिशत, **2019** में **10.2** प्रतिशत और **2020** में **25** प्रतिशत वोटिंग हुई। कोई यकीन नहीं करेगा कि पुलवामा में **2018** में **1.1** प्रतिशत वोटिंग हुई। वहां वर्ष **2019** में **1.2** प्रतिशत और **2020** में **7.6** प्रतिशत वोटिंग हुई। शोपियां में **2019** में **3.4** प्रतिशत, वर्ष **2018** में शायद शून्य प्रतिशत वोटिंग हुई होगी, क्योंकि उसका यहां कोई डेटा नहीं दिया गया है। वहां वर्ष **2019** में **3.4** प्रतिशत और **2020** में **15.4** प्रतिशत वोटिंग हुई। इस तरह से अनुच्छेद **370** हटने के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। अवंतीपोरा में **2018** में **0.4** प्रतिशत, **2019** में **3** प्रतिशत और **2020** में **9.9** प्रतिशत वोटिंग हुई। उसी तरह से, बारामुला में **2018** में **31.6** प्रतिशत और **2020** में **45.2** प्रतिशत वोटिंग हुई। कुपवाड़ा में **2019** में **49.7** प्रतिशत और **2020** में **49.8** प्रतिशत, हंदवाड़ा में **2019** में **51.1** प्रतिशत और **2020** में **54.9** प्रतिशत वोटिंग हुई। इस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। बांदीपोरा में **2019-2020** में **32** प्रतिशत से **55.6** प्रतिशत वोटिंग हुई। सोपोर में **2019** में **7.6** प्रतिशत और **2020** में **23.8** प्रतिशत वोटिंग हुई। अनुच्छेद **370** हटने के बाद कश्मीर घाटी में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। अब इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमें वोटिंग को कम्पलसरी करने की आवश्यकता है, ताकि इस देश का हर नागरिक वोटिंग से वंचित न रहे और खुद जाकर वोटिंग करे।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बहुत से लोग जान-बूझकर या अलग-अलग विचारधारा के कारण और अलग-अलग परिस्थितियों के कारण वोट करने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट डालने जा नहीं सकते हैं, उनको हम कैसे फेसिलिटी प्रोवाइड करें। मैं लद्दाख से आता हूं, वहां हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन्स ठीक नहीं होने के कारण वहां के बहुत से युवा देश के अलग-अलग कोने में पढ़ाई करते हैं। यहां महाराष्ट्र के माननीय सदस्य बैठे हैं, महाराष्ट्र में भी लद्दाख के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, चण्डीगढ़ में पढ़ते हैं, दिल्ली में

पढ़ते हैं, जम्मू में पढ़ते हैं और देश के विभिन्न भागों में पढ़ते हैं। यहां माननीय किरेन रिजीजू जी बैठे हैं, नॉर्थ-ईस्ट के बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल्ली में पढ़ते हैं। वोटिंग के टाइम पर वे सभी लोग इधर-उधर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से इकोनोमिक कारण होते हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेज होते हैं, इसलिए उनको कैसे फेसिलिटेट किया जाए, यह भी हमें सोचने की आवश्यकता है। कम्पलसरी करने के साथ-साथ, इनको हम कैसे देश की मेनस्ट्रीम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में कैसे पार्टिसिपेट कराएं, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, आपको धन्यवाद देता हूं।

जय हिन्द – जय भारत ।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you very much, hon. Chairperson, Sir.

With regard to the compulsory voting, I wish to say that I am not against it but my observation is that this country is not ripe to have this law at this stage.

This is a good concept. We are very proud that ours is the biggest democracy in the world and this kind of legislation is, of course, a good thing for the nation. But if we take into consideration our literacy rate, poverty and geographical kind of things, we have a lot of difficulties in our country. That is why, I am saying this country is not ripe to have this legislation. Of course, we will have a bright future. We may bring it at a later stage and that is well and good.

Now, I come to another point which is about NRI voting. My learned friend Adv. Dean Kuriakose have been talking about that. We were all saying about this NRI vote. We have to realise that their contribution to this nation is great. They had gone to foreign countries seeking their bread and butter, livelihood, and things like that. Various Governments have said that they will ensure NRI voting. Even the Supreme Court of India has on two-three occasions spoken about the relevance of this NRI voting. Unfortunately, that has not been implemented. Whether in the way of proxy vote or in the way of online voting, for a country like ours, it is a simple thing. There are many countries in the world where NRI voting is effectively and scientifically implemented.

Like that, we can also do that. In this digital era, introducing this kind of voting pattern is very easy. But I feel that there is some agenda for not bringing this. I humbly submit that NRI voting should be implemented without further delay.

Sir, I will come to second point which is about money and muscle power in the election. I belong to Kerala. I would like to say proudly that ours is somewhat better. But purchasing the voter, exploiting his poverty and all, is a shame for this nation.

Now, what is happening? I am not blaming anybody. Money is being given per individual. That kind of things are going on. In such a situation, how can the real people's representative contest in the election?

How will the political party have a clean image? What I am suggesting is that we must have a legislation. It may be People's Representation Act or anything else. We must ensure that there must be free and fair election in this country. Then only, the democracy will be meaningful. That is my suggestion.

The other point which I would like to say is that there should be a control on the publicity kind of things. What is happening in this country? Many hon. Members might have gone to different countries. I, myself, had gone to different countries and tried to understand what exactly is the pattern of election campaign and things like that there. We are spending a lot of money. We are polluting the entire system. After election, so many kinds of disturbances are happening. So, what I am suggesting is that there should be a comprehensive legislation to control the publicity.

Sir, in advanced countries, publicity is done through TV. We know very well that almost all the villages have TVs. Let the candidate appear in the TV and say, what for they are contesting. This kind of modernisation should be there in the election campaign. Then only, our country will be saved from this kind of calamities.

As far as the disabled persons or physically challenged persons are concerned, they are having a lot of difficulty in casting their vote. I am of the opinion that postal vote and that kind of things should be adopted to make the voting easy for the physically challenged persons. That also may kindly be examined. That is my next point.

My other point is this. The Government is having a role in this. In the People's Representation Act, it is very clear that the Government should not interfere during the election period using the Government's influence. Is it adhered into in this country? During the election period, some Government comes with some gifts, personal individual gifts – whether it may be gifts, it may be TV or it may be cycle. After the election, what happens to the gift? That gift will get disappear, as is done in the case of Kerala. During the election period, some gifts are distributed. After the election, they will go away.

Influencing the voter by way of providing some gifts before elections is a bad practice and tendency. Whichever may be the party, whatever may be the system, I say that we must have a clean election. Election results should not depend on the kind of gift or personal benefit a voter is receiving. That is an unhealthy practice as far as elections are concerned.

My last point is with regard to disposal of election-related cases which are filed in the courts. How many years does it take to dispose of these election-related cases? In some cases, a candidate elected through a democratic process is disqualified and his election is declared null and void. I do not want to go into the merits of individual cases. How many years does it take for the courts to dispose of such cases? In the event of a duly elected candidate being disqualified, the constituency remains unrepresented till the case against the candidate is disposed of. In order to ensure the true spirit of democracy, I suggest that the process of disposing of the election-related cases pending against candidates should be streamlined. That would be a healthy practice.

Sir, these are the few observations I wish to make. I thank you for the opportunity.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही तर्कसंगत विषय, जो प्राइवेट मेम्बर बिल के रूप में लाया गया है, पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पहले दिन से ही 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के हक में हैं। इसके पीछे देश में कितना नुकसान होता है, जिसकी भरपाई होती ही होती है। लेकिन अगर वोटिंग भी कमपल्सरी हो, तो दुनिया में आज भारत की जो स्थिति है, वह दुनिया में और ऊपर बढ़ेगी। इस विषय पर, 19वीं शताब्दी के बाद से, अपेक्षाकृत कम संख्या में लोकतांत्रिक देशों ने एक समय या किसी अन्य समय पर अनिवार्य मतदान की शुरुआत की थी। अगर एक मजबूत डेमोक्रेसी को ध्यान में रखा जाए, तो यह 19वीं शताब्दी में प्रारम्भ तो हुआ था, लेकिन उसके बाद वोट डालने वाले लोगों का प्रतिशत गिरता चला गया। केवल हमारे देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के 196 देशों में से केवल 33 देश ऐसे हैं, जहाँ वोटिंग कम्पल्सरी है। बाकी कंट्रीज में इसका ग्राफ गिरता चला गया है, इसके पीछे लोगों का यह तथ्य सामने आता है कि वे वोट डालने तो जाते हैं, लेकिन वोट डालने के बाद जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो उनकी उम्मीदें होती हैं, जैसा कि हमारे देश में भी देखा गया है कि पिछले समय में डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास क्यों गिरता चला गया है, पॉलिटिकल लोगों की क्रेडिबिलिटी क्यों खत्म होती चली गई है? इसके पीछे भी एक कारण है। जो लोग चुनाव जीतने की मानसिकता से …* से, जैसा उदाहरण आपको बंगाल में देखने को मिला था, इस … * के कारण जो समझदार वोटर्स हैं, वोट देने वाले लोग जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो घरों में बैठकर बहुत बढ़िया-बढ़िया डेवलपमेंट की एडवाइस देते हैं, वे वोट डालने ही नहीं जाते हैं। वे सोचते हैं कि पता नहीं कब गोली चल जाएगी, पता नहीं कब तलवार चल जाएगी? लेकिन जब तय हो जाएगा, तब ऐसे …* के लोग डरने लगेंगे। सरकार चाहे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन वोट डालने की व्यवस्था करे, अगर ऐसी व्यवस्था होगी, तो जो … * वाले लोग हैं,

* Not recorded.

उनसे देश को मुक्ति मिलेगी। देश को ऐसे लोगों से मुक्ति मिलने के साथ ही, जो अच्छा नेतृत्व उभरकर आएगा, अगर डेमोक्रेसी में, I am sorry sir, मैं यह कह रहा हूँ, जो कुछ लोगों को बुरी लगेगी कि हमारे देश में, विशेष रूप से मैं इस बात की चिन्ता करूँ तो अपना प्रतिनिधि चुनने में वोट डालने के लिए वे लोग ज्यादा भागीदार नजर आते हैं, जिन बेचारों को सुबह कमाने के लिए निकलना पड़ता है और शाम को रोटी खाते हैं। वे अपने भविष्य के बारे में बहुत ही चिन्तित रहते हैं। वे देश के बारे में क्या चिन्ता करेंगे, सोसायटी के बारे में क्या चिन्ता करेंगे? इतना बड़ा वर्ग हमारे देश में है, वे बेचारे वोट डालने तो जाते हैं, लेकिन उनको मिसगाइड करके वोट डलवा दिया जाता है, लालच देकर भी वोट डलवा दिया जाता है, …* के माध्यम से डराकर वोट डलवा दिया जाता है। जो ओपिनियन मेकर्स टाइप के लोग हैं, वे वोट डालने ही नहीं जाते हैं।

33 कंट्रीज में से 19 कंट्रीज ऐसी हैं, जिनमें अगर वहां के लोग वोट डालने न जाएं, तो उन लोगों के लिए वोट डालने के बाद उन पर जुर्माना भी तय किया गया है। ऐसे देशों में उन लोगों पर जुर्माना तय किया जाता है। मैं आपको ऐसे कुछ देशों के उदाहरण भी दे सकता हूं। ऐसे जो देश हैं, जहां मतदान अनिवार्य है, इनमें बेल्जियम, ब्राजील, चिली, साइप्रस, कांगो, फिजी, पेरू, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, तुर्की जैसे देश शामिल हैं।

हम स्विट्जरलैंड की बातें करते हैं। स्विट्जरलैंड के लिए कहते हैं कि दुनिया का स्वर्ग है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वह कंट्री है, जिसमें 90 परसेंट वोटिंग होती है, जो 10 परसेंट लोग वोट डालने नहीं जाते, तो उनको रीजन बताना पड़ता है कि किस रीजन से वे लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं, वरना उन पर जुर्माना लगाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो पत्र होता है, उसके नीचे कारण बताने का नोटिस दिया जाता है। ब्रिटेन में मतदान के समय अनुपस्थित रहने के बारे में पहले जानकारी देनी पड़ती है कि मैं वोट डालने इस कारण से नहीं आ पा रहा हूं। मेडिकल

---

* Not recorded.

के कारण से नहीं आ पा रहा हूं, देश से बाहर हूं या मुझे कोई बहुत जरूरी काम है। सिंगापुर में यदि कोई वोट नहीं डालता, तो उसके वोट डालने का अधिकार ही छीन लिया जाता है।

सिंगापुर छोटी सी कंट्री है, लेकिन बहुत डेवलप्ड कंट्री है। हम जिसका उदाहरण देते थे, मैं दोबारा स्विट्जरलैंड पर इस बात को लेकर आना चाहता हूं। इसी तरह से, इस प्रकार की जो कंट्रीज हैं, इनमें वोट डालने को कम्पलसरी बना रखा है। जितने ज्यादा लोग वोट डालेंगे, उतना ही अच्छा और मजबूत नेतृत्व निखरकर आएगा और अच्छे ही लोग चुनकर आएंगे। मैं लौटकर फिर उसी विषय पर जाना चाहता हूं, जो जाति के नाम से, पंथ के नाम से, मेरे से पूर्व मेरे मित्र – जो लद्दाख से सांसद हैं, कैसे उन्होंने कश्मीर का हिस्सा दिया।

हमारे बीच हमारे बहुत पुराने सांसद महोदय, सांसद फारुख अबदुल्ला जी हैं। बताइए, 9,000 वोटों पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं? एक तरफ 20 लाख वोट डाले जा रहे हैं, एक तरफ 9,000 वोटों पर वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अलगाववादियों को लोग मजबूत करके शरीफ लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता है। थोड़े से वोटों में ही, जितने वोट्स पोल होंगे, उनके मार्जिन – 50 परसेंट से ज्यादा जिसको मिल जाएगा या उन सारे कैंडिडेट्स में जिसको ज्यादा वोट मिल जाएंगे, वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आ जाएगा।

एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट – एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, 20 लाख लोगों की सेवा करने के बाद यहां आ रहे हैं और दूसरे अपने घर में ही बैठे-बैठे पांच-सात हजार वोट लेने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं। वहां बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए। वहां वोट परसेंटेज 50 या 60 परसेंट बढ़कर आया। इससे वहां के उस वर्ग को भी सत्ता में भागीदार बनने का मौका मिला, जो ओबीसी के लोग थे, जो गरीब लोग थे, जिनको वोट डालकर चुनना तो बहुत बड़ी बात है, वोट डालने का अधिकार ही नहीं होता था।

वहां जब डेमोक्रेटिक सिस्टम से लोग बाहर निकले, धारा-370 हटने के बाद उनको सिक्योरिटी मिली, सिक्योरिटी मिलने के बाद वे वोट डालने आए तो वहीं के लोगों ने अपने पंचायत के अध्यक्ष चुने। अब वे अपनी बात कहकर जा सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर केवल तीन परिवारों का गुलाम नजर नहीं आएगा। अब जम्मू कश्मीर उन लोगों का गुलाम होगा, जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, जो वोट डालकर अपना नेतृत्व करने वालों को चुनते हैं। उनके मन में भी भय रहेगा कि अगर मैंने इनकी सेवा नहीं की, इनके काम नहीं किए, इनके सुख-दुख में भागीदार नहीं बना, इन सब बातों का भय रहने के कारण वह उनकी सेवा भी करेगा।

अब जम्मू कश्मीर की सत्ता तीन परिवारों में ही बंटकर नहीं रहेगी। जो तीन लोग इस प्रकार सत्ता बांटकर लंबे समय से देश की मलाई खा रहे थे। इसी प्रकार से कुछ स्वार्थी लोग हैं, उनसे हमें बचाव मिलेगा। जो वोट डालते वक्त भी स्वार्थवश, कहीं न कहीं किन्हीं कारणों से उनके स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी। आजकल एक ट्रेंड चल गया है। दिल्ली का मुख्य मंत्री इसका जीता-जागता एग्जाम्पल है – यह भी फ्री ले लो, वह भी फ्री ले लो, सब फ्री दे दूंगा। पंजाब के लोगों ने कहा यह फ्री कहा था, यह फ्री कहा था, अब कह रहे हैं, प्रधान मंत्री जी के पास गए थे, उनसे एक हजार करोड़ रुपये मांगे हैं, 52 हजार करोड़ रुपये मिल जाएंगे, तो हम तुम्हारी सभी उम्मीदें पूरी कर देंगे।

ऐसे लोगों का क्या इलाज होगा? पांच सालों के लिए तो लोगों के हाथ कट गए न? इसलिए जिन लोगों ने ऐसे स्वार्थवश वोट डाला, स्वार्थ के कारण से – कि मुझे यह मिलेगा, यह मिलेगा, वे तो वोट डालने चले जाते हैं, जिनको स्वार्थ नहीं है, जिनको फोकट की चीजें नहीं चाहिए, जो देश और राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, वे जरूर वोट डालने जाएंगे।

वे वोट डालने जाएंगे, तो मजबूत नेतृत्व चुनकर आएगा। इसीलिए उन स्वार्थी लोगों से भी देश का बचाव होगा, जिससे देश का विकास होगा और डेमोक्रेसी के अंदर जिन लोगों का हक और राइट बनता है, उनको उनका हक मिल सकता है। आय में असमानता का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। वर्ष 2005 के एक इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक वर्किंग पेपर ने यह दिखाने के लिए कथित तौर पर कहा कि अनिवार्य मतदान जब सख्ती से लागू किया गया था और बेहतर आय

वितरण के बीच एक संबंध था, जैसा कि गिनी गुणांक और आबादी के निचले आय कुंटल द्वारा मापा गया था।

महोदय, आय में समानता का रूप भी लोगों में इक्वेलिटी के तौर पर सामने आएगा। माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि यही तो हमारे देश का लोकतंत्र है। हमारे देश पर पिछले 60-70 साल से एक परिवार ने ही राज किया है। ज्यादातर लोग शिक्षित नहीं थे। अखबार लोगों तक पहुंचता नहीं था। दूरदर्शन सप्ताह में एक-दो दिन चलता था। उसमें कहा जाता था कि देश को केवल इसी खानदान ने आजाद कराया। लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी। जो लोग दूरदर्शन पर देखते या सुनते थे, वही 20, 30 परसेंट लोग वोट डालने जाते थे और उन्हें ही वोट दे देते थे। गोगोई जी कह रहे थे कि क्या मजबूरी आ गई कि आपने सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम का नाम रखा, क्या जनता से इसके लिए ओपीनियन लिया था? हालांकि यह विषय नहीं है, लेकिन संबंधित जरूर है।

यह कहा कि आपने राजीव गांधी खेल अवार्ड का नाम बदलकर हाकी के प्लेयर के नाम से रख दिया। गोगोई जी, आपको देखना चाहिए कि क्या देश में दूसरे लोग ही पैदा नहीं हुए कि एयरपोर्ट भी बनेगा तो उसी खानदान के नाम से बनेगा। स्टेडियम भी बनेगा तो उसी खानदान के नाम से बनेगा। मेट्रो स्टेशन बनेगा, तो उसी खानदान के नाम से बनेगा। ये बोलने से पहले सोचते नहीं हैं कि इन्होंने कैसे काम किए हैं। हम ऐसा करें तो गलत है, लेकिन वही काम इन्होंने किए हैं, तो वे गलत नहीं हैं। जो लोग अपनी तरफ नहीं देखते हैं, कम्प्लसरी वोटिंग से उनका आधिपत्य समाप्त होगा। यदि हर व्यक्ति वोट डालेगा, तो हर व्यक्ति को देश के हित में किए गए कामों से एवेयर करना जरूरी होगा। कनाडा, जर्मनी जैसे देशों में लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होता है। शायद ब्रिटेन में ऑनलाइन के साथ-साथ घर पर बैलेट पेपर भी भेजे जाते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो सरकार की भी मजबूरी बन जाएगी कि सभी लोगों को आवश्यकता की चीजें प्रोवाइड कराए। यदि कोई दूरदराज के इलाके में कोई एक परिवार भी है तो सभी पार्टियां उनके पास पहुंचेंगी कि उन्हें वोट मिले। पांच साल के लिए सरकार बनती है। लोगों को गुमराह भी किया जाता

है। दुनिया में चीन सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। उसके बाद हमारा नम्बर आता है। ज्यादा आबादी वाले देशों में यदि हम देखें तो कम्प्लसरी वोटिंग बहुत जरूरी है। भारत जैसे देश में जहां लोग अलगाववाद के नाम से, धर्म और जाति के नाम से लोगों को गुमराह करते हैं और सत्ता प्राप्त करते हैं। इस वजह से देश इतना पिछड़ गया कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। आजादी के 75वें वर्ष हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जब शादी की बात आती है तो पचास साल में गोल्डन जुबली मनाते हैं। आजादी के पचास वर्ष बाद यह महोत्सव मनाया जाना चाहिए था। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि आजादी का महोत्सव भी मनाना चाहिए। आज मोदी जी सवा सौ करोड़ लोगों को साथ लेकर यह काम कर रहे हैं। सभी वर्ग, सभी समुदाय, हर पंथ के लोगों की हर आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। पहले गरीबों के नेता, गरीबों के हितैशी, गरीबों की पार्टी केवल एक ही पार्टी हुआ करती थी। गरीबों को कुछ नहीं दिया गया, लेकिन जब देश के प्रधान मंत्री ने उन्हें अधिकार देने का काम किया, तब उन लोगों को लोकतंत्र की ताकत का पता चला और लोगों को लगा कि देश में लोकतंत्र है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राइवेट मैम्बर बिल आया है, इस पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। इसके साथ-साथ वन नेशन और वन इलेक्शन पर भी गौर करना चाहिए। इलेक्शन पर अरबों रुपया खर्च होता है। जब राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं, तो तीन से छह महीने के लिए वहां सारे काम रुक जाते हैं।

वहां पर आचार संहिता लगने के कारण फिर से तीन महीने काम नहीं होगा। हर साल देश में कहीं न कहीं जो चुनाव होते हैं, उनसे कितना नुकसान होता है? विपक्ष के पास कुछ होता ही नहीं है। वे एक ही रोना रोते हैं कि तुम ये घोषणा चुनाव के कारण कर रहे हो। प्रत्येक साल बाद चुनाव आएगा तब तो ये घोषणाएं होंगी ही नहीं, डेवलपमेंट के काम होंगे ही नहीं। यह तो इस सरकार की ब्रॉड माइंडेड सोच है कि आज एससी-एसटी का बिल इसलिए लाया गया, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों के जो लोग छूट गए थे, उनको उनका हक ही नहीं मिला था।

आज यह बिल उत्तर प्रदेश के चुनाव होने के बाद लाया गया, क्योंकि यदि चुनाव के समय यह लाया जाता तो फिर ये वही रोना रोते। इन गरीब ट्राइबल्स को आज जो हक दिए जा रहे हैं, जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वे हक चुनाव के बाद दिए गए। ऐसी हिम्मत जुटाने का काम केवल हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं। ये लोग नारे तो लगाते हैं, विकास की बात बहुत करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं हैं।

सभापति महोदय, मैं चैलेंज के साथ यह कह सकता हूं कि इन सात वर्षों में वोट की कीमत मोदी जी ने लोगों को बताई है। गरीब लोगों ने जो वोट डाला है, उसका यह परिणाम है कि आज एक सशक्त सरकार बनकर खड़ी हुई है। इससे लोगों को अपने वोट की कीमत पता चली। इन्होंने जातियों के नाम पर लोगों को खूब बरगलाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने कहा- 'नहीं, हम वोट तो मोदी जी को ही देंगे।' ऐसा इसलिए, क्योंकि मोदी जी पर विश्वास करते हुए जनता वर्ष 2014 में जब उन्हें सत्ता में लाई, तो उन्होंने लोगों से जो वायदे किए थे, उस उम्मीद से ज्यादा मोदी साहब ने करके दिखाया। लोगों का जो विश्वास पैदा हुआ था, उस विश्वास के कारण ही आज देश तरक्की के शिखर पर जा रहा है, क्योंकि एक मजबूत सरकार है।

महोदय, हमें जो मैनडेट मिला है, वह पिछले 7 सालों के आधार पर ही मिला है, क्योंकि जितने घोटाले, जितने भ्रष्टाचार हुए थे, वे पिछली सरकार में हुए थे। बेचारे पूर्व प्रधान मंत्री जी को यह मालूम था कि यदि पार्टी के सहयोगी दलों की बात नहीं मानेंगे, तो वे समर्थन वापस ले लेंगे और पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा।

इमरान खान रोते फिर रहे हैं, दुम हिलाते फिर रहे हैं। वह अमेरिका को दुहाई देते फिर रहे हैं। पहले वह रोज अमेरिका की गोदी में बैठे रहते थे। डेमोक्रेसी में जो लोग इस बात की चिंता करते थे … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको अभी और कितना समय चाहिए?

श्री रमेश बिधूड़ी: सर**,** आप जितना कहेंगे**,** केवल उतना समय। उसके बाद बैठ जाऊंगा।

माननीय सभापति : कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइए।

Hon. Members, I have to inform that the time allotted for this Private Member's Bill is six hours. We have exhausted the time for its consideration. But still there are four Members who want to speak on this Bill. If the House unanimously agrees, we will extend the time for this Bill by one more hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: The time for consideration of this Bill is extended by one more hour.

Now, you may please resume your speech.

श्री रमेश बिधूड़ी: धन्यवाद सर। अब इसमें एक बात और आएगी। कुछ लोग अपने**-**आप को डेमोक्रेटिक सिस्टम का पंडित और रखवाला कहते हैं। मोमबत्तियां लेकर चलने वाले**,** रिवार्ड वापसी वाले गैंग के लोग समय**-**समय पर अपने स्वार्थ के कारण निकलकर आते हैं। वे यह भी कहेंगे कि यह क्या हुआ**?** It is our fundamental right. हमारे फंडामेंटल राइट को यह वॉयलेट करेगा। इस प्रकार की बातें कुछ लोग करेंगे, क्योंकि वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सत्ता में बने रहने वाले लोगों की चापलूसी करके रिवार्ड लेने वाले लोग इस बात के लिए शोर जरूर मचाएंगे। यह हर आदमी कह भी सकता है। दुनिया के 33 देश कम्पल्सरी वोटिंग कर रहे हैं, इसीलिए ये पश्चिमी देश, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज कहे जाते हैं, इनकी तरक्की हुई है। हम इससे पहले लोगों को उदाहरण देते थे, लोगों से चर्चा करते थे कि अगर किसी का बच्चा बाहर पढ़ने के लिए चला जाए, तो लोग आज भी यह कहते हैं कि अब तो तुम्हारा बेटा वापस आएगा ही नहीं। अब तो यह वहीं का होकर रह जाएगा। वहां का एनवायरमेंट ही ऐसा है, वहां का रहन-सहन ही ऐसा है। जब हम उन देशों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो लोग यह कहते हैं कि वह वापस लौटकर नहीं आएगा। उन देशों में कम्पल्सरी वोटिंग सिस्टम है, तभी वे डेवलप्ड हैं।

महोदय, गडकरी साहब ने एक उदाहरण दिया था। नैशनल हाईवे बिल में उन्होंने कहा था कि अमेरिका इसलिए रिच नहीं है, क्योंकि वह पैसे वाला है। अमेरिका रिच है, इसलिए सड़कें बढ़िया नहीं हैं। अमेरिका रिच इसलिए है, क्योंकि वहां की सड़कें बढ़िया हैं। सड़कों के डेवलपमेंट के कारण अमेरिका रिच है। इस प्रकार से अगर वहां के लोगों में जागरूकता है, देश के प्रति कमिटमेंट है, इसलिए उन देशों को हम अपने से ज्यादा डेवलप्ड कंट्री मानकर चलते हैं।

अगर उस पद्धति को हम अपने देश में भी लागू करें। अगर हमारे यहाँ अनिवार्य मतदान हो, आधार के साथ में उसे जोड़ दिया जाए और आधार के साथ जुड़ने के बाद उसका मिसयूज न हो, एक व्यक्ति 6 जगह वोट डालता है, 6 जगह वोट डालने के लिए वह व्यक्ति जाता है, तो उसके वोट की कीमत एक सोच के साथ में बिकाऊ के रूप में न होकर एक ही जगह उसकी वोट डलेगी। अच्छे लोग चुनकर आएंगे। अच्छे लोग चुनकर आएंगे तो वे देश के भविष्य के बारे में, अच्छी बातों के बारे में चिंता करेंगे। मैं इससे आगे ज्यादा न बोलते हुए इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): महोदय, जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी अनिवार्य मतदान का जो बिल लेकर आए हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

महोदय, लोकतंत्र में हम चूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर कंपल्सरी वोटिंग होगी, तो यू हैव टू चूज, यह नहीं होना चाहिए।

हां, जैसा रमेश बिधूड़ी जी और नामग्याल साहब और अन्य कुछ वक्ताओं ने कहा कि कुछ देशों में कंपल्सरी वोटिंग है। चिली का उदाहरण यहां दिया गया, चिली में कंपल्सरी वोटिंग थी। जब कंपल्सरी वोटिंग था, तब एवरेज वोटिंग **85** पर्सेंट थी। जब वर्ष **2012** में कंपल्सरी वोटिंग खत्म कर दी, वर्ष **2010** में जब चिली के राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था, वहां **86.94** फीसदी लोगों ने वोट डाला था। जब यह सिस्टम अबॉलिश किया, जब वर्ष **2015** का राष्ट्रपति चुनाव वहां पर हुआ, मात्र **41.98** फीसदी लोगों ने वोट डाला। जब यह सिस्टम कंपल्सरी होता है, तब फायदा नहीं होता है। आस्ट्रेलिया की बात बिधूड़ी जी ने कही। आस्ट्रेलिया में ऐसा जरूर है। आस्ट्रेलिया में क्या है**?** आस्ट्रेलिया में पोलिंग बूथ में जाना कंपल्सरी है, वहां जाकर नाम रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, लेकिन कोई वोट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हिंदुस्तान की बात अलग है। मैं यह जरूर मानता हूं कि कहीं-कहीं वोटिंग पर्सेंट कम होता है। जैसे जम्मू-कश्मीर में वहां की हालत के कारण वोटिंग पर्सेंटेज़ कम होता है। जब वहां लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा, सिस्टम के ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा, ट्रस्ट बढ़ जाएगा, ऑटोमैटिकली वोटिंग पर्सेंटेज़ भी बढ़ेगा। बिधूड़ी जी और कुछ वक्ताओं ने वहाँ की तीनों फेमिलीज़ के बारे में बोला, लेकिन वही फेमिली, जैसे फारूख अब्दुल्ला जी की पार्टी एनडीए की केन्द्र सरकार में शामिल थी। महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी के साथ मिलकर इन लोगों ने जम्मू-कश्मीर में सरकार चलाई थी। जब सरकार चलाते हैं, तो वे अच्छे होते हैं और जब सरकार नहीं चलाते हैं, तब खराब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है।

महोदय, मैं असम से आता हूं। असम में एक चुनाव वर्ष **1983** में हुआ। वर्ष **1983** के चुनाव में एक विधान सभा क्षेत्र धरमपुर, वह मेरी लोक सभा क्षेत्र में आता है, वहां पर केवल **267** लोगों ने वोट डाला था और जो वहां से जीता था, उसे केवल **266** वोट मिले थे। वही व्यक्ति वहां

से जीता था, यह बात सही है। ऐसा वहां क्यों हुआ था? वहां लोगों को चुनाव के ऊपर विश्वास नहीं था, ट्रस्ट नहीं थी, आस्था नहीं थी, तब वहां के लोग वोट नहीं करना चाहते थे। इसलिए ऐसा हुआ था। हमने वर्ष **1983** में क्या देखा? वर्ष **1983** में असम में जो कनफ्लिक्ट हुआ था, दो ग्रुप्स का कन्फ्लिक्ट हुआ था। एक ग्रुप था जो वोट डालना चाहता था, दूसरा ग्रुप वोट नहीं डालना चाहता था। दोनों ग्रुप्स में क्लैश हुआ। वर्ष **1985** में एकार्ड हुआ। जो लोग वोट नहीं डालना चाहते थे, उनकी डिमांड भी मान ली। लेकिन जिन लोगों ने भारत की संविधान की रक्षा के लिए वोट डाला था या पोलिंग बूथ में जाना चाहा था, जिन लोगों का नेल्ली में कत्लेआम हुआ, चौल्खोवा-चपोरी में जिनका कत्लेआम हुआ, गोहपुर में जनजाति लोग, ट्राइबल लोगों को कत्ल किया गया था, उन लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। उस समय एक तिवारी कमीशन बना था।

उस तिवारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ, किसी को पता नहीं है। मैं कांग्रेस से जरूर हूँ, लेकिन जब सरकार की बात आती है, सिस्टम की बात आती है, लोगों का ट्रस्ट तभी रहेगा जब सिस्टम उनको इंसाफ दिला सकेगा।

असम में वह प्रॉब्लम है। यहां मैं डिस्कशन कर रहा हूं, आलोचना कर रहा हूं कि कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए। वहां एक ऐसा सिस्टम है, जहां हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है। देश के नागरिकों के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। लेकिन असम में एक सिस्टम डाउटफुल वोटर ('डी' वोटर) का है। अगर बॉर्डर पुलिस को किसी के ऊपर डाउट होगा तो उसके नाम पर 'डी' वोटर लगाया जाएगा। क्या यह बात है? यह जनरेशन आफ्टर जनरेशन है, जो लोग असम में हैं, हिन्दुस्तान में हैं, अगर किसी के ऊपर डाउट होगा तो उसके नाम में 'डी' आएगा और 'डी' आने के बाद उसे फॉर्नर्स ट्रिब्यूनल में जाना होगा। उसको प्रूफ करना होगा कि वह देश का नागरिक है। असम के डिटेंशन कैम्प में अभी भी काफी लोग हैं, जिनको वहां के ट्रिब्यूनल ने विदेशी बोला है। अगर वे विदेशी हैं, तो विदेशी को विदेश भेजना चाहिए। बांग्लादेश से आते हैं तो बंग्लादेश में भेजना चाहिए, म्यांमार से आते हैं तो म्यांमार में भेजना चाहिए। लेकिन उन लोगों की जब मृत्यु होती है, डेथ होती है, किसी को बांग्लादेश या विदेश में नहीं भेजते हैं। असम के हिन्दू हों या मुसलमान हों,

असम में ही उनको दफनाया जाता है, उनका last funeral असम में ही हो जाता है। वहां असम के कवि ने डिटेंशन कैम्प को लेकर एक कविता लिखी है। मैं जरा उसे क्वोट करना चाहता हूं। कवि का नाम पारिजात नन्द घोष है और कविता का नाम 'दुरभागा राष्ट्र' है।

Dūrbhāgā raāṣṭra.
Hē nagna raāṣṭra tōmār dharṣanar samaẏatō tumi mauna kiẏa?
Mānabatār bad'dha bhūmi a-sam dēśat dēkhānē tumi dharṣakabōrak?
Jātibāda-sāmpradāẏikatār jīrṇa matabādat nataśira āji janagaṇa!
Bhanḍa śāsakar daulatat mānuh gaichē detention !
Galichē tōmār santānabōr hospital'r margat,
rāṣṭra tōmār lāj karēnē?
Uṭhibō bicārichā swargat !
Asabhya byabasthāt āji'ō calichē hatyār nikr̥ṣṭa yajña!
Dulāl pāl-phālu-jubbāra
sakalō mr̥tyuta tumi ajña?
Raāṣṭra tōmāra īśān kōnat mānabatā bipanna!
Nāgarikatva
svādhīnatā
gaṇatantra
Pratitur apamr̥tyu'i karaānē tumi kāmya?
Jīrnamatabādī sakal tēnē-tēnē bhanḍajībi,asabhyahatar usarat
Haitu aibur gauna sabhya samāj tōmār mukh bandha kiẏa? Tumi'ō kiẏa mauna?
Parijat Nanda Ghosh (26-10-19)

कवियों को ऐसा भाव आया, लेकिन वह सिस्टम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उस सिस्टम को खत्म करने के लिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधान मंत्री रहे, असम में तरुण गोगाई जब मुख्य मंत्री रहे, तब सरकार ने वहां के ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ बात करके एनआरसी अपडेट का प्रोसेस शुरू किया था। बाद में जब एनआरसी अपडेट सुप्रीम कोर्ट के

पर्यवेक्षण में हुआ और एनआरसी का जब ड्राफ्ट निकला, उस ड्राफ्ट में 40 लाख लोगों का नाम ड्रॉप हुआ था तब अमित शाह जी ने इसको हिस्टोरिक कदम बोला था। वह ड्राफ्ट निकलने के बाद जब दोबारा हियरिंग शुरू हुई और 31 अगस्त, 2019 को जो फाइनल एनआरसी निकला तो उसमें 19 लाख लोगों का नाम नहीं आया। नियमानुसार वहां एनआरसी गजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए था और 19 लाख लोगों में ऐसे काफी लोग हैं, किसी के बाप का नाम आया तो बेटे का नाम नहीं आया, किसी के भाई का नाम आया तो बहन का नाम नहीं आया और बहन का नाम आया तो भाई का नाम नहीं आया। यह व्यवस्था भी सुधरनी चाहिए। उसको अपील करने की अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी असम के मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम लोग इसको टोटल रिव्यू करेंगे। कहीं बोल रहे हैं कि 20 परसेंट रिव्यू करेंगे, कहीं बोल रहे हैं कि 30 परसेंट रिव्यू करेंगे। क्या होगा, किसी को नहीं पता। जो एनआरसी शुरू हुआ था, वह जल्दी ही खत्म होना चाहिए। उसका गजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए और जो गलतियां रह गई हैं, उनको सुधारना चाहिए। लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ है। जो हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है, IMDT Act स्क्रैप इसलिए हुआ था, क्योंकि वह सिर्फ असम में था और हिन्दुस्तान में दूसरी जगह नहीं है। 'डी' वोटर सिर्फ असम में हैं, हिन्दुस्तान के किसी दूसरी जगह नहीं है। यह सिस्टम भी खत्म होना चाहिए।

सभापति महोदय, वहां लोग वोट डालना चाहते हैं, लेकिन नागरिक को 'डी' वोटर बनाया जाता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूं कि जल्दी ही यह सिस्टम खत्म होना चाहिए। मैं एक कविता क्वोट करना चाहता हूं-

हक़ से अगर दो तो नफरत भी कबूल हमें

खैरात में तो हम तुम्हारी मोहब्बतें भी ना लें।

सभापति महोदय, यह जो कम्पलसरी वोटिंग का बिल है, इस पर मैं अपने इंडिवीजुअल मत बोल रहा हूँ, लेकिन सत्ता पक्ष के, स्पेशयली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है कि कुछ-कुछ इलाकों में गुंडागर्दी होती है। अगर हम लोग कम्पलसरी वोटिंग करेंगे, कम्पलसरी वोटिंग करने के बाद कौन बोल सकेगा कि कोई गुंडागर्दी नहीं रहेगी? क्योंकि मैंने असम के कुछ इलाकों में देखा है,

लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, लेकिन वोट डाल नहीं सकते हैं। वहां कुछ इनसर्जेंट ग्रुप रहते हैं, जिनके साथ दूसरी शक्तियों की मदद रहती है। लोग वोट डालने जाते हैं, लेकिन वोट डाल नहीं सकते हैं। बिहार में तो होता है, असम में भी एक इलाके में ऐसा है। अगर कम्पलसरी वोटिंग नाम के लिए होगी, जब लोग वोट नहीं डाल सकेंगे तो फायदा क्या होगा?

इसलिए ये सारी व्यवस्था एनकरेजेटिव होनी चाहिए, उत्साहमूलक होनी चाहिए, ताकि वोटिंग पर्सेंटेज बढ़े। हमारे लोकतंत्र में लोगों का योगदान ज्यादा बढ़े। बिधूड़ी साहब ने भी बोला, नामग्याल जी ने भी बोला और भी कई वक्ताओं ने बोला, वन नेशन-वन पोल के बारे में। 'वन नेशन-वन पोल' का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन जब एक साल में आप 4-5 बार चुनाव कराते हैं, दो राज्यों की विधान सभाओं का टर्म खत्म होता है, एक का चुनाव कराते हैं, एक का चुनाव नहीं कराते हैं। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं करते हैं कि एटलीस्ट एक साल में हम लोग सारे राज्यों के, संविधान में भी व्यवस्था है, जो छह महीने का टर्म रहता है, उसको इलेक्शन कमीशन आगे-पीछे कर सकता है। सभापति महोदय, यह मेरी पार्टी का व्यू नहीं है, बल्कि मेरा अपना निजी व्यू है। यह क्यों नहीं कर सकते हैं? 'वन नेशन-वन पोल' एक दिन में तो नहीं होगा। आपको सिस्टम कहीं न कहीं शुरू करना चाहिए। आप मुंह से तो बोलेंगे कि सारे चुनाव एक साथ करेंगे, लेकिन काम करने में क्या करेंगे – जनवरी में एक बार पोल कराएंगे, मार्च में एक बार पोल कराएंगे, सितंबर में एक बार पोल कराएंगे, नवंबर में एक बार पोल कराएंगे। इसलिए आप जो 'वन नेशन-वन पोल' की बात बोलते हैं, यह नहीं होगा।

सभापति महोदय, सत्ता पक्ष से मेरा अनुरोध है, मेरा आग्रह है कि आप मेजोरिटी का अहंकार मत कीजिए। कांग्रेस मेरी पार्टी को भी सन् 1984 में भारी बहुमत मिला था। लेकिन सन् 1989 का चुनाव हम लोग जीत नहीं सके। इंदिरा जी जब सत्तर के दशक में सत्ता में आई थीं, भारी बहुमत के साथ आई थीं, लेकिन सन् 1977 में लोगों ने हमको रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए आप अहंकार मत करो। आपका भारी बहुमत जरूर है, लेकिन अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे और ध्रुवीकरण की राजनीति जिस दिन छोड़ दोगे, आप लोग आज इसलिए हो क्योंकि आप विकास की

बात मुंह से तो जरूर बोलते हो, लेकिन आप लोग हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करते हो। जिस दिन आप लोग ध्रुवीकरण की राजनीति छोड़ देंगे, जिस दिन विकास पर सच्चा चुनाव होगा, उस दिन आप लोग हारेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा है। सभापति महोदय, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं इस बिल का विरोध करने के लिए एक और कविता कोट करना चाहता हूँ।

"हक उतना ही जताएं, जितना जायज़ लगे।
रिश्ता फेरों का हो, मुहब्बत की घुटन न लगे।"

धन्यवाद।

17.56 hrs

PRIVATE MEMBERS BILLS-Intoduced -Contd....

HON. CHAIRPERSON: Item No. 15. Shri Ravneet Singh.

… (*Interruptions*)

(lxxviii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2019*

(Substitution of New Article for Article 248, Etc.)

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): Hon. Chairperson Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Sikh Gurdwaras Act, 1925. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Ravneet*ji,* I think, you have mistakenly introduced the wrong Bill. Please introduce the Bill listed against Item No. 15 again.

… (*Interruptions*)

SHRI RAVNEET SINGH : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI RAVNEET SINGH : Sir, I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

17.58 hrs

(lxxix) SIKH GURDWARAS (AMENDMENT) BILL, 2019*

(Amendment of Section 2, Etc.)

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Sikh Gurdwaras Act, 1925.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Sikh Gurdwaras Act, 1925."

The motion was adopted.

SHRI RAVNEET SINGH: Sir, I introduce the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

17.59 hrs

(lxxx) PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE FOR DE-ADDICTION CENTRES BILL, 2019*

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to adequately fund de-addiction centres at all districts in the country and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to adequately fund de-addiction centres at all districts in the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI RAVNEET SINGH: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Publilshed in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 01.04.2022.

** Introduced with the recommendation of the President.

18.00 hrs

COMPULSORY VOTING BILL, 2019 – Contd.

DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): Thank you, hon. Chairman for giving me the opportunity to speak on the Private Member Bill, Compulsory Voting Bill, 2019.

Sir, I support the Bill. Dr. Babasaheb Ambedkar Ji has given a powerful weapon of one vote for one person. Votes are counted and not weighed. Today, compulsory voting is a must. There are many advantages. One important advantage of compulsory voting is this. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : उमेश जाधव जी, क्या आप आज अपनी स्पीच कन्क्लूड करेंगे या फिर बाद में बोलेंगे, because the time is already six o' clock.

डॉ. उमेश जी. जाधव: सर, मैं पाँच मिनट में समाप्त कर दूंगा।… (व्यवधान)

श्री अब्दुल खालेक : सर, लास्ट फ्राइडे को ऑनरेबल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनस्टिर साहब ने कहा था कि प्राइवेट मेम्बर्स बिल को हफ्ते में किसी दिन लिया जाएगा।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : वह माननीय स्पीकर का डिसीजन है।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You can speak as a first speaker in the next day. You will be the first speaker in the next Session.

DR. UMESH G. JADAV: All right, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Now, the House stands adjourned to meet on Monday, the 4th April, 2022 at 11 a.m.

18.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 04, 2022 / Chaitra 14, 1944 (Saka)

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjourn of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)